खण्ड-106, अंक-2
सोमवार, 27 श्रावण, शक संवत् 1874
(18 अगस्त, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 106 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १८ अगस्त, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में दिन में ११ बजे, अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम , श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री

कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द बल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द महेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह श्री
बशीर अहमद, हकीम श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री

बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर सिंह, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुभनचन्द्र, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरूजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री

हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

परिवहन विभाग के ड्राइवरों और कंडक्टरों का वेतन

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि रोडवेज विभाग से सरकार को गत वर्ष कुल कितनी आमदनी हुई थी और कितना व्यय हुआ था ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—सन् १९५०-५१ में रोडवेज को प्राप्त आय ३,०१,०९,१३८ रुपये और व्यय २,८०,९०,६९० रुपये थे जिसमें मूलराशि पर ब्याज, डिप्रेसिएशन रिजर्व, मेंटिनेंस तथा अन्य रिजर्वों की रकम भी सम्मिलित है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को यह मालूम है कि रोडवेज विभाग में काम करने वाले ड्राइवर और कण्डक्टरों में कम वेतन पाने से असंतोष है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

*३—श्री रामसुदर पाण्डेय—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि गत वर्ष इस प्रदेश के रोडवेज विभाग में कहां-कहां और कितनी-कितनी बार हड़तालें हुईं और हड़तालियों तथा अनशनकारियों की मांगें कहां तक पूरी की गयीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—गत वर्ष में होने वाली हड़तालों का विवरण, उस संबंध में की गई मांगों तथा दूसरी पूरी की गई मांगों की सूची नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११२ पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार को यह मालूम है कि गतवर्ष आजमगढ़ में रामकृष्ण नामक व्यक्ति ने तनख्वाह बढ़ाने के लिये भूख हड़ताल की थी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ड्राइवरों और कंडक्टरों का वेतन बढ़ाने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह प्रश्न विचाराधीन है, यदि वेतन न बढ़ सका तो दूसरी तरह से वेतन बढ़ सके इस पर विचार हो रहा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रोडवेज की बसेज नई खरीदी गई हैं, उनकी हालत दो सालों के अन्दर ही बहुत खराब हो गयी है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को यह मालूम है कि प्राइवेट मोटर और ट्रक्स वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों को जो तनख्वाह देते हैं उससे कम तनख्वाह सरकार देती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—हमेशा ऐसा नहीं है।

*४—श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)—[देखि आगे पृष्ठ ६६ पर।]

*५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—(२१ अगस्त, १९५२ के लिए संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

जौनपुर जिले में फसल की क्षति होने के कारण किसानों को छूट तथा तकाबी

*६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में ओला पड़ने के कारण रबी की फसल के नष्ट हो जाने से लगान में कितनी रक़म की छूट स्वीकार की गई है ?

मालमंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जौनपुर जिले में रबी, १३५९ फसली की फसल को सूखा और ओले से नष्ट होने के कारण लगान में रु० १,५६,०९१-७-० की छूट दी गई। ओले केवल दो तहसीलों में मछलीशहर और मणियाहू में गिरे थे परन्तु इनमें कुछ ऐसे गांव भी थे जहां फसल को सूखा तथा ओला दोनों से हानि पहुंची, इसलिये केवल ओला पड़ने के कारण कितनी छूट दी गई यह बताना संभव नहीं है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसानों को छूट का कोई पर्चा लगान वसूल करते समय बांटा गया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—छूट का पर्चा बांटा गया या नहीं इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों को छूट का पर्चा नहीं बांटा गया, नयी किश्त में उनका लगान माफ किया जायगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह प्रश्न 'अगर' के साथ है, अगर नहीं बांटा गया होगा तो सरकार इस पर विचार करेगी।

—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—जो छूट दी गई है वह किन-किन गांवों में दी गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिन गांवों में ओला पड़ा था और जिनमें छूट दी गई थी उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११३ पर)

*८—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या ऐसे क्षेत्रों में तकाबी देने की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में और कितनी-कितनी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, तहसील मणियाहू के हानि ग्रस्त क्षेत्र में १५,००० रु० और तहसील मछलीशहर के क्षेत्र में १०,००० रू० की तकाबी बीज के रूप में देने की व्यवस्था की गयी है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या जिन क्षेत्रों में धान के रूप में तकाबी बांटी गयी है, अब तक पानी न पड़ा जिसकी वजह से वह सूख गया है, उनकी तकाबी के ऊपर सरकार विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिस कदर तकाबी बीज के रूप में देने की व्यवस्था की गई है इसके अतिरिक्त अगर धान की फसल के संबंध में तकाबी की या और कोई बात पैदा होगी तो जरूरत होने पर सरकार उस पर विचार करेगी।

सम्मिलित कमश्निरियों के कर्मचारियों की क्रमिक-सूची

*९--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो कमिश्नरियां मिला दी गयीं हैं उनके दफ्तर के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट अलग-अलग है या सम्मिलित कर दी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जो कमिश्नरियां १९४९ में मिला दी गयी थीं उनके दफ्तर के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट सम्मिलित कर दी गयी है ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या यह सच है कि रुहेलखंड और बनारस में अभी तक ग्रेडेशन लिस्ट अलग अलग है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार के सामने अभी यह प्रश्न विचाराधीन है कि ग्रेडेशन लिस्ट अलग अलग रखी जाय या वह सम्मिलित रखी जाय। चूंकि मेरठ से इस संबंध में सरकार के पास कुछ रेप्रेजेंटेशन हुये थे इसलिये अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और चूंकि सरकार ने पहले एक ऐसा निर्णय अपना दे दिया था कि अलग अलग ग्रेडेशन लिस्ट रखी जाय, वह बाद में फिर कुछ रेप्रेजेंटेशन के कारण अभी अंतिम फैसला उस पर नहीं दिया है और दूसरी जगहों के बारे में जो प्रश्नकर्त्ता महोदय जानना चाहते हैं उसके लिये नोटिस चाहिये ।

*१०--श्री नेकराम शर्मा--क्या यह सच है कि ३ जुलाई, १९५० ई० को सरकार ने अपनी आज्ञा नम्बर ४५१८-आई-बी-४७०-बी-१९४९, के द्वारा कमिश्नरों को यह सूचित किया था कि यह ग्रेडेशन लिस्ट अलग-अलग होनी चाहिये ? यदि हां, तो क्या इस आज्ञा के अनुसार कार्य हो रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बनारस-गोरखपुर के सम्मिलित कमिश्नरियों के कुछ कर्मचारियों के वेतन नियत के संबंध में एक रिप्रेजेंण्टेशन पर सरकार ने बोर्ड आफ रेवेन्यू को अपनी आज्ञा से नं० ४५१८-आई०-बी-४७०-व-१९४९, दिनांक, ३ जुलाई, १९५० ई० के द्वारा यह सूचित किया था कि बनारस गोरखपुर के सम्मिलित कमिश्नरियों के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट अलग अलग कर दी जाय । परन्तु इसी बीच में जब एक रिप्रेजेंटेशन के संबंध में बोर्ड ने कमिश्नर, मेरठ को इस आज्ञा की सूचना दी तो कमिश्नर मेरठ ने इस आज्ञा के लागू करने में कठिनाइयां बताईं। तब बोर्ड ने सरकार को फिर लिखा कि क्योंकि मिली हुई कमिश्नरियों के सम्मिलित स्टाफ की मंजूरी सरकार ने दी है अतएव ग्रेडेशन लिस्ट अलग नहीं की जा सकती और सरकार ग्रेडेशन लिस्ट को अलग रखने की आज्ञा बदल दे। अभी इस विषय में कोई आज्ञा नहीं दी गयी क्योंकि इस बीच में कमिश्नरियों के दफ्तरों में बड़े परिवर्तन हो गये हैं और यह विषय सरकार के विचाराधीन है। इसी कारण सरकार की ३ जुलाई, १९५० ई० की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ३ जुलाई, सन् १९५० ई० की आज्ञा और कमिश्नरियों को दी गयी थी, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--३ जुलाई, १९५० की आज्ञा यद्यपि बनारस के रेप्रेजेंटेशन पर ही जारी की गयी थी लेकिन सरकार की मंशा उसे सारे प्रान्त के लिये लागू करने की थी और इस समय सारे प्रान्त का प्रश्न विचाराधीन है ।

*११—श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सच है कि ग्रेडेशन के संबंध में कुछ कर्मचारियों ने बोर्ड आफ रेवेन्यू को कुछ रिप्रेजेंटेशन्स कर रक्खे हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय हुआ ? क्या सरकार उनकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्रीद्वारका प्रसाद मौर्य—एक रिप्रेजेंटेशन बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास मेरठ से आया था इस रिप्रेजेंण्टेशन पर बोर्ड ने अगस्त, १९५० में निर्णय किया। रिप्रेजेंटेशन तथा बोर्ड के निर्णय की प्रतिलिपियां मेज पर रख दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११६ पर)

श्रीनेकराम शर्मा—क्या सरकार को पता है कि और कमिश्नरियों से भी अपीलें और रिप्रेजेंटेशन्स बोर्ड के पास आये हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या विचार हो रहा है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—रिप्रेजेंटेशन्स जरूर आये हैं और सारा प्रश्न विचाराधीन है।

भद्रुक, लखनऊ की सरकारी दुग्ध शाला

*१२—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की सरकारी दुग्धशाला (भद्रुक डेरी फार्म) में एकाएक दूध की कमी हो गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

कृषि उप-मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—लखनऊ की सरकारी दुग्धशाला (भद्रुक डेरी फार्म) में दूध की कमी प्रत्येक वर्ष गरमी में हो जाती है क्यों कि इन दिनों में जानवरों को हरा चारा बिल्कुल नहीं मिलता जिससे दूध के उत्पादन में कमी हो जाना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त भैसें ग्रीष्म (गरमियों) ऋतु में सूख जाती हैं जिससे हर जगह दूध की कमी हो जाती है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी दूध की कमी थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी जमीन इस डेरी फार्म के साथ चारा उगाने के लिये दी गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डेरी फार्म के लिये जितनी जमीन हरा चरा उगाने के लिये चाहिये, उतनी जमीन उस डेरी फार्म के साथ है !

श्री जगन प्रसाद रावत—जमीन तो डेरी फार्म के साथ है। लेकिन गर्मियों में सभी जगह असर पड़ता है और यहां की जमीन पर भी असर पड़ता है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि वहां सिंचाई का प्रबंध माकूल है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—हां, सिंचाई का प्रबंध वहां माकूल है, लेकिन जिस नहर से पानी दिया जाता है वहां काश्तकारों को जितना पानी दिया जाता है वही भद्रुक को भी दिया जाता है। इसलिये उस को भी पानी की कमी हो जाती है।

श्री गेंदा सिंह---तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से भद्रुक डेरी फार्म को हरा चारा उगाने के लिये पर्याप्त पानी नहीं मिलता उसी तरह से किसानों को भी नहीं मिलता ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो सही बात है कि सूबे में जितने पानी की आवश्यकता है हमारे यहां की नहरें उतना पानी नहीं देतीं। कोशिश जरूर की जा रही है कि पूरा पानी दिया जाय ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरे चारे की कमी गर्मियों में किन कारणों से होती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---गर्मियों में तो सभी जगह सारे सूबे में हर जमीन पर हरे चारे की कमी हो जाती है, इसी कारण कि गर्मियों में पानी की कमी होती है।

श्री गेंदा सिंह---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि गर्मी के दिनों में भैंसों और गायों का दूध बढ़ जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो मैं बहुत नयी बात सुन रहा हूं।

*१३-श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार को पता है कि इस दूध की कमी के कारण सब दूध लेने वालों का दूध कम कर दिया गया है ? यदि हां तो इस कमी की पूर्ति के लिये सरकार क्या प्रबंध करने का विचार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, अब जानवरों को हरा चारा मिलने लगा है और भैंसें अगस्त से ब्याने लगी हैं। आशा की जाती है कि इस महीने के अंत तक या सितम्बर के प्रारम्भ में सभी दूधे देने वालों का कोटा पहले के बराबर कर दिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सच है कि जब जब दूध की कमी होती है तो जनता को ही दूध कम दिया जाता है अफसरों को नहीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो माननीय सदस्य की धारणा है। सभी के साथ एक सा बर्ताव किया जाता है ।

श्री नेकरामशर्मा---क्या यह सच है कि अफसर जितना दूध चाहें उतना भद्रुक डेरी से ले सकते हैं लेकिन जनता को जितने दूध की आवश्यकता है उतना भी नहीं पाती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह बात बिलकुल गलत है। १६ आने गलत है।

कृषि इंजीनियरिंग विभाग को सिंचाई विभाग के साथ मिलाने का निश्चय

*१४---श्री राम अनन्त पाण्डेय (जिला बलिया)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह कृषि इंजीनियरिंग विभाग को तोड़ना चाहती है ? यदि हां, तो सरकार उस विभाग के अस्थायी कर्मचारियों के विषय में क्या प्रबंध करना चाहती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---कृषि इंजीनियरिंग विभाग को तोड़ने का नहीं बल्कि उसे सिंचाई विभाग से मिला देने का निश्चय किया गया है। उक्त विभाग के अस्थायी कर्मचारी अब सार्वजनिक निर्माण सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

श्री राम अनन्त पाण्डेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसा निश्चय क्यों कर दिया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह सुविधा के लिये किया गया है।

श्री राम अनन्त पाण्डेय—क्या सरकार को मालूम है कि कृषि इंजीनियरिंग विभाग कुछ ऐसे काम किया करता था जो टेक्निकल होते थे और वे सिंचाई विभाग नहीं कर सकता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इन सब बातों पर विचार कर लिया गया है। इसी में सरकार को सुविधा मालूम हुई कि कृषि विभाग को सिंचाई विभाग के साथ कर दिया जाय।

पूर्वी ज़िलों में बीज उत्पादन के लिये दूषित धान का वितरण

❀१५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि पूर्वी जिलों (गोरखपुर तथा बनारस कमिश्नरी) में जो धान अगहनी का बीज तकावी पर बंटा है वह उगा नहीं ? यदि हां, तो उक्त किसानों के दोहरे नुकसानों का मुआवजा दिया जायगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सरकार के पास ऐसे बीज के न उगने की कोई सूचना नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बीज न जमने की जांच सरकार करावेगी ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—बीज न जमने की शिकायत कुछ थोड़ी सी आजमगढ़ जिले में है और वहां के जिलाधीश इस सिलसिले में जांच कर रहे हैं।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि देहातों में सरकारी अधिकारी यह कोशिश कर रहे हैं कि किसान यह बयान करें कि बीज पूरे जमे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यदि कोई अधिकारी ऐसा करता पाया जायगा कि जहां बीज न जमा हो वहां वह किसानों से यह कहलवाने की कोशिश करे कि बीज जमा है, तो उसकी जांच की जायेगी और उस अधिकारी को पूरा दंड दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आजमगढ़ जिले में जिन किसानों का बीज नहीं जमा है क्या उनकी तकावी माफ की जा सकती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—आजमगढ़ जिले से कुछ शिकायतें आयी थीं जिनकी जांच जिलाधीश कर रहे हैं। अब अगर वे शिकायतें सच पायी गयीं तो उनका पूरा समाधान किया जायगा।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जो बीज नहीं जमा था वह कहां से दिया गया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीज खाद्य तथा रसद विभाग भी देता है, कृषि विभाग भी देता है और कोआपरेटिव से भी दिया जाता है, लेकिन जहां कहीं की भी शिकायत होगी और जहां बीज नहीं जमा है वहां जहां कहीं से बीज दिया गया होगा वहां के अधिकारियों को सजा दी जायेगी।

श्री राम नाथ तिवारी—क्या माननीय कृषि मंत्री को आजमगढ़ जिले में ऐसे खेतों को दिखाया गया था जिनमें बीज नहीं जमा था ?

श्री चरण सिंह—ऐसे कोई खेत मुझको तो नहीं दिखाये गये लेकिन जिलाधीश महोदय ने मुझसे इस बात की चर्चा की थी कि कहीं कहीं बीज नहीं जमा है और वह इसकी तहकीकात कर रहे हैं।

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं एक बात आपकी इजाजत से कह देना चाहता हूं कि जिससे सारा मसला साफ हो जायगा। सदस्यों का कुछ ऐसा ख्याल है कि यह जो बीज दिया जाता है यह सब उन्नत बीज होता है। जितने गवर्नमेंट के सीड स्टोर्स हैं, ऐग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के या कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से उनके बारे में यह ख्याल करना कि जब और जितना बीज किसान चाहें उतना दे सकते हैं तो यह धारणा बिलकुल गलत है। अबकी बार बीज की इतनी जरूरत थी कि हमारे गोदाम उतना सप्लाई नहीं कर सकते थे। लिहाजा हमने नैपाल से, बिहार से या बाजार से, जहां से भी मिला मोल लेकर के दिया और कोई गारंटी इस बात की नहीं थी कि बीज जमेगा ही। लेकिन जहां तक देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिलों का ताल्लुक है वहां के बारे में तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी। लेकिन आजमगढ़ जिले में जो बीज दिया गया उसके बारे में कुछ शिकायत है। जिलाधीश महोदय उसकी तहकीकात कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार ऐसे किसानों को मुआविजा देने पर विचार कर सकती है ?

श्री चरण सिंह---कोई ऐसा सवाल उठता नहीं है। नियमों के अधीन इन सब बातों का समावेश है। उनके अनुसार जैसा होगा किया जायेगा।

*१६---श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि उक्त बीज को कृषि के किस विशेषज्ञ ने पास किया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत---बीज खरीदने के समय पर दोनों कृषि तथा खाद्य और रसद-विभाग के अफसरान उपस्थित थे। जहां कहीं भी बीज खरीदा गया वहां जिला कृषि अधिकारियों को उस बीज की जांच तथा पास खरीद करने के लिये पूरा जिम्मेवार ठहराया गया और जब बीज बांटा जाता था उस समय भी कृषि अधिकारियों को उसको एक बार और जांचना पड़ता था कि आया धान ठीक है या नहीं।

किच्छा में कोआपरेटिव फार्म

*१७---श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार यह बतलायेगी कि किच्छा में कितने कोआपरेटिव फार्म चल रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---किच्छा तराई में कोई कोआपरेटिव फार्म नहीं चल रहा है। वहां ६८ कोआपरेटिव समितियां हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि सेंट्रल ट्रैक्टर यूनिट, कालोनाइजेशन विभाग, कृषि विभाग तथा कोआपरेटिव विभाग का किच्छा में कोई संयुक्त अधिकारी नहीं है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---ये सब डाइरेक्टर आफ कालोनाइजेशन के अधीन हैं इसलिये यह कहना कि कोई संयुक्त अधिकारी नहीं है, सही नहीं है।

*१८---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार को मालूम है कि कोआपरेटिव फार्म से कितना गल्ला पैदा हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---सालाना गल्ले की पैदावार नीचे लिखी हुई है-

१९४९-५०	... ...	४६,९६७ मन
१९५०-५१	... ...	४९,५९९ मन
१९५१-५२	... ...	१,५९,५३० मन

ऊख की सालाना पैदावार-

१९५०-५१		३,२९,४०० मन
१९५१-५२		७,२३,५०० मन

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इधर दो-तीन वर्ष में क्या परिणाम रहा है। अनाज की ज्यादा पैदावार हुई है या गन्ने की ?

श्री जगन प्रसाद रावत---गन्ने की पैदावार ज्यादा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन को विशेष सहायता दी जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मैंने पहले ही कहा कि वहां कोई फार्म नहीं है।

*१९---श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या जिन राजनीतिक पीड़ितों को जमीन दी गयी थी उनमें से कुछ की जमीन अब छीनी जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---अभी तक किसी राजनीतिक पीड़ित की जमीन नहीं छीनी गई है। हां, कुछ राजनीतिक पीड़ितों के बारे में सरकार जांच कर रही है कि वे सचमुच राजनीतिक पीड़ित के पर्याय में आते हैं कि नहीं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---जिन नकली राजनीतिक पीड़ितों का जिक्र किया गया है उनको राजनीतिक पीड़ित होने का सार्टिफिकेट जिलाधीश ने दिया था या संबंधित जिला कांग्रेस कमेटियों के सभापतियों या मंत्रियों ने दिया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत---अभी यह तो नहीं कहा जा सकता कि जो राजनीतिक पीड़ित वहां पहुंचे हैं और जिनकी बाबत शिकायत आयी है कि वे नकली थे। अभी कुछ शिकायतें आयी हैं और उनकी जांच हो रही है। अगर जांच के दौरान में यह पाया जायगा कि उन्होंने गलत तरीके से सार्टिफिकेट प्राप्त कर लिया था और वे वास्तव में राजनीतिक पीड़ित नहीं थे तो उनसे जमीनें वापस ले ली जायंगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंके कि कोलोनाइजेशन आफिसर्स की धांधली के कारण कितनों गांवों को उजाड़ करके बसाया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---कोई गांव नहीं उजाड़ा गया।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--जिन राजनीतिक पीड़ितों को जमीन मिली है क्या सभी की कोआपरेटिव समितियां चल रही हैं या कितनों की नहीं चली हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन कोआपरेटिव फार्मों पर गन्ने की खेती ज्यादातर की जाती है और अन्न की खेती कम की जाती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो ऐसा है कि जिनको जमीन दी जाती है उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनको जिस चीज के बोने में सुविधा हो उसको वह बोयें। लेकिन कोशिश की जाती है कि गल्ले की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इधर दो तीन वर्ष में क्या परिणाम रहा है। अनाज की ज्यादा पैदावार हुई है या गन्ने की ?

श्री जगन प्रसाद रावत---गन्ने की पैदावार ज्यादा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन कोआपरेटिव फार्मों को विशेष सहायता दी जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मैंने पहले ही कहा कि वहां कोई फार्म नहीं है।

नैनीताल कलेक्टरेट के राजनीतिक कारणों से निलम्बित कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति

*२०---**श्री खुशी राम** (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल कलेक्टरेट के जिन कर्मचारियों पर सन् १९३९ ई० के राजनीतिक मामलों में भाग लेने का आरोप लगाया गया था उनको निलम्बन (Suspension) आदि दण्ड स्वरुप कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---नैनीताल कलेक्टरेट में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था। श्री गोपाल दत्त कांडपाल, वासिल बाकी नवीस, तहसील हल्द्वानी, एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्हें राजनीतिक सभा में भाग लेने के आरोपमें ४५ रुपये के ग्रेड से ४० रुपये के ग्रेड में २० जुलाई, सन् १९४०, को तनज्जुल कर दिया गया था। उक्त सभा राजनीतिक सभा न होने के कारण कमिश्नर ने श्री कांडपाल को ४५ रुपये के ग्रेड में बहाल कर दिया था और इस आज्ञा के अनुसार २१ सितम्बर, सन् १९४०, को श्री कांडपाल ने अपना पुराना पद ग्रहण किया था। इस प्रकार श्री कांडपाल को केवल १० रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस कर्मचारी के द्वारा कराई गई और उसका क्या नाम था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---उनके संबंध में जो जांच की गई उसके अनुसार यह बताया गया है कि वह राजनीतिक सभा नहीं थी जिसमें वह शामिल हुये थे। किस अधिकारी के द्वारा जांच की गई इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री खुशीराम——जिस समय यह जांच की गई उसमें उक्त कांडपाल को बुलाया गया या नहीं ?

श्री चरण सिंह——कागजात जो दफ्तर में हैं उनसे पता चलता है कि जिलाधीश ने जांच की और यहां जो जवाब उन्होंने भेजा उसकी बिना पर जवाब दे दिया गया। अगर कोई गलती है जैसा कि माननीय सदस्य का संकेत है तो वह उसे बतला दें और उस गलती की फिर तहकीकात कर ली जायगी।

श्री खुशीराम——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल ही में उक्त कांडपाल ने हर्जे खर्चे के बारे में कोई नोटिस भी सरकार को दे रक्खी है ?

श्री चरण सिंह——ऐसी कोई नोटिस हमारे इल्म में नहीं है।

*२१——श्री खुशीराम——क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उनकी तरफ से आर्थिक नुकसान संबंधी कोई प्रार्थना पत्र सन् १९५० ई० में सरकार के पास आये थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——जी नहीं।

आजमगढ़ जिले में पटवारी के काग़ज़ों में खेतों का ग़लत अभिलेख होने के कारण तीन आदमियों का क़त्ल

*२२——श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)——क्या माल मंत्री बताने की कपा करेंगे कि पटवारी के कागज में खेतों का इन्दराज ठीक न होने के कारण आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने में तीन आदमियों का कत्ल हो गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——यह नहीं कहा जा सकता कि पटवारी का इन्दराज गलत था या सही क्योंकि सारा मामला अदालत के विचाराधीन है। परन्तु यह सही है कि खेत के झगड़े में तीन आदमियों का कत्ल हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या सरकार को पता है कि इन तीन आदमियों के अतिरिक्त ४७ आदमियों का कत्ल में गलत इन्दराज आजमगढ़ जिले में किया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——इसकी इत्तिला सरकार को नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय——क्या जिलाधीश आजमगढ़ ने यह वक्तव्य दिया है कि १२ आदमियों का कत्ल हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——इसका भी सरकार को कोई इल्म नहीं है।

*२३——श्री गजेन्द्र सिंह——क्या माल मंत्री यह भी बतलायेंगे कि जिलाधीश आजमगढ़ के पास घोसी और सगड़ी तहसील के किसानों की गलत इन्दराज की सैकड़ों दरख्वास्तें आई हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——जी हां, जिला-धीश को इस आशय की कुछ दरख्वास्तें दी गई हैं।

*२४——श्री गजेन्द्र सिंह——यदि हां, तो इस प्रकार के गलत इन्दराजों को ठीक करवाने के लिये कोई कानून सदन में उपस्थित होने जा रहा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार को यह पता है कि इन गलत इन्दराजों के कारण सैकड़ों मुकदमें १०७ में चल रहे हैं और उसमें हजारों आदमी फंसे हुये हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---गलत इन्दराजात के कारण मुकदमें चलते हैं इसमें कोई संदेह नही।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सच है कि गलत इदराज होने के कारण दफा १४५ में खेतों को कुर्क करके अन्न को नुक्सान पहुंचाया जा रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---गलत इन्दराज के कारण जब दो विरोधी पक्षों में झगड़ा होता है तो १४५ की कार्यवाही की जाती है।

गंगातीरी फार्म के बनने से किसानों की क्षतिपूर्ति

*२५---श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार इधर चार वर्ष से गंगातीरी फार्म से सम्बन्धित किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी नहीं। किसानों को जमीन कोआपरेटिव फार्मिंग के वास्ते दी गई है और जिस तारीख से सरकार ने भूमि ली थी तब से उनको लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार पूरा पूरा मुआवजा मय ब्याज के मिल चुका है। सरकार के विचार से किसानों को कोई हानि नहीं हुई है ।

श्री राज नारायण---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गंगातीरी फार्म में मिर्जापुर की जमीन और बनारस जिले की जमीन दोनों जमीन 'इन्क्लूड (सम्मिलित) नहीं की जाती हैं।

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, उसमें दोनों जमीन शामिल की गई हैं।

श्री राज नारायण---क्या सरकार को पता है कि मिर्जापुर की १८५ बीघा जमीन जो अभी उसमें मिलाई गई है उसका मुआविजा नहीं दिया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---१८५ बीघा जमीन जो अभी फार्म के लिये रखी गयी है उसके संबंध में किसानों से समझौता हुआ था कि वह जमीन छोड़ देंगे और उस समझौते में माननीय समाजवादी सदस्य भी शामिल थे, जिन्होंने यह वायदा किया था कि उनसे वह छोड़ने का पत्र लिखा देंगे। लेकिन अफसोस है कि उसके बाद उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखाया । इस वास्ते यह १८५ बीघा जमीन उनको वापस नहीं की गई।

श्री राज नारायण---मेरा प्रश्न यह था कि क्या १८५ बीघा जमीन जो समझौता के जरिये से किसानों से सरकारी फार्म के लिये ली गई थी उसका मुआविजा उनको मिलेगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत---उसका मुआविजा उनको जरूर मिलेगा।

श्री राज नारायण---तो क्या सरकार अब इस बात का जो पहले प्रश्न में उत्तर दिया था कि उनको मुआविजा दे दिया गया, उसको नाकाफी नहीं समझती ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जितनी जमीन सरकार ने अपने पास रखी है उसका मुआवजा दे दिया गया था और अगर कहीं थोड़ी बहुत शिकायत रह गई है तो उसको भी दे दिया जायगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या आनरेबिल मिनिस्टर बतलायेंगे कि जो मुआवजा दिया गया है वह किस हिसाब से दिया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जो मुआवजे के नियम होते हैं उसी के हिसाब से मुआवजा दिया गया।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या आनरेबिल मिनिस्टर यह बतलायेंगे कि जो मुआवजा किसानों ने पाया, तो क्या उससे किसान मुतमईन हो गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत---अब तो यह सवाल उठता नहीं है क्योंकि किसान मुआवजा लेने के लिये सन्तुष्ट नहीं थे वह उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहते थे उसको रखना चाहते थे तो इस १८५ बीघा जमीन को छोड़कर उनको वापस कर दी गई । इसलये वह सवाल अब उठता नहीं है।

अदलपुरा बाजार, जिला सुल्तानपुर की झरी उगाहना

*२६---**श्री राजनारायण**---क्या सरकार को मालूम है कि अदलपुरा बाजार में सरकारी फार्म मैनेजर (गंगातीरी फार्म आराजी लैन, सुल्तानपुर) ने जिस व्यक्ति को बाजार का ठेका दिया था वही ठेकेदार अब तक बाजार की झरी उगाहता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---सरकार को अदलपुरा बाजार से अब कोई संबंध नहीं है परन्तु मालूम हुआ है कि बाजार का ठेका अब भी उसी व्यक्ति के पास है जिसे पहिले फार्म मैनेजर ने दिया था।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इसकी कोई व्यवस्था कर रही है कि अनुचित तरीके से जो ठेकेदार अदलपुरा बाजार से झरी वसूल कर रहा है उसकी रोकथाम की जाय ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यदि इस तरह की कोई शिकायत आयेगी कि जो वहां पर अधिकारी है वह नियम के अन्तर्गत अपना काम नहीं कर रहा है तो उसकी जांच की जायगी और शिकायत को दूर करने की कोशिश की जायगी।

श्री नेकराम शर्मा---यह जमीन किस सन् में ली गई थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह जमीन सन् १९४८ और ५० के बीच में भिन्न-भिन्न समयों पर ली गई।

श्री नेकराम शर्मा---तो क्या सरकार बतलायेगी कि अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मैं पहले बतला चुका हूं कि मुआवजा दिया जा चुका है अगर कोई शिकायत बाकी है तो उसको देखकर दूर किया जा सकता है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बतला सकती है कि जो ठेकेदार झरी बाजार की वसूल करता है वह किस हैसियत से वसूल करता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जैसा मैंने बतलाया कि अब वह सरकार से कोई संबंध नहीं रखता है, मिशन ने वह ठेका दिया होगा।

परिवहन विभाग के निलम्बित कर्मचारी

*२७--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज के कितने कंडक्टर, ड्राइवर तथा दूसरे कर्मचारी इस समय मुअत्तली पर हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--रोडवेज के १६८ कंडक्टर, १४० ड्राइवर तथा ११९ अन्य कर्मचारी इस समय मुअत्तली पर हैं।

*२८--श्री राम सुभग वर्मा--अब तक कितने कर्मचारी मुअत्तली से फिर बहाल कर दिये गये हैं और उनको बैठकी की कितनी तनख्वाह देनी पड़ी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--मई सन् १९४७ से अब तक ६२२ मुअत्तली से बहाल किये गये हैं और इस काल में उनको बैठकी की तनख्वाह सब मिला कर रू० १,२८,३७६-९-६ देनी पड़ी।

श्री राम सुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि उनके कोई सर्विस रूल्स हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार कृपा कर के बतलावेगी कि इन केसेज को जल्दी से खत्म करने की सरकार कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--उपरोक्त रोडवेज कर्मचारियों के मुक़द्दमों का फ़ैसला कौन अधिकारी करते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--कुछ का तो रीजनल मैनेजर करते हैं, उसके बाद हमारे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और अन्त में ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर करते हैं।

श्री गेंदा सिंह--क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो मोअत्तिल लोग हैं, उन लोगों में से कौन कितने लोग मोअत्तिल हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस के लिये सूचना की आवश्यकता होगी और दूसरे जो अतारांकित प्रश्न हैं उन के संबंध में इस बारे में विस्तार से दिया गया है। बाकी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राम सुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दो दो, तीन तीन साल से कर्मचारी मोअत्तिल पड़े हैं और वह वेतन पा रहे हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--वह पूरा वेतन नहीं पा रहे हैं उन को ससपेंशन पीरियड में एक चौथाई या एक तिहाई वेतन मिलता है।

श्री राम सुभग वर्मा--तो क्या यह सही है कि कुछ लोग दो तीन साल से मोअत्तिल हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--कुछ दो साल से मोअत्तिल हैं।

*२६—श्री राम सुभग वर्मा—क्या यह सच है कि उपरोक्त कर्मचारियों के मुक़द्दमों का फैसला वही अधिकारी करते हैं जो उन पर अभियोग लगाते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या रीजनल मैनेजर उपरोक्त कर्मचारियों पर अभियोग नहीं लगाते ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री कृपा कर के बतलायेंगे कि रोडवेज के कर्मचारियों पर अभियोग कौन अधिकारी लगाते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जो अफ़सर चेकिंग करते हैं वह लगाते हैं या ई० एस० ओ० वगैरह लगाते हैं। जब ज्यादा सवारियां होती हैं या बिना टिकट होती हैं या कोई दूसरा अपराध होता है तो अभियोग लगाये जाते हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री कृपा कर के बतलायेंगे कि जो आदमी दो तीन साल से मोअत्तिल हैं उन का फ़ैसला अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस संबंध में सरकार खुद लाचार है। हमारे कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। उसके मुताबिक़ मुअत्तिल करने के बाद एक चार्जशीट सफाई के लिये लगाया जाता है, उस पर वह खुद पेश हो सकता है या गवाह पेश कर सकता है और जैसे अदालत के झगड़े चलते हैं कभी गवाह नहीं आते कभी कोई नहीं आता और कितनी ही तारीखें पड़ा करती हैं और एग्रीब्ड पार्टी की तरफ से देर होती है इसलिये कि बरखास्त तो हो हो जायेंगे कुछ दिन तक मोअत्तिली की तनख्वाह ही मिल जाय। हम ऐसे नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं या कोई ऐसी शक्ल दे सकते हैं कि यह नियम इस तरह से लागू न हों, इस पर ही यह निर्भर करता है। यह प्रश्न विचाराधीन है लेकिन अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि निश्चित उत्तर दे सकें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—सरकार की यह लाचारी कब तक रहेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस पर सरकार की लाचारी नहीं है। विधान की है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि ज्यादातर यह नौकरी में मोअत्तली की अवधि इसलिये बढ़ाई जाती है कि उन कर्मचारियों को हैरेस किया जाता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें रिजिनल मैनेजर साहब ने छोड़ दिया था परन्तु डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर साहेब ने उन पर फिर से अभियोग लगवाये ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—ऐसे भी कई केसेज हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या रोडवेज कर्मचारियों पर फ़ाइनैंशियल हैंडबुक वाल्यूम ४ के नियम और उपनियम लागू होते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उन नियमों के दिये हुये कानूनों के अनुसार उन्हें मुअत्तली की तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—दी जाती है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या डिप्टी कमिश्नर के पास अपील के बाद अपील के लिये ३ आदमियों का ट्रिब्युनल बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसकी मुझे सूचना नहीं है।

रामपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज के अन्तर्गत लेने की योजना

*४—श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रामपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध उ० प्र० गवर्नमेंट रोडवेज के अन्तर्गत लेने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है, कब तक ऐसा हो सकेगा और क्या इसका अंतिम रूप रहेगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—कम्पनी का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश रोडवेज के अन्तर्गत लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न

यातायात विभाग के निलम्बित कर्मचारी

१—श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यातायात विभाग में कितने व्यक्ति ६ माह से, कितने एक साल से, कितने दो साल से और कितने व्यक्ति दो साल से अधिक मार्च, सन् १९५२ ई० तक मुअत्तिल थे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यातायात विभाग में मार्च, सन् १९५२ तक मुअत्तिल व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

६ मास से	२३०
१ साल से	१३१
२ साल से	३६
२ साल से अधिक	१३

२—श्री कालीचरण टंडन—सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ ई० के वित्तीय वर्षों में कितने मुअत्तिल व्यक्तियों को निकाला गया तथा कितनों को पुनः नियुक्त किया गया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सूचना इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	निकाले गये व्यक्तियों की संख्या	पुनः नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या
१९५०-५१	४२४	२०४
१९५१-५२	३९४	१६०

३—श्री कालीचरण टंडन—उक्त वित्तीय वर्षों में मुअत्तिल व्यक्तियों के स्थान पर अस्थायी नियुक्त व्यक्तियों के वेतनादि की मद में, मुअत्तिल व्यक्तियों के पुनः नियुक्त के मद में तथा मुअत्तिल व्यक्तियों के निकाले जाने की मद में वेतनादि में कितना कितना धन व्यय हुआ ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सूचना निम्नलिखित है :—

वित्तीय वर्ष	मुअत्तिल व्यक्तियों के स्थान पर नियुक्त व्यक्तियों की मद में	मुअत्तिल व्यक्तियों के पुनः नियुक्त की मद में	मुअत्तिल व्यक्तियों के निकाले जाने की मद में
१९५०–५१	१,०३,३१२–१२–०	३१,८०२–४–०	३८,३८३–१२–०
१९५१–५२	१,१९,८९८–८–३	२२,४७६–११–०	५६,३४६–६–०

पूर्वी जिलों की खाद्य-स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थान प्रस्तावों की सूचना

अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव तारीख २८ को आया था । माननीय गेंदा सिंह जी ने दिया था। प्रस्ताव में यह जिक्र था कि गोरखपुर के जिले में २,००० व्यक्तियों की भूख से मृत्यु हुई। भूख से मृत्यु होने के संबंध में उन्होंने वहां से पंचायत के कुछ सभापतियों के दाखले भी दिये थे। मैंने उस समय यह कहा था कि मैं इसकी जांच करके कल यह फैसला दूंगा कि यह कामरोको प्रस्ताव यहां पर पेश किया जाय या नहीं, यानी मैं इसकी अनुमति देता हूं या नहीं। इस बीच में यह आदरणीय सदन उठ गया। उसके पश्चात् जो वाकयात हुये वे माननीय सदस्य जानते ही हैं। मैं आज की कार्यसूची में देखता हूं कि खाद्य मंत्री ने अन्न समस्या पर विचार करने के लिये एक प्रस्ताव लाने का विचार प्रकट किया है। इसलिये एक तरह से इस प्रश्न पर विचार होने वाला ही है। उस समय जिन माननीय सदस्य ने यह काम रोको प्रस्ताव पेश किया है यहां की खाद्य समस्या यानी पूर्वी जिलों की और गोरखपुर की खाद्य समस्या पर कि वहां भूख से कोई आदमी मरा है या नहीं, इन सब विषयों पर विचार विनिमय कर सकते हैं। नियम के अनुसार मुझे यह अवश्य देखना है कि इसमें कोई देरी न हो क्योंकि यह विषय सार्वजनिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है आजकल के जमाने में। अरजेंट भी यानी अत्यावश्यक भी है। इसके ऊपर जल्द विचार होना चाहिये। ऐसी हालत में मैं मुख्य मंत्री जी से या सरकारी तरफ से जो भी यह बता सकें जानना चाहूंगा कि खाद्य मंत्री का प्रस्ताव कब आवेगा ताकि यदि निश्चित समय मालूम हो जाय तो इस विषय में मैं अपना निर्णय दे सकूं कि इस कामरोको प्रस्ताव की अनुमति दी जाय या नहीं।

(मुख्य मंत्री) श्री गोविन्द वल्लभ पंत—जो नियम जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के संबंध में हाउस में आये हैं उन पर विचार होने के बाद ही यह विषय सदन के सामने उपस्थित किया जायगा और यह आशा है कि हर हालत में तीन दिन के भीतर यह नियम यहां पूरे हो जायेंगे। ऐसे स्थिति में यह भरोसा है कि २१ तारीख तक इसको सदन के सामने लाने का अवसर मिल जायगा। इस समय मैं एडजर्नमेंट मोशन के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता। यह विषय ऐसा है जिस पर विचार होना जरूरी है। एडजर्नमेंट मोशन दो घंटे से ज्यादा चल नहीं सकता और इस गंभीर विषय पर दो घंटे में कोई विचार नहीं हो सकता। पूरी तरह से इस पर विचार करने के लिये सारे दिन इस पर विचार होना जरूरी है। इसलिये मैं समझता हूं कि जिस समय यह नियम हो जायं उस समय इसको लिया जाय और यदि नियम इससे भी जल्द पूरे हो जायेंगे, अगर आज ही पूरे हो जायें, लेकिन मैं समझता हूं २ दिन तो इसमें लग ही जायेंगे, तब यह प्रश्न ले लिया जायगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना गौर से सुना और मुझे यह संकोच लगता है कि मै माननीय मुख्य मंत्री जी के इस आश्वासन पर भी अपने कामरोको प्रस्ताव पर जोर देने के लिये मजबूर हूं। मुझे तो इस सदन में केवल इतना ही कहना है कि जिस समय हम लोग यहां आये थे उसी समय पहिले ही सेशन में हमने खाद्य समस्या पर विचार करने के लिये प्रार्थना की थी। उस समय खाद्य मंत्री जी ने यह फरमाया था कि कुछ कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से अगर इस वक्त विचार किया जायगा तो वे कठिनाइयां बढ़ जायेंगी, खासतौर से प्रोक्योरमेंट (संग्रह) में दिक्कत पड़ेगी। इसलिये इस पर विवाद न किया जायगा। असेम्बली की जो दूसरी बैठक हुई वह काफी अर्से तक चली। उसमें भी हम लोग इस बात पर जोर देते रहे। इस बीच में भी हमने चाहा कि सदन के सभी सदस्यों को इस पर विचार करने का मौका मिल जाय और जानकारी हासिल करने का भी अवसर मिल जाय लेकिन इसमें हम कामयाब न हो सके और पूरा सेशन समाप्त हो गया। आखिर दिन हमने सदन के सामने एक कामरोको प्रस्ताव पेश किया लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उसी दिन सदन का अधिवेशन समाप्त हो गया और १८ तारीख मुकर्र हुई। अब मेरा यह कहना है कि अगर सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया होता तो जो हालत आज पैदा हो गई है वह हालत आज पैदा होती ही नही।

अध्यक्ष---माननीय सदस्य उसके विवाद में न जायं। माननीय मुख्य मंत्री ने जो सुझाव दिया है उसके संबंध में उन्हें जो कुछ कहना है वह कह सकते हैं या उनको कोई आक्षेप-हो तो वह कह सकते हैं। पुरानी बहस को इसमें छेड़ना ठीक नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया जाय। लेकिन इस कामरोको प्रस्ताव से ही यह मसला हल नहीं होता और उसके बाद भी माननीय खाद्य मंत्री का यह प्रश्न बाकी ही रहता है उस पर पूरे तौर से विचार तो करना ही होगा। सरकार ने कुछ गलतियों की हैं, सरकार के अधिकारियों ने ऐसी गलतियां की हैं जिनकी पुनरावृत्ति बंगाल के अकाल के बाद यू० पी० में ही हुई है। ऐसी हालत में मैं इन चीजों पर जोर देना चाहता हूं। मैं यह जान रहा था कि इस बीच में सरकार की तरफ से इंक्वायरी होगी, मैंने भी समझा कि मुझे भी जाना चाहिये और मैं उन जगहों पर गया जहां से रिपोर्टें मेरे पास आई थीं। मैंने देखा है और मैं ही नहीं माननीय निहालुद्दीन साहब भी जाकर देख आये हैं। अतः मैं यह चाहूंगा कि उन सारी चीजों को सदन की जानकारी में ले आऊं।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)---आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब बजट अधिवेशन आया तो ७ जुलाई जबकि गैर सरकारी दिन इस कार्यक्रम में शामिल किया गया तो हमारे आदर्णीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन भी इस बात को कहा था कि बजट सेशन खत्म हो जाने के बाद पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या पर विचार किया जायगा और आज जब कि हमारे आदर्णीय स्पीकर महोदय ने जानने की कोशिश की और जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार की ओर से इस समस्या पर कब विचार किया जायगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जमींदारी उन्मूलन के संबंध में जो रूल्स पेश होने वाले हैं उनके पास हो जाने के बाद इस पर विचार किया जायगा। मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या के बारे में अभी अविलम्ब विचार होना चाहिये। इस सम्बन्ध में पब्लिक का बहुत बड़ा आक्षेप है सरकार के ऊपर भी और इस सदन के सम्मानित सदस्यों के ऊपर भी। बहुत जगह लोग यह समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जब पूर्वी जिलों की खाद्य सदस्या इतनी विकट हो गयी है और यहां तक कि कुछ समाचार पत्रों में भी यह बात आयी है, आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर १५ दिन के अन्दर समुचित प्रबंध नहीं हुआ तो बड़े व्यापक पैमाने पर मृत्यु होने लगेंगी। जब वहां की समस्या इतनी विकट

हो गयी है तब मैं समझता हूं कि बिना एक मिनट का विलम्ब किये हुये इस पर विचार होना चाहिये, अन्यथा हम अपने कर्त्तव्य से च्युत होंगे। हमारा कर्त्तव्य बतलाता है कि हम माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करें कि इस समस्या पर पहले विवाद किया जाय। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अविलम्ब बिना एक मिनट देर किये हुये जल्द से जल्द पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या के संबंध में इस सदन को विचार करना चाहिये।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष—मैं और लम्बी इस सम्बन्ध में कोई बहस करने की इजाजत नहीं देता।

श्री राज नारायण त्रिपाठी—इससे आपको मदद मिलेगी।

अध्यक्ष—मैं नियम की मदद स्वयं ले लूंगा।

मैं सदन के सामने इस नियम को थोड़ा सा पढ़ देता हूं जिसमें जरा स्पष्टीकरण हो जाय कि ऐडजर्नमेंट मोशन के लिये जो रुकावट है वह केवल यह है।

"The motion shall not anticipate a matter which has been previously fixed for consideration. In determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, the Speaker shall take into consideration the probability of the matter anticipated being brought before the Assembly within a reasonable time."

[प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले ही से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो। यह निश्चय करने के लिये कि विषय के पहले से विचारार्थ रखे जाने के कारण चर्चा अनियमित है या नहीं, अध्यक्ष पहले से रखे गये विषय की उचित समय के भीतर सभा के सामने आने की सम्भावना का ध्यान रखेगा।]

और भी रुकावटें हैं लेकिन वे इसमें लागू नहीं होती हैं क्योंकि यह बहुत महत्व का विषय है और डेफिनिट भी है, ऐसी अवस्था में ऐडजर्नमेंट मोशन के लिये मैं इजाजत दे देता यदि इसके ऊपर विचार करने के लिये, आज के कार्यक्रम में यह नहीं रहता कि खाद्य मंत्री जी इस पर विचार करने के लिये प्रस्ताव ला रहे हैं। यह बात बिलकुल सही है कि ऐडजर्नमेंट मोशन यदि पास भी हो जाय और स्वीकार भी कर लिया जाय तो केवल दो घंटे इसके ऊपर बहस हो सकती है। तो माननीय सदस्य जिन्होंने कि कामरोको प्रस्ताव लाया है उनके उद्देश्य की पूर्ति इससे अधिक होती है कि इसके लिये किसी एक दिन पूरा दिन मिल जाय। इस पर बहस करने के लिये जब खाद्य मंत्री जी भी वह दिन देना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं रहती। अगर आवश्यकता केवल यह समझी जाय कि कामरोको प्रस्ताव पेश करने के बाद अगर उसमें सरकारी पक्ष की हार हो सकती हो तब तो इसकी आवश्यकता जरूरी होती है लेकिन अगर बहस करना है तो यह मौका जो बहस के लिये दे रहे हैं वह उचित है। क्योंकि कामरोको प्रस्ताव यदि आज पेश भी हो तो भी यह हो सकता है कि काफी आदमी ऐसे न हों जो उसके पक्ष में वोट दे सकें यानी उसके पेश करने के लिये खड़े हो सकें, तो कामरोको प्रस्ताव गिर सकता है। ऐसी अवस्था में माननीय सदस्य का उद्देश्य तो पूरा नहीं हो सकता है। यह असम्भव सा दिखायी देता है, ऐसी अवस्था में उचित होगा, उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि इसके ऊपर जोर न दें।

एक बात जरूर ऐसी है जिसमें कि अल्पसंख्यक लोगों की मांग उचित है कि इस प्रश्न के विवाद के लिये निश्चित दिन तय कर लेना चाहिये। नियम में अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि प्रस्ताव के विषय पर विवाद के लिये जो समय निश्चित हो वह समय उचित और शीघ्रता पूर्वक हो। इस प्रश्न के संबंध में समय चूंकि बहुत बीत चुका है और अगर इस

[अध्यक्ष]

पर निर्भर रहा जाता है कि जमींदारी उन्मूलन के जो नियम हैं उनके ऊपर विचार कर लेने के बाद खाद्य समस्या पर विवाद संभव है, तो जो संशोधन उन नियमों के संबंध में आये हैं उनके फैसले में दो की बजाय चार रोज लग जायं, पांच रोज लग जायं, इसलिये मैं इस बारे में जरूर कहूंगा कि सरकार की तरफ से कोई निश्चित दिन खाद्य समस्या पर विवाद के लिये मुकर्रर हो जाय, चाहे जमींदारी उन्मूलन नियम समाप्त हों या न हों, एक रोज उसके लिये अगर सुरक्षित हो सके तो अच्छा है। अगर वह कोई दिन निश्चित कर सकें तो वह अपनी घोषणा कर दें। उसके ऊपर मैं विचार कर सकता हूं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैंने कुछ संकेत यह भी दिया था कि इससे आगे मैं नहीं चाहूंगा। मैं जरा नियमों के पूरे होने की बात को भी उससे मिलाना चाहता था, ताकि नियमों के बहस मुबाहिसे में ज्यादा समय न लगे और सब की कोशिश यह हो कि उस दिन से पहले यह उनका वाद विवाद खत्म हो जाय। परन्तु हर हालत में २१ तारीख को इस बारे में वाद विवाद हो जाय।

जो बातें कही गयीं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। इस बात को यहां सब मानते हैं कि हमारे लिये यह बड़े दुख की बात है कि हमारे भाइयों को पूर्वी जिले में कष्ट हो रहा है और यह भी है कि उसके लिए हम सबको विचार करना चाहिये और जो भी उपाय हो सके करना चाहिये। उसमें किसी की तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिये। कोताही होना ऐसे मसले में जो कि जीवन मरण का प्रश्न है बहुत गलत बात है। मगर इसकी तुलना किसी बंगाल फेमिन (अकाल) से करना यह मैं समझता हूं कि कार्य को सफल बनाने की बात नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होता है।

जहां तक बजट के वादविवाद की बात थी वह तो यह थी कि बजट के जमाने में तो सब को मौका मिला था कि जिस बात को आवश्यक और अहम समझें उसके बारे में कहें और लोगों ने कहा भी। इसलिये बजट के बाद ही फिर यह अधिवेशन शुरू हो गया। अब उसके बाद जो हम मिल रहे हैं और उस रोज यह कहा गया था कि ये नियम सबसे पहले १८ तारीख को इस सदन के सामने रखे जायेंगे। उसके अनुसार सदन के निर्णय को कार्यान्वित कर उसमें जितनी जल्दी हो सके, उस समय, २१ तारीख से बाद नहीं, यह विषय ले लिया जाय यह मैं चाहता हूं।

श्री राज नारायण—आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि जहां तक मैंने सुना ३१ उन्होंने कहा या २१.....यह स्पष्ट नहीं है। खैर, मेरे लिये तो एक मिनट भी इस विषय को टालना और ऐंडजर्नमेंट मोशन का रुकना पसंद नहीं होगा।

अध्यक्ष—२१ कहा।

श्री राज नारायण—तो मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम लोग पहले समझते थे कि १८ तारीख को इस सभस्या पर विचार अवश्य होगा और आगे सोशलिस्ट पार्टी के नेशनल एक्जेक्यूटिव २०,२१ और २२ को बनारस में मीट कर रही है और उस दिन मुझे भी जो कि सबसे पहले प्रस्ताव पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या के बारे में है, उसमें बनारस में रहना पड़ेगा। माननीय गेंदा सिंह को भी शामिल होना है उसके लिये मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को अगर आज लें तो निहायत अच्छा है। एक मिनट भी विलम्ब नहीं होना चाहिये। कल भी, माननीय गेंदा सिंह जो जिन्होंने ऐडजर्नमेंट मोशन रखा था रिडिस्ट्रीब्युशन आफ लैंड कमेटी की बैठक

में जिसमें विनोवा भावे जी की भी बात सम्मिलित है, जो बनारस में होने जा रही है, उसमें शामिल होने के लिये बनारस जायेंगे। इन सब के अलावा मैं एक मिनिट भी देर करना अब जनता के साथ घोर अन्याय समझता हूं।

इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह इतना बड़ा सवाल है कि इस सदन में चाहे हम इसको रोक दें, चाहे हम अपने कर्तव्य से च्युत हों, परन्तु जनता बैठने वाली नहीं है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सादर निवेदन करूंगा और करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वे इसमें विलंब न करें। आपके द्वारा मैं जानकारी के लिये माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन के जो रूल्स हैं वे जल्दी नहीं हो पायेंगे क्योंकि जो कमेटी बनी थी उनमें हम लोगों के कुछ फंडामेंटल प्वाइण्ट्स (बुनियादी बातों) पर डिफरेन्सेज बुनियादी (मतभेद) रह गये हैं और आज १० बजे से उसकी मीटिंग होने वाली थी। वह भी नहीं हुई। तो मैं आदरणीय स्पीकर महोदय आप के जरिये यह बताना चाहता हूं कि शायद २१ तारीख माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी लिये रखी है कि दो तीन दिन के अन्दर जमींदारी से संबंधित जो नियम बने हैं.....

अध्यक्ष—वह तो उन्होंने जवाब दे दिया कि २१ तारीख तक अगर नहीं खत्म होंगे तो भी २१ तारीख होगी।

श्री राजनारायण—इसलिये मैंने पहले जो दिक्कतें बतलायीं, उनके आधार पर मैं फिर सादर अनुरोध करूंगा कि उसको आज और कल ले लें और दो दिन बहस चलयें। उसमें हमारी भी बात आ जाती है और हमारे आदरणीय स्पीकर महोदय जिस लिये ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं ले रहे हैं वह भी मकसद सिद्ध हो जायगा।

अध्यक्ष—और किसी को इस विषय में कुछ कहना है?

श्री निहालुद्दीन (जिला बदायूं)—हुजूरवाला, दो चीजें हैं, एक तो हाउस के अन्दर मुबाहसा और दूसरे ऐडजर्नमेंट मोशन के ऊपर इजाजत देना या न देना। जनाब ने जो अभी रूल पढ़ा उसके मातहत अगर गवर्नमेंट की तरफ से उस मसले पर कि जो ऐडजर्नमेंट मोशन में आया है कोई तारीख मुकर्रर हो चुकी हो एडजर्नमेंट मोशन के आने से पहले, तो यह है कि हुजूर उसको डिसएलाऊ कर सकते हैं, मगर आइन्दा की उम्मीद पर कि इस मसले के ऊपर हाउस में डिबेट (विवाद) होगा मेरे नजदीक कानूनन ऐडजर्नमेंट मोशन डिसएलाऊ नहीं किया जा सकता। दो चीजें हैं एक डिबेट और दूसरे ऐडजर्नमेंट मोशन। ऐडजर्नमेंट मोशन के लिये देखना यह है कि वक्त के लिहाज से जरूरी और फौरी कुछ ऐसी बातें हैं जो उसमें कहनी हैं और वह मेरे नजदीक सब पूरी हो रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उनकी जरूरत महसूस की जा रही है और वह कुछ कर रही है। मैं इस वक्त इसको मंजूर नहीं करूंगा। मैं जो देख कर आया हूं उसमें यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से काम हो रहा है। अगर कुछ सुझाव हम लोगों की तरफ से भी जांय तो बेहतर होगा और मेरे नजदीक बहुत कुछ मुश्किलें उससे दूर हो सकती हैं।

यह कि यहां भुखमरी है या नहीं है, यह सवाल वह नहीं रहा कि जिसके ऊपर दो रायें हो सकें। आपके मुल्क का एक जिम्मेदार आदमी, मिस्टर शिब्बन लाल सक्सेना १५ अगस्त से फाका कर रहा है महज इसी मसले के ऊपर कि जो कुछ बातें वह कह रहा उसमें गवर्नमेंट उसे झूठा बता रही है। उसके पास वाकयात हैं जिनसे वह कहता है कि मैं सच्चा हूं। यह चीजें ऐसी हैं कि अगर आप दो घंटे भी हमें मौका दे दें, तो लम्बी तकरीरों की जरूरत नहीं है, मेरे पास दस बारह सुझाव हैं, वह मैं रख दूंगा और दूसरे साथी अपने सुझाव रख देंगे उन पर अमल करना या न करना आप का काम है। आप की तरफ से अगर कोई चीजें हों तो आप उनको बयान कर दें। कोई डिबेट की सूरत हम अख्तियार करना नहीं चाहते, बल्कि कांक्रीट और अमली कुछ सुझाव हैं जो सामने रख देंगे, उनपर आप अमल कीजिये या न कीजिये

[श्री निहालुद्दीन]

यह आप का काम है। ऐसी सूरत में बीच का रास्ता अख्तियार किया जाय, ताकि आप का भी काम चलता रहे और हम लोगों को भी अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका मिल जाय।

अध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी को जो प्रार्थना है, उस विषय पर सरकार को कुछ कहना है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—बात यह है कि जहां तक निहालुद्दीन साहब की बात है कि कुछ सुझाव देने हैं तो मैं आज ही इस बात के लिये तैयार हूं कि कुछ साहब आ जायं और हम लोग बैठें और एक प्राइवेट कांफ्रेंस कर लें और उसमें अगर उनको कोई सुझाव देना हो तो दें। अगर उनका मतलब सिर्फ यह है कि हम कोई कांस्ट्रक्टिव काम करें और बहस मुबाहिसा की कोई ऐसी बात न हो तो मैं स्वागत करूंगा कि कोई सुझाव दे दें। सेशन खत्म होने के बाद हम बैठ सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं और जो कोई सुझाव हों उन पर विचार कर सकते हैं।

जहां तक तारीख का संबंध है, मुझे कोई ऐसी तारीख रखना भी पसन्द नहीं है कि जिसमें राज नारायण जी को या उनके साथियों को कोई असुविधा हो। मगर मैं देखता नहीं कि इसके आगे कैसे हो। अगर वे समझें तो २३ तारीख को हो सकता है। मगर २३ तारीख को तो और देर हो जायेगी। इसलिये मेरी समझ में कोई बात आती नहीं। अगर २० तारीख को भी आप लोगों को सुविधा हो तो मैं देखूं कि २० को भी हम कर सकते हैं या नहीं। कल तक मैं इसकी सूचना दे दूंगा कि २० को होगा या २१ को, आप लोगों से बातचीत करके कि कौन सी तारीख अच्छी हो सकती है। मगर उससे आगे तो संभव नहीं हो सकता है। मगर मैं चाहता हूं कि जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, इसमें किसी को कोई दिक्कत न हो।

अध्यक्ष—(श्री राज नारायण जी से) तो २० को आप उचित समझते हैं ?

श्री राजनारायण—आदरणीय स्पीकर महोदय, मैंने पहले ही आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निहायत अदब के साथ अर्ज किया था कि २०, २१ और २२, इन तारीखों पर हमारी नेशनल एक्जीक्यूटिव मीट कर रही है और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि इस बहस में हम भाग न ले सकें, क्योंकि हमको भी उसमें शामिल होना है और माननीय गेंदा सिंह जी को भी शामिल होना है और जो विषय कि अर्जेंट है पब्लिक इम्पार्टेंस का है और आवश्यक है उसके लिये एक मिनट भी विलम्ब करना नियम का उपहास करना है और पब्लिक के जीवन के साथ खेल करना है।

अध्यक्ष—इस हिसाब से तो २५ आती है।

श्री राज नारायण—आज और कल, दो दिन मैं चाहता हूं।

अध्यक्ष—तो आज और कल मैं माननीय खाद्य मंत्री जी, आप प्रस्ताव लाना पसन्द करेंगे ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जो तारीख अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतायी है उससे पहले कोई प्रस्ताव लाना संभव नहीं है, क्योंकि कई बातें उस प्रस्ताव में यहां उपस्थित करनी पड़ेंगी। अभी शिब्बनलाल जी का जो स्टेटमेंट अखबार में निकला है, उसमें कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हैं कि फलाने-फलाने व्यक्ति अमुक गांव में भूख से मर गये। इसके संबंध में जो रिपोर्ट हमें प्राप्त करनी है, वह अभी पूरी हमारे पास नहीं आयी है कि किस गांव में कौन व्यक्ति किस प्रकार से मरा ; थोड़ी बहुत कई स्थानों की रिपोर्ट हमारे पास आ गयी हैं मगर कुछ अभी बाकी हैं। हमारा यह विश्वास है कि वे परसों तक

हमारे पास आ जायंगी। इस तरह से, २१ तारीख को, खाद्य समस्या के संबंध में जिन बातों का जिक्र अखबारों में किया गया है और जो बातें समय समय पर यहां कही गयी हैं, उन पर बहस संभव हो सकेगी इन रिपोर्टों के आने पर ही हम पूरे तौर से इस विषय पर बहस कर सकते हैं।

अध्यक्ष—जहां तक नियम का संबंध है, माननीय निहालुद्दीन साहब ने कहा कि ऐंटीसिपेशन जो होना चाहिये वह प्रीवियसली फ़िक्स्ड कोई सब्जेक्ट हो। "Anticipated matter which has been previously fixed for consideration" (प्रत्याशित विषय जो विचारार्थ पहले नियत कर दिया गया है।) यह जो मैंने पढ़ कर सुनाया था उस दृष्टि से उन्होंने यह बात कही। वैसे तो अध्यक्ष को यह अधिकार है कि ये सब रेस्ट्रिक्शन्स न रहते हुये भी अगर कोईभी कामरोको प्रस्ताव हो तो उसको स्वीकृति न दे। यह नियम के शुरू में ही दिया हुआ है। मैंने तो इसलिये इसको सुनाया था कि इसका मैं आसरा ले लूं कि कोई उचित और निश्चित दिन सरकार द्वारा इस विवाद के लिये नियत हो जिसमें कि जो अल्पमत की पार्टियां हैं उनका कहना कि इस संबंध में जल्दी विवाद हो वह शीघ्रता हो जायगी और शीघ्रता करने में सरकार की तरफ से, मैं देखता हूं कि किसी क़िस्म की कोताही नहीं की गयी। अधिक से अधिक शीघ्र करने के लिये उन्होंने २० तारीख को मंजूर करने की भी अपनी इच्छा प्रगट की। ऐसी अवस्था में जब प्रश्न विचार करने के लिये आने ही वाला है और इसमें पूर्वी इलाकों की समस्या भी आजायगी। उसके ऊपर अच्छी तरह से दिन भर बहस हो जायगी, इसलिये मैं इजाजत नहीं देता हूं कि यह काम रोको प्रस्ताव पेश किया जाय। सोशलिस्ट पार्टी के नेता का कहना है कि उनको बाहर जाना है यदि वे इस काम को अधिक महत्व का समझते हैं तो कुछ सज्जन यहां पर रह सकते हैं मैं समझता हूं कि महत्व के प्रश्न ऊपर के विचार करने के लिये, अगर वे महत्व का समझते हैं, तो ऐसी अवस्था में उन्हें भी इसके महत्व को देखते हुये इस पर विचार कर लेना चाहिये और जो दिन गवर्नमेंट ने निश्चय किया है २० या २१ उसकी मुझे पूर्व सूचना सरकार दे दे मैं समझता हूं, कि अंतिम तारीख २१ होगी। २० को यदि संभव हो सके तो सरकार की तरफ से इस संबंध में प्रयत्न होना चाहिये। अगर किसी वजह से न हो सके तो २१ तारीख को पहला विषय प्रश्नों के बाद यही रहेगा और उस दिन और विषय नहीं लिये जायेंगे। इस निश्चय को दृष्टि में रख कर मैं कामरोको प्रस्ताव के पेश करने की इजाजत नहीं देता हूं।

इसी किस्म का एक और प्रस्ताव श्री झारखंडे राय साहब का है। वह भी पूर्वी इलाके में जो परिस्थिति है उसके संबंध में है। उसमें सक्सेना जी के अनशन का भी जिक्र आया है और चूंकि इस संबंध में निर्णय हो चुका है कि २० या २१ तारीख को इस विषय पर विवाद होगा इसलिये इस कामरोको प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं देता हूं। मैं समझता हूं कि सक्सेना जी का जो प्रश्न नया इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है उस संबंध में मैं उनकी आदत जानता हूं काफी दिनों तक उनके जीवन पर खतरा भी नहीं हो सकता है और दो दिनों में तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिये मुझे कोई अर्जेंसी नहीं मालूम होती है कि जिसके कारण कि कोई अन्तर अपने निर्णय देने में करूं।

कानपुर आदि नगरों में साम्प्रदायिक अशांति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री नारायण दत्त जी तिवारी का है कि "विगत कुछ दिनों में कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, आदि प्रदेश के मुख्य केन्द्रों में साम्प्रदायिक शांति भंग होने से उत्पन्न असाधारण परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्यक्रम स्थगित करता है।"

[अध्यक्ष]

यह संभव ह कि उनका संकेत अमृत पत्रिका में जो कुछ छपा है और उसके बाद कुछ मुजाहिरे हुये उसकी तरफ हो। अगर यह है तो मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है उसके शब्द उचित नहीं हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि साम्प्रदायिक शांति भंग होने से उत्पन्न हुई परिस्थिति यानी कोई साम्प्रदायिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिस पर विचार करना है। वास्तव में बात यह है कि ऐसी कोई परिस्थिति कहीं नहीं उत्पन्न हुई है। यह अनिश्चित और वास्तविकता को छोड़ कर प्रश्न उपस्थित किया गया है। इसलिये इसे अवैध करार देता हूं और इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि इसको पेश किया जाय।

पूर्वी जिलों की खाद्य-समस्या से सम्बद्ध सरकारी नीति के विरोध में समाजवादी दल द्वारा सभा-त्याग

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मुख्य मंत्री और सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बतला देना अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं कि पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या के बारे में सरकार की नीति सदा से छिपाने वाली रही है, टालने वाली रही है, वरना इतने बड़े महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य के लिये एक मिनट का विलम्ब करना कोई भी पसन्द नहीं करेगा, दो चार दिन की बात तो छोड़ दीजिये।

अध्यक्ष---आप कृपा करके अपने स्थान पर स्थानापन्न हो जांय क्योंकि मैं इस प्रकार की बहस की इजाजत नहीं देता।

श्री राज नारायण---इतना कह देने के बाद मैं सदन की आज की कार्यवाही में सम्मिलित होना नहीं चाहता हूं। इसलिये मैं अब बाहर जाना ही श्रेयस्कर समझता हूं और आज जब कि पूर्वी जिलों में अकाल के गाल में जनता चली जा रही है तो एक एक मिनट का विलम्ब भी हमारे लिये बरदाश्त के बाहर है। मैं निहायत अदब के साथ आपकी रूलिंग के प्रति आदर का भाव रखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार को बतलाना चाहता हूं कि अगर सरकार धांधली, हठधर्मी और वस्तुस्थिति को छिपाने वाली नीति को अपने बाहुल्य के बल पर कार्यान्वित करने की कोशिश करेगी तो यह हमारे लिये असह्य चीज होगी। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ आपके सामने नतमस्तक होते हुये समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिये कि अब परिस्थिति वह आ गई है कि एक दिन, दो दिन या चार दिन की बात छोड़ दें, एक मिनट भी पूर्वी जिलों के संबंध में जो सुझाव हमने दिये हैं उनको सदन के सामने नहीं रक्खा जाता है और उन पर विचार विनियम नहीं होता है तो आम जनता काल के गाल में चली जायगी। इसलिये कामरोको प्रस्ताव पर वादविवाद होना चाहिये और बाद में आवश्यकता हो तो बहस बढ़ायी भी जा सकती है।

अध्यक्ष---माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात के औचित्य पर विचार कर लें। जहां तक इस संबंध में फैसला हुआ मैंने यह देखा कि सरकार की तरफ से कोई छिपाने की बात नहीं की गई। उन्होंने समय दिया और मुझे जहां जरा भी देरी होने की शंका मालूम हुई, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री का अन्दाजा है कि जमींदारी उन्मूलन रूल्स पर बहस हो और वह दो रोज में समाप्त हो जायेगी, लेकिन मुमकिन है कि उसमें दो रोज, चार रोज या ८ रोज लग जायं और उनका अन्दाजा गलत साबित हो सकता है दो रोज में समाप्त होने का, इसलिये मैंने उसको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया और २० या २१ तारीख का मैंने संकेत करा दिया और सरकार ने भी उसको मंजूर किया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार इसमें कुछ छिपाना या देर करना नहीं चाहती है। जो कामरोको प्रस्ताव आया है उसका उद्देश्य भी मैंने समुचित रूप से समझा और अपना यह कर्त्तव्य समझा कि जनता का हित हो सके अतएव अच्छी तरह से और समुचित रूप से दिन भर इस प्रश्न पर बहस हो, न कि मैं कामरोको प्रस्ताव के पेश करने की इजाजत दे दूं। क्योंकि उसके द्वारा केवल थोड़ा सा समय माननीय सदस्य ले लेते लेकिन वह

पास ही हो जाता इस बारे में भी मुझे अन्देशा था और उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये कि वह पास नहीं हो सकता था। ऐसी अवस्था में इससे अधिक और उचित समय सदन को मिल जायगा और सरकार भी इस पर राजी हो गई है। ऐसी अवस्था में उन्हें क्रोधवश या किसी जोश में आकर मैं समझता हूं कि यह कदम उठाना उचित नहीं है लेकिन उन्हें इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह जो तरीका एक दल विशेष की हैसियत से उचित समझें इस पर प्रोटेस्ट करना उचित समझें तो मेरी तरफ से उसमें कोई बाधा नहीं होगी लेकिन वह उसके ऊपर पुनर्विचार कर लें, ऐसा मैं चाहता हूं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम आपकी बात सुनते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम कोई ऐसा अप्रिय कदम न उठायें जिससे आपको या सदन के किसी माननीय सदस्य को हमारे किसी काम से ठेस पहुंचे। लेकिन हमारी भी बेबसी है। जैसी आपने अपनी राय जाहिर की कि शिब्बन लाल जी की आदत से हम वाकिफ हैं और दो या तीन रोज के फाकेकशी से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है यह सही हो। किसी जमाने में, सरदार जी आज नहीं हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट में ऐसी बात कही थी कि स्वास्थ्य लाभ करने के लिये भी फाकाकशी करने की जरूरत होती है। इस बात को स्वागत के ख्याल से किसने पढ़ी और सुनी इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, शिब्बन लाल जी की बात छोड़ दी जाय और उसको छोड़ने के बाद मैं स्वयं देख कर आया हूं और मैं समझता हूं कि आज अगर इस कामरोको प्रस्ताव पर विचार किया जाता तो उसकी खबर जिले के अधिकारियों पर होती और जो जिले के अधिकारी आज सरकारी हुक्मों को तामील करने के बजाय उल्टा काम करने में अपनी शान समझते हैं शायद उनके दिल पर कुछ असर पड़ता और वे इस सदन की प्रतिक्रिया से अपने को बदलने की कोशिश करते। कुछ गलतफहमी यह हो रही है कि हम कामरोको प्रस्ताव पर जब आज जोर देते हैं तो उसका अर्थ यह है कि खाद्य मंत्री जी की तरफ से आज जो एक प्रस्ताव आया है खाद्य समस्या पर विचार करने के लिये उसका हम स्थान ले लेना चाहते हैं, ऐसा हरगिज हमारा मंशा नहीं है।

इस कामरोको प्रस्ताव पर मैं जो जोर देता हूं वह इसलिये देता हूं कि उस पर आज दो घंटे का समय मिल जाय। जो आपने दो घंटे का समय किसी दिन के लिये दिया है वह तो मिलेगा ही, लेकिन इस पर भी आज विवाद हो जाय और मैं समझता हूं कि माननीय चरण सिंह साहब जो दौरा करके आये हैं और उनके साथ रहने का मुझे जो अवसर मिला है, जो प्रतिक्रिया उन पर हुई है उसको वह इस हाउस के सामने रखें तो संभव है कि हालत में कुछ सुधार हो जाय। जो मरने वाले हैं मुमकिन है उनमें से कुछ बच जांय। इसलिये मैं ऐसी बात कहता हूं कि आज के लिये आप इस कामरोको प्रस्ताव को स्वीकृत दें और फिर मैं यह भी ठीक समझता हूं कि अगर कोई मीटिंग की बैठक हो तो उसको हम छोड़ सकते हैं और इस खाद्य समस्या पर विचार कर सकते हैं और अगर यह सदन चाहता है तो हम सारा काम उस पर विचार करने के लिये छोड़ सकते हैं। आप कोई तारीख इसके लिये रख लें २० या २१ जो भी आप मुनासिब समझें, लेकिन हमारी शर्त यही है कि इस कामरोको प्रस्ताव को नियमित करार देकर स्वीकार किया जाय।

अध्यक्ष--मैंने जो उचित था वह कह दिया और उसके विषय में फैसला हो चुका। उस निर्णय में अब कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है क्योंकि मैंने सब तरह से सोचकर ही वह निर्णय दिया था। अब मैं आगे का कार्यक्रम लेता हूं।

श्री राज नारायण--मैं एक मिनट का समय चाहता हूं अन्य आवश्यक विषय के संबंध में।

अध्यक्ष--नहीं, अब समय नहीं दिया जा सकता।

(इसके उपरान्त श्री राज नारायण तथा उनके दल के अन्य सदस्य सभा मंडप से उठकर बाहर चले गये।)

किंग एडवर्ड समाप्त सैनिटोरियम भुवाली की परामर्श-दात्री समिति के लिये विधान सभा के सदस्य निर्वाचित करने के संबंध में प्रस्ताव

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करें, उसके अनुसार किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष—इसी समय मैं यह भी सूचना देता हूं कि नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय २५ अगस्त, सन् १९५२ ई० को ३ बजे होगा ।

नाम निर्देशन की सूक्ष्म परीक्षा .. २६ अगस्त, १९५२ ई० को १।। बजे ।

नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि और समय .. २९ अगस्त, १९५२ ई० को ३ बजे ।

निर्वाचन तिथि और समय यदि आवश्यकता हुई तो ३० अगस्त, सन् १९५२ को ५ बजे विधान सभा मंडप में ।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कण्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैं उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरैरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ की, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२३ पर)

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२ पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२४ पर)

उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज असिस्टैंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

अन्न मत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—मैं उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टैंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ पुरस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२५ पर)

कार्य के सापेक्ष क्रम में परिवर्तन

अध्यक्ष--आज के कार्यक्रम की जो संख्या ७, ८ और ९ है उस के संबंध में जो यह तीन विधेयक हैं वह अभी टेबिल पर नहीं रखे गये हैं। ऐसी इत्तिला मेरे पास आई है। इस लिये यह अभी नहीं लिये जायेंगे और इनको मैं बाद में रखे देता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार

अध्यक्ष--अब ९ जुलाई, १९५२ ई० को मेज पर रखी गई १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार होगा।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक आपत्ति पेश करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान नियम ११२ की ओर आकर्षित करता हूं। उसमें दिया हुआ है कि सभा के जिस उपवेशन में विधेयक पर विचार होना हो उससे यदि ३६ घंटे पूर्व किसी प्रस्थापित संशोधन की सूचना सचिव को न दी गई हो तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकता है। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी सदस्य को आपत्ति करने का अधिकार तो दिया गया है, परन्तु उस में यह आवश्यक रखा है कि सचिव के पास अगर ३६ घंटे पहले इत्तिला न गई हो तो इस का इण्टरप्रिटेशन (निर्वचन) आपके हाथ में है। हम लोगों को भी इत्तिला मिलना चाहिये कि राजस्व मंत्री जी कौन कौन से संशोधन नियमों में करना चाहते हैं।

अध्यक्ष--इस नियम का अंतिम भाग आप ने पढ़कर नहीं सुनाया कि "and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved."

[और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दे।]

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--मैंने पहले ही प्रार्थना कर दी कि यह कुल चीज अध्यक्ष महोदय के हाथ में है।

अध्यक्ष--मैं इजाजत दे रहा हूं क्योंकि भवन निश्चय कर चुका था कि १८ तारीख को, जो कमेटी सरकार बनावेगी उसके संशोधनों पर विचार किया जायगा। माननीय सदस्य स्वयं या उनके दल के लोग उस कमेटी में जरूर होंगे। तो उनको पहले ही नोटिस मिल गया कि क्या क्या चीज होने वाली है और उसी के अनुसार माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किये हैं वह कोई सरप्राइज या अचानक की चीज नहीं हैं। उस कमेटी के सामने वे आ चुके हैं। ऐसी अवस्था में उनको इजाजत देता हूं कि वह पेश कर सकते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--स्पीकर महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि नियम ३ के उपनियम ('ग') की पंक्ति ३ के शब्द 'रसीद' के बाद शब्द "तलाशी लेने के बाद शीघ्र ही उसी स्थान पर" बढ़ा दिये जायं। मैं देखता हूं कि राजस्व मंत्री जी का भी संशोधन इसी प्रकार का है तो मुझे आशा है कि वह इसे मान लेंगे।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ से भी ऐसा ही संशोधन है। केवल अंतर इतना है कि उन्होंने लफ्ज "शीघ्र" रखा है और मेरे संशोधन में 'तुरन्त' है। इन दोनों संशोधनों में वैसे तो कोई अन्तर है नहीं तो मुझे उनका संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं अपना संशोधन पेश नहीं करूंगा।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ३ के उपनियम (ग) की पंक्ति ३ के शब्द "रसीद" के बाद शब्द "तलाशी लेने के बाद शीघ्र ही उसी स्थान पर" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रणञ्जय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि नियम ३ निकाल दिया जाय। मेरी राय में जो बातें इस नियम में दी गई हैं, उनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें तो अच्छा है, अन्यथा मैं इसे वापस ले लूंगा।

राजा वीरेन्द्र शाह---यदि यह वापस होता है तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चरण सिंह---मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकर नहीं कर सकता।

अध्यक्ष---क्या माननीय सदन की यह अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ४ में प्रारम्भिक अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय---

"(१) ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिस के विषय में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी की गई है, निम्नलिखित प्रकार के ऐसे सभी वाद और व्यवहार, चाहे वे प्रारंभिक अवस्था, अपील या पुनरीक्षण के हों, जो निहित होने के दिनांक पर किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, और

(२) किसी डिग्री या आज्ञा से जब तक कि वह कोई ऐसी डिग्री या आज्ञा न हो जो निहित होने के दिनांक से पूर्व अंतिम हो गयी हो किन्तु उस के अन्तर्गत ऐसी डिग्री नहीं है जो वाद ऋणी की बेदखली द्वारा निष्पादित की जा सके, संबंध रखने वाली सभी कार्य-वाहियां (उस स्थिति को छोड़कर जब कि उनका संबंध वाद ऋणी की बेदखली से भिन्न किसी अन्य प्रकार से किसी वाद या व्यवहार में दिये गये वाद व्यय या प्रतिकर की वसूली से हो) स्थगित कर दी जायंगी।"

इसके संबंध में मुझे केवल यही कहना है कि जो पहिले का अनुच्छेद था वही रखा गया है केवल दो भाग कर दिये गये हैं, क्योंकि पहिले जो पैराग्राफ था वह बहुत लंबा था और जब पढ़ने वाला उसके अंत तक पहुंचता था तो वह पहिली बातों को भूल जाता था, इसलिये कमेटी में यह निश्चय हुआ कि इसके दो खंड कर दिये जायं। इन शब्दों के साथ मैं इसको पेश करता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ४ में प्रारंभिक अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय---

"(१) ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसके विषय में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी की गयी है, निम्नलिखित प्रकार के ऐसे सभी वाद और व्यवहार, चाहे वे प्रारंभिक अवस्था, अपील या पुनरीक्षण के हों, जो निहित होने के दिनांक पर किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, और

(२) किसी डिग्री या आज्ञा से, जब तक कि वह कोई ऐसी डिग्री या आज्ञा न हो जो निहित होने के दिनांक से पूर्व अंतिम हो गयी हो किन्तु उसके अन्तर्गत ऐसी डिग्री नहीं है जो वाद ऋणी की बेदखली द्वारा निष्पादित की जा सके, संबंध रखने वाली सभी कार्य-वाहियां (उस स्थिति को छोड़कर जब कि उनका संबंध वाद ऋणी की बेदखली से भिन्न

किसी अन्य प्रकार से किसी वाद या व्यवहार में दिये गये वाद-व्यय या प्रतिकर की वसूली से हो) स्थगित कर दी जायंगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि नियम ४ की पंक्ति १२ में "स्थगित कर दी जायंगी" के पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"खंड (१) से खंड (४) तक के अधीन फरीकैन की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समाप्त कर दिया जाय और खंड (५) व (६) के अधीन ।"

मेरा कहना यह है कि बजाय इसके कि एडजर्नमेंट किया जाय और उसके बाद उसको बुलाया जाय और तब वह समाप्त किया जाय इससे अच्छा तो यह होगा कि फरीकैन जब आयें उसी वक्त सुनवाई करके मामले को खत्म कर दिया जाय । गो कि मैं वकील हूं और यह समझता हूं कि इससे वकीलों को नुकसान होगा लेकिन जिसमें टाइम वेस्ट (समय नष्ट) न हो और पबलिक को फायदा हो इस लिये मैं यह रख रहा हूं । इस सुझाव में ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है । मैं निवेदन करता हूं । कि यह सुझाव मान लिया जाय ।

श्री चरण सिंह—जो अमेंडमेंट पेश किया गया है वह मुझे स्वीकार नहीं है । मैं उसका विरोध करता हूं और जो उनको डर है कि इससे बड़ा खर्चा होगा यह बिलकुल निराधार है ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ४ की पंक्ति १२ में शब्द "स्थगित कर दी जायंगी" के पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"खंड (१) से खंड (४) तक के अधीन फरीकैन की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समाप्त कर दिया जाय और खंड (५) व (६) के अधीन"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री विश्वनाथ सिंह गौतम (जिला गाजीपुर)—आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि नियम ४ के उपनियम (४) की पंक्ति २ में अंक '५५' तथा अंक '७०' के बीच अंक '५९–६०' बढ़ा दिये जायं ।

इसका विचार यह है कि जब कि हम लोगों ने यहां इस सदन में एक विधेयक पारित किया था कि २१ मई, १९५२ के बाद जितने पट्टे जमींदारों ने किये हैं और जिनकी रजिस्ट्री २१ मई, ५२ के बाद हुई है उसके बाद वह कार्यवाही हुई जिसको इस मर्तबा हमारे माननीय मौर्य जी ने जब हमारे जिले का दौरा किया था तो उनको भी पता चला कि जमींदारों ने काश्तकारों को पट्टा दिया था, बजाय पट्टा देने के दफा ५९ की कार्यवाही करा ली । इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि दफा ५९ की जितनी कार्यवाही हुई हैं वह सभी स्थगित कर दी जायं ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव पेश हुआ है इसका अर्थ यह होगा कि अगर यह स्वीकार किया जाय दो दफा ५९ के जो मुकदमें अदालत माल में, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जब अमल में लाया गया उसके पहले दायर किये गये वे भी स्थगित हो जायेंगे और बाद में अवेट कर जायेंगे । तो जो दफा ५९ के मुकदमे हैं जिसमें काश्तकार ने काश्तकार के खिलाफ या जमींदारी ने काश्तकारों के खिलाफ दायर किये हैं उनके फैसले फिर अदालत माल के बजाय अदालत दीवानी में भेज दिये जायं । तो यह मुनासिब नहीं मालूम होता है कि पहले के मुकदमे जो दायर हो चुके हैं और जिनपर काफी कार्यवाही हो चुकी है, जिन मुकदमों का काज आफ ऐक्शन पहले हो चुका है उनका फैसला अदालत माल करे । अभी बतलाया गया कि मेरे नोटिस में मेरे दौरे के सिलसिले

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

में यह बात लायी गई कि कहीं कहीं जमींदारों ने दफा ५९ के मातहत काश्तकारों से मिल कर उनको कुछ गलत अधिकार दे दिये हैं। मुझे यह बतलाया गया कि जब २१ मई के बाद जमींदारों का पट्टा रोक दिया गया तो कुछ काश्तकारों ने जमींदारों को फरीक बना कर अदालत में यह नालिशदायर कर दी कि अमुक जमींदार को काश्तकार डिक्लेअर (घोषित) कर दिया जाय। और जमींदार और काश्तकार ने आकर उसके बाद ही फौरन आदलत में सुलह-नामा दाखिल कर दिया, जमींदार ने इस बात की रजामंदी दे दी कि यह मेरा काश्तकार है चुनाचे इस प्रकार से उन्होंने मिलकर जमींदार और काश्तकार ने जो पट्टा रोकने का कानून यहां से पास हुआ उसको रद करने या उसके असर को खत्म करने की कोशिश की ऐसा मुझे बताया गया। यह हो सकता है कि कुछ काश्तकारों ने ऐसी नालिशें की हों। खाली जमीनों के बाद अपने को काश्तकार घोषित करने की जमींदार ने काश्तकार को तसलीम कर लिया हो अदालत में और अदालत से डिग्री बन गयी हो। उस वक्त जब २१ मई के बाद पट्टे रोकने का कानून इस भवन में उपस्थित हुआ था इस बात को किसी ने गौर भी नहीं किया होगा कि इस तरह से दफा ५९ की नालिश करके जमींदार और काश्तकार मिल कर अदालत से पट्टा करने के लिये एक कल्यूसिव (झूठी) डिग्री हासिल कर लेंगे और दफा ५९ के अनुसार वह जमींन का मालिक हो जायगा। ऐसी शिकायतें कहीं कहीं से जरूर आयीं कि २१ मई के बाद हालांकि पट्टे रोक दिये गये हैं लेकिन फिर भी जमींदार और काश्तकार मिल कर कोशिश कर रहे हैं कि उन को पट्टे कर दिये जायं और किसी तरीके पर इंदराज कर दिया जाय। लेकिन यह बात बिलकुल समझ में नहीं आई। मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो कि दफा ९५ में काश्तकारों ने नालिशें की हों और जमींदारों ने उन्हें तसलीम कर लिया हो और कल्यूसिव (झूठी) डिग्री उनको दे दी गयी हो। लेकिन आपके संशोधन से वह समस्या हल नहीं होती है। आप कहते हैं कि दफा ५९ और ९० के जो माल के मुकदमे हैं वे रोक दिये जायं, उससे आप का वह मतलब हल नहीं होता। फिर ५९ का इस्तकरारिया दीवानी में दायर हो सकता है। उसके रोकने से कोई नतीजा हासिल नहीं होता जो। कुछ उनके हकूक हैं वे अदालत माल में देखे जायेंगे। मैं नहीं समझता कि आपके इस प्रस्ताव से कोई फायदा पहुंचता है। यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं होना चाहिये।

श्री शिवनाथ सिंह गौतम (जिला गाजीपुर)—कहने की गरज यह है कि जो तनहा जमींदारों के खिलाफ दफा ५९ हुई थी उसमें फौरन सुलहनामा हो गया। लेकिन जिसमें ज्यादातर जमींदार थे और कुछ जमींदारों ने बन्दोबस्त चाहा, उसमें अभी तक सुलहनामा नहीं हुआ है। जो यह कहा गया कि कुछ मुकदमात हैं यह तो ख्याल है। एक एक अदालत में हजारों हजारों मुकदमे दाखिल हुये हैं और बहुत से ऐसे मुकदमे अभी पेंडिंग (निलम्बित) हैं। अगर यह संशोधन मान लिया जायगा तो जो हमारा पहले विधेयक का मकसद था वह पूरा हो जायगा और अगर नहीं माना जाता है तो जो २१ मई, सन् १९५२ ई० के बाद के पट्टे जात की जो बात कही गयी है उसका मकसद खत्म हो जायगा। लेकिन अगर ये मुकदमात स्थगित कर दिये जायेंगे तो ऐसी हालत में जब कि काश्तकारों को दीवानी में जाना पड़ेगा, तो अब जमींदार को कोई अख्तियार नहीं है कि दीवानी में जाकर उनको काश्तकार तसलीम कर ले। ऐसी हालत में हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अगर इस संशोधन को मान लें तो बहुत अच्छा है या नहीं मानते हैं तो फिर मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री चरण सिंह—मुझे खेद है कि माननीय सदस्य के सुझाव को मानने में मैं असमर्थ हूं।

श्री विश्वनाथ सिंह गौतम—मैं इसको वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ४ के खंड (४) की पहिली पंक्ति में अंक '१६' तथा अंक '५५' के बीच अंक '४६' हटा दिया जाय और खंड के अन्त में निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय, अर्थात्।

"तथा ठेकेदारों के विरुद्ध इसी प्रकार के वाद भी"।

अध्यक्ष—इसके संबंध में मेरे पास कुछ थोड़े से शब्द परिवर्तन के लिये आये हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्री के द्वारा उपस्थित किया गया है उसमें इस प्रकार संशोधन करना चाहता हूं कि जो अंतिम पंक्ति है "तथा ठेकेदारों के विरुद्ध इसी प्रकार के वाद भी" इसमें 'वाद' और 'भी' के बीच में 'व्यवहार या प्रार्थनापत्र' शब्द जोड़ दिये जायं। मैंने 'और' लिखा है। उसको "व्यवहार या प्रार्थनापत्र" कर दिया जाय।

अध्यक्ष—आपने "प्रार्थनापत्र और व्यवहार" लिखा था।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—"प्रार्थनापत्र या व्यवहार" कर दिया जाय। यह केवल मेरा एक शाब्दिक संशोधन है। यहां ये शब्द गलती से छट गये हैं। माननीय सदस्य देखेंगे कि ऊपर भी ये शब्द "प्रार्थनापत्र या व्यवहार" आये हैं। उसी प्रकार ठेकेदारों के लिये भी ये शब्द आने चाहियें। इसी की पूर्ति के लिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है और इसका कोई दूसरा खास असर नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष—क्या माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करते हैं?

श्री चरण सिंह—मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष—मैं संशोधित संशोधन को ही पेश करता हूं।

प्रश्न यह है कि नियम ४ के खंड (४) की पहिली पंक्ति में अंक '१६' तथा अंक '५५' के बीच अंक '४६' हटा दिया जाय और खंड के अन्त में निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"तथा ठेकेदारों के विरुद्ध इसी प्रकार के वाद, प्रार्थनापत्र या व्यवहार भी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ४ के वर्तमान खंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"(५) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८० के अधीन वाद, प्रार्थनापत्र और व्यवहार जिन के अन्तर्गत अपील, आभिदेश और पुनरीक्षण भी हैं, या इसी प्रकार के वाद, प्रार्थनापत्र और व्यवहार जो किसी दीवानी न्यायालय में विचाराधीन हों, उस स्थिति को छोड़ कर जब कि वादी कोई असामी हों अथवा जब कि कोई ऐसी भूमि किसी मध्यवर्ती की सीर, खुदकाश्त या बाग था, और जिसके संबंध में धारा १६ या किसी अन्य धारा के अधीन प्रतिवादी को अधिकार नहीं मिले थे।"

यह संशोधन अगर मंजूर हो जाता है तो नियम ५ में जो और खंड हैं, ३ से लेकर ७ तक, उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। जो कमेटी मुकर्रर हुई थी उसमें बहुत विचार करने के बाद सर्वसम्मित से यह बात मंजूर हुई थी। इससे बहुत सी उलझनें कम हो जायंगी। और जो खंड पहले था उसका जो आशय था वह भी इससे अच्छी प्रकार पूरा हो जाता है। जहां तक इसके शब्दों की व्याख्या का संबंध है, मैं समझता हूं गैरजरूरी है क्योंकि बहुत साफ है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ४ के वर्त्तमान खंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय---

"(५) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८० के अधीन वाद, प्रार्थनापत्र और व्यवहार जिन के अन्तर्गत अपील, अभिदेश और पुनरीक्षण भी हैं, या इसी प्रकार के वाद, प्रार्थना-पत्र और व्यवहार जो किसी दीवानी न्यायालय में विचाराधीन हों, उस स्थिति को छोड़ कर जबकि वादी कोई असामी हो अथवा जब कि कोई ऐसी भूमि किसी मध्यवर्ती की सीर, खुदकाश्त या बाग था, और जिसके संबंध में धारा १६ या किसी अन्य धारा के अधीन प्रतिवादी को अधिकार नहीं मिले थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखिल संशोधन पेश करता हूं---

"नियम ४ के स्पष्टीकरण का खंड (३) निकाल दिया जाय और खंड (४) को खंड (३) कर दिया जाय।"

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे, खंड ४ का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जो कर्जे हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का देय कोई ऋण और स्थानिक अधिकारिका, यानी लोकल अथारिटी का देय ऋण और तीसरे, अनुसूचित बैंक, यानी शेड्यूल्ड बैंक का देय ऋण। श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा मैं माननीय मंत्री से और भवन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि ऋण को कम करने के लिये या घटाने के लिये या बिलकुल साफ कर देने के लिये एक ऐसा प्रिंसिपिल सरकार मानती है कि वे जमींदार जो ऋण में थे और अब उनकी आमदनी घट गयी या जिस आस्थान पर वह ऋण था उस आस्थान की आमदनी घट गयी है तो ऋण भी स्केल डाउन (कम) होना चाहिये। श्रीमन्, जब यह उसूल मान लिया जाय तब मैं यह नहीं समझ पाता कि शेड्यूल्ड बैंक्स इससे क्यों अलग कर दिये जायं। प्रिंसिपल तो यह है जो कि सरकार मानती है कि ऋण को भी घटाना है जब कि प्रापर्टी का दाम या उसकी आमदनी घट गयी है। इसलिये मैं इस संशोधन द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके साथ शेड्यूल्ड बैंक्स को भी रखा जाय क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं मालूम होता कि शेड्यूल्ड बैंक्स का जो ऋण है वह तो वैसे का वैसा ही रहे और प्राइवेट इंडिविजुअल (व्यक्तियों) के ऋण घटा दिये जायं, क्योंकि जहां तक ऋण का उसूल है सरकार मानती है कि घटना चाहिये। इसलिये प्राइवेट इंडिवीजुअल और शेडुयूल्ड बैंक्स के ऋण में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। शायद मुझसे पूछा जाय कि सरकार का ऋण भी घटना चाहिये तो मैं निवेदन करूंगा कि वह भी घटना चाहिये परन्तु सरकार के ऋण में और शेड्यूल्ड बैंक के ऋण में मैं अन्तर समझता हूं और मान सकता हूं कि सरकार का ऋण वैसे ही रहना चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ शेड्यूल्ड बैंक्स का ऋण रखा जाना मैं उचित नहीं समझता हूं।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, जमींदार साहबान का जिनका कि जमींदारी हक लिया जा चका है और उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है तो उनकी कीमत के तनासुब से जितना मुआवजा कम पड़ता है उसी हिसाब से उनका कर्जा भी घट जाना चाहिये। यह न्यायोचित मांग है। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि अगर ऐसा हो जायगा तो उनको सहूलियत हो जायगी लेकिन यह जो उसूल है कि कर्जा घट जाना चाहिये यह कोई एब्सोल्यूट (अनिवार्य) नहीं है। इसमें यह भी देखना है कि इस तरह की मांग के स्वीकार करने से देश के आर्थिक ढांचे पर कोई धक्का तो नहीं पहुंचता है। कर्जा घट जाय तो इसके लिये तो मैंने स्वीकार किया कि उनकी यह मांग न्यायोचित है। लेकिन ऐसा कोई उसूल नहीं है कि हर

अवस्था में, हर समय और परिस्थितियों के बावजूद भी उसको लगाया जाय। इसलिये देश के हित को दृष्टि में रखते हुये अगर शड्यूल्ड बैंक्स के कर्जे को निकाल देते हैं तो एक तो वही चीज सामने आयेगी जिसको वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि अगर शेड्यूल्ड बैंक के कर्जे को हटाया जाय तो सरकारी कर्जे को क्यों न हटाया जाय और जो कर्जे हैं उन सब पर यह लागू होना चाहिये। इसमें किसी मसहलत के कारण या देश हित के कारण निकालने का तो स्वयं उनका कथन नहीं है। मैं मानता हूं कि सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक्स के कर्जे को निकाल दिया जाय। लेकिन आज के जमाने में बैंक्स के जरिये ही देश का सारा ढांचा खड़ा होता है। इसलिये अगर इनको नुकसान हुआ तो जनहित को नुक्सान हो सकता है। इसलिये माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री सुरेश प्रकाश सिंह ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने अभी मंत्री जो का उत्तर सुना और मझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वे मानते हैं कि जितनी हमारी जायदाद की कीमत कम हुई है वही ऋण में भी कमी होनी चाहिये। जब इस उसूल को मानते हैं तो यह कहना कि देश हित में या फाइनेंनशियल पोजीशन (आर्थिक स्थिति) को देखकर या किसी और कारणवश यह रखना जरूरी है, तो यह ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक दो बैंक ही ऐसे होंगे वे भी फारेन बैंक हो गये हैं, हमारे नहीं हैं। एक इलाहाबाद बैंक है, मैं समझता हूं कि जब लैंडेड प्रापर्टी पर किसी ने कर्जा दिया है तो हर एक के साथ एक सा उसूल होना चाहिये। कर्जा देने वाला समझता है कि लैंडेड प्रापर्टी पर कर्जा दिया जाय या न दिया जाय।

मैं सरकार से कहूंगा कि अगर आपने ऋण में कमी नहीं की तो बहुत से जमींदारों को तो प्रतिकर मिलेगा ही नहीं। इलाहाबाद बैंक तथा दूसरे बैंकों ने जो रुपया दिया है तो उन्होंने काफी मुनाफा कमा भी लिया है। ऐसी हालत में आपका उनके प्रति सहानभूति रखना कहां तक ठीक है और इससे देश को कुछ नुकसान होगा तो यह बात श्रीमन् हमारी समझ में आती नहीं है। हम लोगों का जो संशोधन है वह बहुत साधारण है। उसमें यह लिखा हुआ है कि जो कर्जे का बिल ला रहे हैं इसी वक्त उस पर निर्णय हो जाना चाहिये। इस नियम के द्वारा उनको एक्सक्लूड (बहिर्गत) कर देने से एक चीज निश्चित हो जाती है कि वह चीज़ उन पर लागू नहीं होगी, इससे हमें हानि होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि श्रीमान् इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री चरण सिंह---मुझे खेद है कि राजा साहब ने जो दलील दी उससे वह मुझे कंविन्स न कर सके और न उन्होंने कोई नई बात कही। अगर उनकी बात मानी जाय तो हर कर्जे को एग्जेम्प्ट (मुक्त) कर दिया जायगा लेकिन ऐसा वह खुद नहीं चाहते। इसलिये जो संशोधन है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करते हुये माननीय मंत्री जो ने यह कहा कि कोई उसूल एब्सोलूट (अनिवार्य) नहीं हो सकता और उनकी इस बात को पहले ही स्वीकार करते हुये कि कोई उसूल एब्सोलूट नहीं हो सकता मैंने इसलिये सरकार के कर्जे को निकाल दिया, क्योंकि इसके साथ अगर मैं सरकार के कर्जे को रखता तो सरकार मेरे इस संशोधन को किसी हालत में स्वीकार न करती और चूंकि कोई उसूल एब्सोलूट नहीं होता इसलिये मैं समर्थ हुआ था कि सरकार के कर्जे को इसमें न रखूं।

जहां तक इस बात का सवाल है कि इससे देश को आर्थिक धक्का पहुंचेगा, मैं नहीं कह सकता श्रीमान् कि यहां कहना उचित होगा या नहीं परन्तु कमेटी में मैंने पूछा था कि कोई आंकड़े हैं जिससे पता चले कि कितना रुपया शेड्यूल्ड बैंक्स का कर्जे में है जिससे देश को आर्थिक

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

धक्का पहुंच सकता है तो यह जवाब दिया गया और शायद यहां भी दिया जायगा कि बैंक्स इस पर तैयार नहीं हैं कि वे यह बतावें कि उनका कितना कर्जा यू० पी० में है। श्रीमान्, जब कोई आंकड़े न हों और सरकार उनको बतलाने में असमर्थ हो या बतलाना न चाहे तो यह कैसे मान लिया जाय कि कोई आर्थिक धक्का पहुंचेगा। हो सकता है आर्थिक धक्का पहुंचे लेकिन यहां पर हम कोई हाइपाथिटिकल (काल्पनिक) चीज नहीं ले सकते। हमारे सामने सीधे साधे आंकड़े होने चाहिये कि बैंक्स का इतना कर्जा है और अगर यह कर्जा निकाल दिया जायगा तो हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा आर्थिक धक्का पहुंच सकता है और उस धक्के को देखते हुये यह संशोधन मंजूर नहीं किया जा सकता, परन्तु मुझे खेद है कि ऐसे कोई आंकड़े हम लोगों के सामने नहीं हैं।

तीसरा कारण जिस वजह से मैं इस संशोधन को प्रेस कर रहा हूं वह यह है कि सरकार कई दफा बतला चुकी है कि वह एक डेट लेजिस्लेशन ला रही है और उसको वह इस सदन में उपस्थित करेगी। इस बिल में भी मुझे ऐसा संशोधन करना है। इस वजह से भी मैं इस संशोधन को वापस लेने में असमर्थ हूं और मैं इसको प्रेस करता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम (४) के स्पष्टीकरण का खंड (३) निकाल दिया जाय और खंड (४) को खंड (३) कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।---

पक्ष में---४

विपक्ष में---१९६)

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---श्रीमान् जी, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं। कि नियम ४ के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम ४-क तथा ४-ख बढ़ाये जायं।

"४-क यदि कोई डिगरी यकतरफा या फ़रीकैन के सामने धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक उसके बाज दायर या अपील की मियाद न समाप्त हुई हो तो अपील या बाज दायर का प्रार्थनापत्र दिया जा सकता है परन्तु उस अपील या बाज दायर की सुनवाई धारा ४ के अन्तर्गत होगी।"

"४-ख खंड ७ में दिये हुये ऋण जिसकी कि डिगरी हो चुकी हो और धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के दिन मियाद के भीतर हो या जिसकी डिगरी न ली गयी हो परन्तु ऋण वसूल करने की मियाद बाक़ी हो उसका प्रथम भार प्रतिकार पर होगा, और डिगरीदार या महाजन को प्रतिकार के फ़ाइनल होने के ६ मास के भीतर प्रार्थनापत्र अपने ऋण या डिगरी के रुपये पाने के लिये देना आवश्यक है।"

श्रीमान् जी, ४-क के मुताल्लिक मुझे यह प्रार्थना करनी है कि अगर ३० जून को या उसके दो, चार, दस रोज पहले कोई मुक़द्दमा फैसल हो गया हो या यकतरफ़ा हुआ हो। अगर इस में यह प्राविजन न किया जायगा तो वह क़तई हो जांयगे गो वह क़ानूनन क़तई नहीं हुये हैं, लेकिन इसके न रहने से वह चीज क़तई हो जायगी और जो मंशा है वह किसी तरह से पूरी न होगी। दूसरे के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि लोगों की डिगरी हैं या जिनके कर्जे हैं उनको वसूली की कुछ सुविधा मिल जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जो संशोधन का पहला अंश है उस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि अगर कोई वाद जो यकतरफा हो गया है उसकी दरख्वास्त के बारे में प्रस्तावक महोदय ने ऐसा सुझाव दिया और यह कि अपील करने की मियाद बाकी हो तो अपील

करने का मौका दिया जाय। ये दोनों बातें कोई माने नहीं रखतीं। वजह यह है कि जब हम इस प्रस्तावित नियम के अनुसार सभी अपील वाद जितनी भी प्रोसीडिंग्ज हैं उनको खत्म करना चाहते हैं तो वह स्थगित करने के बाद अवैध कर दिये जायेंगे जिनके संबंध में ऐसी बात है। तो उसमें इस बात की कौन आवश्यकता पड़ती है कि उसके लिये फिर अपील का मौका दिया जाय और दूसरी कार्यवाहियों के लिये मौका देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वैसे किसी को रोक नहीं है, वह अपील में भी जा सकता है।

दूसरा तरीका यह है कि जिसको कार्यवाही करनी हो वह दूसरी तरह से भी अख्तियार कर सकता है। लेकिन जिन धाराओं के मुकद्दमात अब तय होने वाले हैं उनके संबंध में किसी को यह सलाह देना कि वह अपील करे या कोई दूसरी कार्यवाही करे, यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। मैं यह साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मंशा यह है कि जितनी कार्यवाही नीचे से लेकर ऊपर तक हो वह सब अवैध हो जाती है इन धाराओं के होने से। तो ऐसी स्थिति में इस संशोधन का कोई महत्व नहीं रहता। संशोधन १९–क जो माननीय राजस्व मंत्री की तरफ से उपस्थित किया जाने वाला है उससे यह बात और साफ हो जायगी। दूसरे अंश पर डैट रिडैम्पशन (ऋण निष्क्रय) के समय विचार हो सकता है। कर्जे का जो कानून बनने वाला है उस समय यह सब बातें सोची जा सकती हैं। इसलिये ये दोनों संशोधन बेमानी हैं और उनको स्वीकृत नहीं होना चाहिये।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—उपाध्यक्ष महोदय, जो डिग्री हो गई है, उसमें कोई और कार्यवाही नहीं करनी है, सिर्फ डिक्लेरेशन की इस्तक़रारी डिग्री हो गई है, उसके लिये यह है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि मुकद्दमेबाजी बढ़े। मैं तो यह कहता हूं कि अगर कोई डिग्री ३० जून को हो गई है और मुद्दालय को बाज दायर करने का अधिकार नहीं है तो वह उसके अधीन मुल्तवी हो जायगी, मेरा मतलब यह नहीं है कि मुकद्दमेबाजी बढ़े। मैं तो यह चाहता हूं कि यदि ३० जून या उससे २,४ दिन पहले मुद्दालय के सामने या उसकी अदमहाजिरी में फैसला हो तो उस नियम का फायदा उसको भी मिल सके।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल नियम ४ और ५ जो रखे गये हैं वे किसी कानूनी मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि फरीक़ैन की सविधा की वजह से हैं। जनरल क्लाजेज ऐक्ट के सैक्शन ६ के रहते हुये एक प्रकार से नियम ४ और ५ ग़ैरजरुरी हैं। जनरल क्लाजेज के सेक्शन ६ के अधीन जिस आदमी को जो अधिकार हासिल है, अपील करने का या डिग्री जारी कराने का या फिर दावा दायर करने का या जो उसके राइट्स और आबलीगेशन्स (कर्त्तव्य) हैं वे किसी नये क़ानून की वजह से डिफ़ीट (निष्फल) नहीं होते। इसलिये मैं समझता हूं कि ये संशोधन अनावश्यक हैं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ४ के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम ४–क तथा ४–ख बढ़ाये जायं—

"४–क—यदि कोई डिगरी यकतरफा या फ़रीकैन के सामने धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक उसके बाज दायर या अपील की मियाद न समाप्त हुई हो तो अपील या बाज दायर का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है परन्तु उस अपील या बाज दायर की सुनवाई धारा ४ के अन्तर्गत होगी।"

"४–ख— खंड ७ में दिये हुये ऋण जिसकी कि डिगरी हो चुकी हो और धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के दिन मियाद के भीतर हो या जिसकी डिगरी न ली गयी हो परन्तु ऋण वसूल करने की मियाद बाकी हो उसका प्रथम भार प्रतिकर पर होगा, और डिगरीदार या महाजन को प्रतिकर के फाइनल होने के ६ मास के भीतर प्रार्थना पत्र अपने ऋण या डिगरी के रुपये पाने के लिये देना आवश्यक है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ५ के उपनियम (क), (ख) में आये हुये शब्द "नियम ४ के खंड (१) में खंड (४) तक के अधीन स्थगित प्रत्येक वाद या व्यवहार, चाहे वह आरंभिक अवस्था, अपील या पुनरीक्षण का हो" के स्थान पर "नियम ४ के खंड (१) के खंड (५) तक के अधीन स्थगित प्रत्येक वाद या व्यवहार चाहे वह किसी मूलिक न्यायालय (court of first instance) में या अपील में या पुनरीक्षण में विचाराधीन हो, अपील या पुनरीक्षण के साथ, यदि कोई हों" रख दिये जायं।

इस संशोधन का केवल तात्पर्य इतना है कि लोगों को एक जो भ्रम था कि जो वाद, अपील या और व्यवहारों में स्थगित होंगे तो किस स्टेज में स्थगित होंगे । इसमें वाद, व्यवहार और अपील जितनी भी कार्यवाही है वह पूरी की पूरी स्थगित होगी और अबेट करेगी तथा स्टे होने (रुकने) के बाद मुनासिब कार्यवाही होगी।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ५ के उपनियम (क), (ख) में आये हुये शब्द "नियम ४ के खंड (१) में खंड ४ तक के अधीन स्थगित प्रत्येक वाद या व्यवहार, चाहे वह आरंभिक अवस्था, अपील या पुनरीक्षण का हो" के स्थान पर "नियम ४ के खंड (१) से खंड (५) तक के अधीन स्थगित प्रत्येक वाद या व्यवहार, चाहे वह किसी मूलिक न्यायालय (Court of first instance) में या अपील में या पुनरीक्षण में विचाराधीन हो अपील या पुनरीक्षण के साथ यदि कोई हों" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि नियम ५ के उपनियम (क) से खंड (३) तथा (४) निकाल दिये जायं क्योंकि अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ५ के उपनियम (क) से खंड (३) तथा (४) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विश्वनाथ सिंह गौतम---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह संशोधन पेश करता हूं कि नियम ५ के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"परन्तु इस अवधि में वाद ऋणी कोई भी प्रतिकर या पुनर्वास का रुपया पाने का अधिकारी नहीं होगा"।

नियम ५ के ख में यह कहा गया है कि नियम ४ के खंड (६) और (७) में अभिदिष्ट व्यवहार १२ मास की अवधि के लिये स्थगित रहेंगे । इसको पेश करने का मतलब यह है कि यह नियम स्थगित रहें लेकिन इस दरमियान में अगर उनका प्रतिकर दे दिया गया तो फिर कुछ रुपया बाकी नहीं रह जायगा, जिससे कर्ज देने वालों का कर्ज वसूल हो सके । इसलिये मैंने आपके द्वारा यह प्रस्ताव रखा है कि इस संशोधन को मान लिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन लाया गया है उससे कोई भी इस अवधि में प्रतिकार या पुनर्वास का रुपया पाने का अधिकारी नहीं होगा। तो स्थगित रहने के संबंध में जैसा यह सुझाव है ३,४ निकल ही गया, ७-ख अपनी जगह पर है इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है ।

श्री विश्वनाथ सिंह गौतम--मैं अपना यह संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन चाहता हूं कि नियम ७ की पंक्ति ३ से शब्द 'या ५' निकाल दिये जायं तथा पंक्ति ६, ७ तथा ८ के शब्द "बनाने के लिये आज्ञा दे सकता है, यदि वह वाद या व्यवहार से सम्बद्ध सब बातों का प्रभावकारी और पूर्णरूप से निर्णय और निबटारा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे" के स्थान पर शब्द "बनावे" रखा जाय ।

इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये है कि अगर कोई मध्यवर्ती उसमें फरीक न रहे, हालांकि बोर्ड आफ़ रेवेन्यू की रूलिंग हो गयी है, उसके मुताबक फरीक रहेगा, लेकिन चूंकि उसका कोई खास मतलब न रहेगा इसलिये हो सकता है कि वह मुद्दई से मिल जाते । इस लिये गांव सभा का उसमें फरीक होना बहुत आवश्यक है और अगर गांव सभा फरीक न होगी तो मालिक की हैसियत से उस जमीन के मुताल्लिक उसको अधिकार हो रहा है उसके मुताल्लिक ठीक न होगा । इस वजह से मैं चाहता हूं कि ये शब्द जरूर बढ़ा दिये जांय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हूं कि जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह कुछ ग़लतफहमी पर है । नियम में स्पष्ट है कि गांव सभा को फरीक बनाने के लिये आज्ञा दे सकता है । " वाद या व्यवहार से सम्बद्ध सब बातों का प्रभावकारी और पूर्णरूप से निर्णय और निबटारा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे ।"

तो स्पष्ट तो दिया हुआ है और वही बात दूसरे रूप में यहां कही जा रही है। आप का संशोधन यह है कि बनाने के लिये आज्ञा दे सकता है वाद या व्यवहार से सम्बद्ध सब बातों का प्रभावकारी और पूर्णरूप से निर्णय और निबटारा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे।

मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी मंशा क्या है । दोनों में अन्तर क्या है ? मैं समझता हूं कि यह अगर जरूरत समझे तो उसको करे। यह भी है कि बनाने के लिये आज्ञा दे सकता है । तो मैं समझता हूं कि जो मूल नियम है और जो उसका मतलब है वह स्पष्ट है । वही ठीक है । आपकी बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--उसमें डिस्क्रेशन (स्वेच्छा) दिया गया है अदालत को कि चाहे तो बना सकती है चाहे तो नहीं । मैं चाहता हूं कि बनाना आवश्यक हो । आज कल जब कि यह है कि जल्दी से जल्दी मुकदमे फैसल किये जायं, जितने जुडीशल आफिसर्स हैं वे जल्दी से जल्दी मुकदमे फैसल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि मेरा यह अनुमान है कि शायद ही उसे बनायें। मेरा मतलब यह है और बहुत स्पष्ट है कि मैं चाहता हूं कि यह जो अल्फाज हैं उनके बजाय सिर्फ यह लिख दिया जाय कि बनावें। कोर्ट को डिस्क्रेशन (स्वेच्छा) न रहे बल्कि आपके नियम में लिख दिया जाय कि गांव सभा फरीक़ जरूर होगी।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--अध्यक्ष महोदय, ज्वाला प्रसाद जी ने जो संशोधन अभी पेश किया है उसमें जहां तक हम समझते हैं वह अदालत को मजबूर कर देना चाहते हैं कि गांव सभा को उसमें फरोक जरूर बनाया जाय, जब कि जो नियम सरकार की ओर से पेश किया जा रहा है, उसमें अदालत को डिस्क्रेशन दिया जा रहा है। उनका यह कहना बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है कि जुडीशल आफीसर्स बहुत जल्दी में मुकद्दमों को करने के लिये कोई कानूनी खामी उसमें रख छोड़ेंगे । जो मूल नियम है वह ज्यादा दुरुस्त है । यह संशोधन जो पेश किया गया है, यह दुरुस्त नहीं है ।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जैसा कि अभी मेरे एक माननीय मित्र ने बतलाया अदालत के हाथ बांध देना और यह कहना कि लाजिमी तौर से

[श्री चरण सिंह]

गांव सभा को फरीक बनाये जब कि उसकी राय में उसको फरीक बनाना गैरजरूरी हो, यह मुनासिब नहीं है । अगर अदालत जरूरी समझेगी तो बनायेगी और यही नियम में दिया हुआ है ।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ७ की पंक्ति ३ से शब्द "या ५" निकाल दिये जायं तथा पंक्ति ६,७ तथा ८ के शब्द "बनाने के लिये आज्ञा दे सकता है, यदि वह वाद या व्यवहार से संबद्ध सब बातों का प्रभावकारी और पूर्णरूप से निर्णय और निबटारा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे" के स्थान पर शब्द "बनावे" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन नियम ११ में पेश करना चाहता हूं---

नियम ११ में अन्तिम से पूर्व की पंक्ति से शब्द "प्रत्येक" निकाल दिया जाय और अन्तिम पंक्ति में शब्द "के कब्जे में कोई आस्थान रहा हो" के स्थान पर शब्द "रहता हो" रख दिये जायं ।

मतलब इसका यह है कि अगर किसी मध्यवर्ती की ज़मींदारी दस जगह हो तो उसके पास सिर्फ एक जगह कागज़ भेजे जायं जहां वह रहता हो । हर जगह भेजने में सरकार का भी वक्त खराब होगा और उसको भी दिक्कत होगी कि दस जगह वह आबजेक्शन्स (आपत्तियां) करें । अगर उसको कोई एतराज करना हो तो वह खुद १० जगह दौड़े और उसके कम्पेंसेशन आफिसर्स जो होंगे वे दस जगह उसका फैसला करेंगे, कोई उसके माफिक करेगा, कोई उसके खिलाफ करेगा और इस तरह उसमें तमाम दिक्कतें होंगी। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि बजाय दस जगह भेजने के सब कागज़ एक ही जगह भेजे जायं जहां कि वह असलीतौर पर रहता हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---श्री ज्वाला प्रसाद जी जो बात कह रहे हैं उसमें सरकार को सुविधा अवश्य है कि जहां जहां मध्यवर्ती का आस्थान हो वहां वहां न भेज करके केवल उसी आस्थान पर वह कागज भेजे जायं जहां कि वह रहता हो, लेकिन हम चाहते हैं कि मध्यवर्ती को, जहां जहां अस्थान हो, अलग अलग मौका दिया जाय । सब काग़जात एकट्ठा किये जायें और जिस कलेक्टर के जुरिसडिक्शन (क्षेत्राधिकार) में वह रहता हो उसके थ्रू वे भेजे जायं, इसमें काफी कठिनाई होगी । इसलिये मुनासिब यह है कि जिस जिस तहसीलदार के क्षेत्र में उसका आस्थान हो, हर जगह से अलग-अलग कागजात उसके पास भेजे जायं, इस से उसको हर बात की स्पष्ट जानकारी हो जायगी। यह मैं जानता हूं कि इस संशोधन से सरकार को कोई कठिनाई नहीं है और आपको भी कोई लाभ नहीं है, इसलिये आप इसको वापस ले लें।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---मैं तो यही मुनासिब समझता था कि सरकार का जो कागजों पर इतना ज्यादा खर्च होगा, वह भी बचे, क्लर्कों का जो वक्त खर्च होगा वह भी बचे, कम्पेंसेशन अफसरों का जो वक्त खर्च होगा वह भी बचे और मध्यवर्ती का दस जगह उजुरदारी लगाने में और दौड़ने में वक्त लगेगा वह भी बचे, इसी लिये यह संशोधन रखा था । अब मैं इसे वापस नहीं लूंगा लेकिन यह सदन का अधिकार है कि वह इसे स्वीकार करे या न करे।

श्री चरण सिंह---माननीय मित्र का ख़याल तो नेक है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे जमींदारों को सहूलियत कम हो जायगी अगर आप का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय । इसलिये इसका रहना जरूरी है और आपका संशोधन अस्वीकार होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि नियम ११ में अन्तिम से पूर्व की पंक्ति से शब्द "प्रत्येक" निकाल दिया जाय और अन्तिम पंक्ति में शब्द "के कब्जे में कोई आस्थान रहा हो" के स्थान पर शब्द "रहता हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा––श्रीमान् जी, यह संशोधन जो नियम १२ में है इसका भी ताल्लूक़ नियम ११ से है और ११ का संशोधन गिर गया। इसलिये मैं इसको पेश नहीं करता।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय व्यर्थ नहीं लेना चाहता था। इसलिये जब मैंने देखा कि काम चल जाता है तो मैंने बहुत से संशोधन वापस ले लिये। परन्तु यह मेरा जो संशोधन है ... ...

उपाध्यक्ष––पहले माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश करें।

श्री रणंजय सिंह––तो मैं पेश करता हूं क्योंकि यह जनहित की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।

"नियम १५ के उपनियम (ख) की पंक्ति १ में शब्द "ऐसी" तथा शब्द "जांच" के बीच शब्द "अदालती" बढ़ा दिया जाय।

अधिक मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार किया जाय तो फिर अदालती जांच में बहुत बड़ा समय बर्बाद होगा, काफ़ी कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद अदालती जांच करने का मतलब यह है कि अपील हो और अपील की अपील हो। इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है। यह तो एक उदाहरण तैयार करने के लिये है और उसके लिये जो आवश्यक जांच है वह उस अधिकारी द्वारा हो जायगी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें आप "अदालती" शब्द जोड़ कर हर एक को कानूनी अदालत की शरण में जाने के लिये क्यों बाध्य करना चाहते हैं। इससे सिवाय इसके कि मुक़द्दमे-बाजी बढ़े, समय बर्बाद हो, परेशानी हो, कोई निजी फायदा नहीं निकलने वाला है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है और जनहित में भी नहीं है।

श्री रणंजय सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अदालतों के सम्बन्ध में अभी जो कहा गया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से तो सभी कार्यों के लिये कहा जा सकता है कि अदालतों में जाने से बड़ा व्यय होगा, बड़ा समय लगेगा। वक्फ़, ट्रस्ट और इंडिपेंडेंट सोसाइटी, संस्था, इन सब के लिये आवश्यकता इस बात की है कि पूरी जांच होनी चाहिये। मुझे स्वयं इस बात का तजुर्बा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से तो किसी की शिकायत यहां नहीं करनी है, लेकिन मुझे इस बात का भी अनुभव है और मैंने देखा है कि एक ट्रस्ट के बारे में हमारे यहां पर कृषि आय कर लगा दिया गया। उसके लिये कहा भी गया। लेकिन जिन सज्जन ने कृषि आय कर लगाया था उनकी दृष्टि में वह ट्रस्ट नहीं था यद्यपि वह ट्रस्ट बहुत पुराना था और ६०, ७० वर्ष का पुराना रहा होगा। परन्तु उन्होंने नहीं माना और जब अपील की गई तो उसमें वह ट्रस्ट मान लिया गया और कृषि आय कर हटा दिया गया। इस प्रकार से यह ट्रस्ट और वक्फ वग़ैरह बनाये जाते हैं और दान दिया जाता है। हम देखते हैं कि "परोपकाराय सतां विभूतयः" दानी सज्जन लोग जो उदार और परोपकारी होते हैं और उनके हृदय में परोपकार की भावना जाग्रत रहती है। ऐसे सज्जन देश विदेश सभी जगह पर होते हैं जो जनहित के लिये अपनी

[श्री रणंजय सिंह]

सारी सम्पत्ति दान कर देते हैं। यह अधिकतर जनहित के लिये ही बनाये जाते हैं। इनके द्वारा शिक्षण संस्थाओं का संचालन होता है, अनाथाश्रम और विधवाश्रम की स्थापना होती है तथा नाना प्रकार के कार्य किये जाते हैं जिनसे परोपकार होता है। ऐसे समय में अगर किसी अधिकारी ने ठीक तरह से जांच नहीं की या साधारण सी जांच हो गई और कोई ट्रस्ट जायज नहीं माना गया तो जनता की बड़ी भारी हानि होगी। उस महान् आत्मा को जिसने दान किया था संतोष नहीं होगा। यदि ऐसा हो जायगा तो उसकी आत्मा को संतोष होगा जिसने लाखों रुपया जनहित के लिये दान कर दिया। अगर ऐसी बात हो गई और ठीक से जांच नहीं हुई तो जनता की बड़ी हानि होगी। कितनी ही संस्थायें नष्ट हो जायंगी और दान के लिये कौन दौड़ेगा और सारा कार्य मिट्टी में मिल जायगा।

इसलिये यह जरूरी है कि इसमें जांच का पूरा प्रबन्ध रहे। इसमें किसी को कहने की गुंजाइश न हो और सब लोग यह समझें कि अगर कोई अधिकारी न माने तो उसकी बाकायदा जांच होगी और जिन ऊंचे उद्देश्यों को लेकर वह संस्था बनाई गई है, वह विफल नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि आगे चल कर मुझे अभी और निवेदन करना होगा इसलिये अब मुझे अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। जनहित की दृष्टि से जैसा कि मौर्य जी ने कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जिन संस्थाओं की स्थापना की गई है चाहे वे चैरीटेबिल हों, रिलीजस हों, उनमें रिलीजस संस्थाओं में तो धार्मिक विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जो चैरीटेबिल संस्थायें हैं जो जनता की सहायता के लिये, रक्षा के लिये और दीन-दुखी तथा दरिद्रियों की सहायता के लिये हैं और गायों की रक्षा के लिये हैं उन पर यदि पूरी तरह से विचार नहीं हुआ और वह संस्थायें न मानी गईं तो इसका बड़ा बुरा फल होगा और इसमें हानि की आशंका है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री चरण सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मेरे लायक दोस्त ने कही वह बहुत हद तक सही है, लेकिन उनका सारा कथन कानून के नक्शे के खिलाफ पड़ता है। हमने कम्पेंसेशन आफिसर को इस अधिनियम की दफा ३२ के मातहत यह कहा है कि वह कम्पेंसेशन तैयार करते वक्त जो निहित होने का दिन है यानी वैस्टिंग डेट है उससे वह खेवट के इन्दराज को सही मान कर चलेगा। कम्पेंसेशन आफिसर प्रतिकर तैयार करते वक्त यह नहीं देखेगा कि खेवट के इन्दराज सही हैं या ग़लत, बल्कि वह तो कयास करेगा कि सही हैं। अगर कोई साहब दावा करते हैं कि खेवट के इन्दराज गलत हैं तो वह अदालत दीवानी में जाकर दावा दायर करें और अपना हक तय करायें। तो ऐसी सूरत में अगर अदालत दिवानी इंजक्शन जारी कर दे या डिग्री देने से कब्ल या डिग्री देने के बाद तो वह प्रतिकर दिया नहीं जायगा उस आदमी को जिसके नाम कम्पेनसेशन आफिसर ने खेवट के इन्द्राज के बल पर वह लिख दिया है, लेकिन ऐसे शख्स को यह हक नहीं है कि कम्पेनसेशन आफिसर के सामने आकर इस बात का प्रोटेस्ट करे कि यह इन्द्राज गलत है और कम्पेनसेशन आफिसर को हमने यह अधिकार भी नहीं दिया है कि वह सही या गलत के सवाल में जाय और कोई जुडो-शियल कार्यवाही करे। अगर ऐसा अधिकार कम्पेनसेशन आफिसर को देते और उस पर यह जिम्मेदारी डालते कि वह तहकीकात करे तो फिर कम्पेनसेशन (प्रतिकर) तै होने की नौबत कभी न आती। इसलिये जिस समय जमींदारी उन्मूलन बिल पर बहस हो रही थी दफा ३२ में यह बात साफ कर दी थी। इस सदन के सदस्य मेरे लायक दोस्त उस वक्त नहीं थे वर्ना वह यह संशोधन न लाते। यह बात ठीक है कि कोई वक्फ है, चेरिटेबिल एंडाउमेंट है, खेवट में इन्द्राज नहीं है और कम्पेनसेशन

आफिसर चाहे यह समझता हो लेकिन वह कोई नोटिस नहीं ले सकता। ऐसा आदमी जो वक्फ का प्रबन्धक है उसको अदालत में जाना होगा। अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो सारा जो ऐक्ट है वह बदल जायगा और सारे ऐक्ट की स्कीम के खिलाफ यह संशोधन पड़ता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस तशरीह के बाद शायद मेरे लायक दोस्त अपने इस अमेंडमेंट को वापस लेंगे, क्योंकि यह सेक्शन ३२ के बिल्कुल खिलाफ है। लिहाजा सरकार इसको स्वीकार नहीं कर सकती।

उपाध्यक्ष——क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं?

श्री रणंजय सिंह——मैं राजस्व मंत्री जो के इस आश्वासन पर कि न्याय का दरवाजा खुला रहेगा, अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रणंजय सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम १५ के उपनियम (ख) की पंक्ति ३ के अन्त में पूर्ण विराम के उपरान्त निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं——

> "प्रतिकर अधिकारी यह निर्णय करने के पूर्व कि किसी वक्फ, न्यास, निबन्ध या संस्था को मान्यता न दी जाय, उसके मुतवल्ली, ट्रस्टी या मैनेजर को यह अवसर देगा कि वह मान्यता दिये जाने के पक्ष में कारण बतला सके।"

इसमें बात स्पष्ट है फिर भी मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में यदि आश्वासन मिल जाता कि उन्हें पूरा अधिकार दिया जायगा तो मुझे बड़ा हर्ष होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी जांच हो जाय। किसी की समझ में कोई बात न आती हो तो ट्रस्टी या मैनेजर को पूरा अधिकार मिलना चाहिये कि वह समझा सके। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से श्रीमान् के द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वह कम से कम इसको स्वीकार करने की अनुकम्पा करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ पहले संशोधन के सम्बन्ध में कहा गया है और जिसे माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है वही बात इस संशोधन के सम्बन्ध में भी लागू होती है। जो प्रतिकर अधिकारी है वह तो कागजात वग़ैरह देख कर ही प्राइमाफैसी (प्रत्यक्षतः) अपना निर्णय देगा और इस तरह से कोई निर्णय देने के पहले वह नोटिस जारी करे और नोटिस के तामील होने में साल, ६ महीने की देर लगे, यह तो मंशा नहीं है। हां अगर प्रतिकर अधिकारी कोई ऐसा निर्णय देता है जो किसी वक्फ, न्यास के या मुतवल्ली के खिलाफ पड़ता है तो उसको अदालत से पूरा अधिकार है कि वह वहां जाकर निर्णय के लिये प्रार्थना कर सकता है। ऐसी दशा में इस प्रकार से इस संशोधन को मान लेने से केवल एक दिक्कत हम सामने देखते हैं कि समय काफी लगने का अन्देशा हो जाता है। लिहाजा वही दलील, जो पहले इस सम्बन्ध में दी जा चुकी है, इसमें भी लागू होती है।

श्री रणंजय सिंह——श्रीमान् मौर्य जी ने जो आश्वासन मुझे दिया है उसके आधार पर मैं श्रीमान् जी से प्रार्थना करूंगा कि मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रणंजय सिंह——जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि मुझे इस संशोधन की आवश्यकता बहुत प्रतीत होती है इसलिये मैं इसको पेश करता हूं कि नियम १५ के उपनियम "ग" की पंक्ति ५ के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं——

[श्री रणंजय सिंह]

"यदि सरकार किसी वक्फ, न्यास, निबन्ध या संस्था को मान्यता न दे तो उसके मुतवल्ली अथवा मैनेजर को अधिकार होगा कि जिला जज के न्यायालय में वक्फ, न्यास, निबन्ध या संस्था की मान्यता दिये जाने के लिये वाद उपस्थित कर सके जिसके फैसले की अपील हाई कोर्ट में हो सकेगी।"

मैं यह मानता हूं कि जो प्रतिकर अधिकारी रखे गये हैं, वे अच्छे रखे गये हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य से कोई भूल हो सकती है और किसी सम्पत्ति के लिये भूल हो सकती है। ऐसी हालत में उस आदमी को इस बात का अधिकार होना चाहिये कि वह अदालत में जज के यहां या हाई कोर्ट में अपना फैसला करा सके। हमारे प्रदेश में करोड़ों की इस तरह की सम्पत्ति है जो जनहित के लिये दी गई है। उसमें किसी तरह से गड़बड़ न हो जाय, इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। यह संशोधन अनर्थ होने से उनको बचायेगा। इसलिये मैं माननीय माल मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री चरण सिंह––जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, उसको इस बात का अख्तियार रहेगा कि वह अदालत दीवानी में दावा कर सके। यदि आप उसको नियम के अन्दर न भी रखें तो भी उसको यह अधिकार रहता है और अगर रख भी देते हैं तब भी उसको रहता है और उसका यह अधिकार बराबर कायम रहेगा। इसलिये मैं अपने लायक दोस्त से कहूंगा कि वे इसको वापस ले लें तो बहुत अच्छा है।

श्री रणंजय सिंह––मैं माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन पर इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

राजा विरेन्द्र शाह––श्रीमान् जी, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि नियम २३ की अन्तिम पंक्ति के अन्तिम शब्द "जायगा" के बाद शब्द "विवरण के तैयार हो जाने के बाद यथाशीघ्र उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित मध्यवर्ती के पास भेज दी जायगी" रख दिये जायं।

मैंने यह संशोधन इसलिये पेश किया है कि हमारे राजस्व मंत्री जी का एक संशोधन इसी के नीचे रखा हुआ है जो ऐसा ही है। इसलिये मुझे आशा है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया है इसके द्वारा वीरेन्द्र शाह जी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल देना चाहते हैं। कागजात जो तैयार हो रहे हैं उनको देखने का सबको पूर्ण अधिकार है और जो भी विवरण-पत्र तैयार होगा उसको देखने का उनको अवसर होगा। अगर वीरेंद्र शाह जी देखेंगे तो उसके आगे ३५–क पर राजस्व मंत्री जी का संशोधन है और उसके द्वारा उनकी इच्छा की पूर्ति हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि वे अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और आगे जो संशोधन आवेगा उस पर वह अपनी स्वीकृति दे देंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह––मैंने मौर्य जी के भाषण को सुना। आगे के संशोधन में और मेरे संशोधन में सिर्फ इतना ही अन्तर है कि मेरे में है "भेज दी जायगी" और आपके संशोधन में है "को दी जायगी"। मैं समझता हूं कि सरकार को हमारे

संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये, क्योंकि सरकार देती तो बहुत चीजें हैं मगर दे नहीं पाती है।

श्री चरण सिंह––इसके अलावा एक फर्क और भी है और वह यह है कि आपने "यथाशीघ्र" रखा है। वैसे यथाशीघ्र तो हमेशा भेजी ही जाती है, बाकी मुझे आपके संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि नियम २३ की अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द "जायगा" के बाद शब्द "विवरण के तैयार हो जाने के बाद यथाशीघ्र उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित मध्यवर्ती के पास भेज दी जायगी", रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह––मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २४ की पंक्ति ६ में अंक "१५" के स्थान पर अंक "३०" रख दिया जाय।

आगे अगर आप देखेंगे तो माननीय राजस्व मंत्री जी का एक ऐसा ही संशोधन है। जिसमें मैं समझता हूं कि मिसप्रिंट (ग़लत छपे हुए) की वजह से "३०" की जगह "१०" छप गया है। इसलिये यह भी वही है और मैं समझता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करेगी।

श्री चरण सिंह––यह मिसप्रिंट (गलत छपा हुआ) है, "३०" ही होना चाहिये। इसलिये मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि नियम २४ की पंक्ति ६ में अंक "१५" के स्थान पर अंक "३०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान नियम ३२ के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम ३२ रख दिया जाय।

> "३२––जमींदारी विनाश आकार पत्र २१ में एक विवरण तैयार किया जायगा जिसमें पिछले ६ वर्षों (यानी ८ अगस्त, १९४६ से) प्रत्येक खाता खेवट के सम्बन्ध में उत्पन्न सायर की आय तालिकाबद्ध की जायगी। इस विवरण में धारा ६ के खंड (क) के अन्तर्गत हाटों, बाजारों तथा मेलों की आय भी सम्मिलित की जायगी।"

श्रीमन्, इस संशोधन से मेरा अभिप्राय यह है कि सरकार ने नियम में यह रखा है कि १० साल के सायर पर औसत निकालेंगे हमारी सायर का। बहुत कम जमींदार और खास कर छोटे छोटे ऐसे हैं जिनके पास १० साल का हिसाब हो। इसके मानी यह हैं कि उनकी सायर की आमदनी कम बैठेगी। सरकार प्रतिकर में और हर तरह से कमी कर रही है। सरकार का अभिप्राय सायर की आमदनी कम करने का नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि १० साल के बजाय ६ साल मान लिया जाय तो न्याय होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––आपने संशोधन को उपस्थित करते हुये श्री वीरेन्द्र शाह जी ने यह कहा कि सरकार १० वर्ष रख कर जमींदारों की आमदनी घटाना चाहती है ताकि उन्हें प्रतिकर कम मिले। आपने यह भी कहा कि १० साल का हिसाब उनके पास होना कठिन है।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

सरकार का मंशा प्रतिकर को घटाने का बिलकुल नहीं है। जिसके पास ६ साल का हिसाब होगा उसके पास १० साल का भी होना चाहिये। और जिसके पास १० साल का नहीं होगा उसके पास ६ साल का भी नहीं हो सकता। १० वर्ष से तो जमींदारों को फायदा है। अकसर १० साल का ही हिसाब सब कानूनों में रखा जाता है और १० साल के औसत से बात ठीक बैठ जाती है। फर्ज कीजिये कि ६ या ७ साल में सायर में काफी नहीं हुआ तो उससे जमींदारों को हानि होगी। दूसरे, जमींदारों ने इधर ५,६ वर्ष में बहुत सी परती या बंजर जमींनें पट्टे वगैरह कर दी हैं और काश्तकारों का उन जमींनों पर कब्जा हो गया है। इससे उनको इन हाल के ४,६ वर्षों में आमदनी कम होने से उन्हें हानि होगी। उनके हित में १० वर्ष का औसत ही है। इसलिये मैं समझता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह——अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मौर्यजी ने कहा, यह सच है कि इस तरह की आमदनी का औसत लगाने के लिये १० साल ही रखा जाता है और यह भी सच है कि अगर किसी जमींदार ने १० साल का हिसाब नहीं रखा तो शायद ६ साल का भी हिसाब उसके पास न हो। और शायद यह भी सच है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार को जमींदारों पर विशेष कृपा है और वह चाहती है कि उनको जितना रिलीफ मिल सके उतना ही अच्छा है। परन्तु ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे जमींदारों के पास अपना कोई हिसाब न हो या वे रखते ही न हों और जिस रोज जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पेश हुआ था, वे सचेत हो गये हों और उन्होंने तब से अपना हिसाब रखना शुरू कर दिया हो। इसी कारण से जिस दिन से जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पेश हुआ हमने हिसाब मांगा है। मेरा विश्वास है इससे सरकार को कोई क्षति होने की आशंका नहीं है। दस साल के बजाय ६ साल का प्रस्ताव इसी लिये रखा गया है कि इस ६ साल पहिले से मेरा विश्वास है कि हर एक जमींदार ने अपना अपना हिसाब रखना अवश्य शुरू कर दिया होगा।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा——श्रीमान् उपाध्याय महोदय, मैं आपके द्वारा श्रीमान् मौर्य जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि उन्होंने जो जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट बनाया है उसकी कई धाराओं में सन् ४६ लिखा हुआ है। लिमिटेशन ऐक्ट में भी जो लिमिटेशन्स रखे गये हैं वे भी यह ख्याल करके रखे गये हैं कि कौन सी चीज मुनासिब होगी। कहीं ३, कहीं ४, कहीं ६ और कहीं पर १२ साल रखा गया है। इस वजह से जो भी चीज रखी जाती है वह बहुत ख्याल करके रखी जाती है। जैसा कि सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि जब आपने अपना प्रस्ताव पास किया था उस वक्त से हो सकता है वे लोग सचेत हो गये हों। अगर आप यह संशोधन मंजूर कर लेंगे तो वह भी आपकी मंशा के मुताबिक ही होगा। यों तो १० के बजाय १२ भी कह सकते हैं लेकिन उस ऐक्ट में कई जगह सन् ४६ आया है और सन् ४६ से ही जमींदारी का प्रस्ताव आया था इस लिये मैं फिर से मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि इस पर फिर से विचार कर लें और बजाय १० साल के ६ साल रख दें तो ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री चरण सिंह——उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोनों एक्स जमींदार दोस्तों की तारीफ करता हूं कि जिस मासूमियत के साथ उन्होंने इस संशोधन के सिलसिले में बहस की। पिछले वक्ता जो कि वकील भी हैं, उन्होंने अच्छी वकालत की, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि वे यह बात कैसे समझते हैं कि सदन की आंखों से असल बात ओझल हो जायगी। वे यह कैसे कहते हैं कि सिर्फ ६ ही सालों से जमींदारी खत्म होने की बातचीत थी। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी आय बजाय इन ६ सालों के उससे पहिले की चार सालों में अधिक रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि १० साल रखना ही ज्यादा मुनासिब हो सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह——जो ६ साल के लिये हमने संशोधन रखा है उसका यह भी एक उद्देश्य था कि आपने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के जितने भी नियम बनाये हैं उनमें हर बात पर यह लिखा है कि जब से यह प्रस्ताव पास हुआ, जब से यह चीज जारी हुई तब से यह निबन्ध होगा। तो इस वजह से मैंने यह ६ साल रखा है ताकि छोटे छोटे जमींदारों को नुकसान न हो। छोटे छोटे जमींदार पहले जानते नहीं थे कि जमींदारी का जाना अनिवार्य है। उसके पहले इस प्रांत में ही नहीं, बल्कि इस देश में लोगों को यह विश्वास नहीं था कि जमींदारी खत्म हो जायगी। श्रीमन्, मैं मंत्री जी का कहना नहीं मानता कि पहले से भी लोगों को यह मालूम था कि जमींदारी जा रही है। मैं कहता हूं कि यह प्रस्ताव पास होने के बाद और खास तौर से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसके बाद लोगों को विश्वास हुआ। पहले तो लोगों को विश्वास था ही नहीं। तो इस वजह से मैंने इस संशोधन को पेश किया है जितने बड़े बड़े जमींदार हैं उनका फायदा तो है ही, उनके पास तो हिसाब मौजूद है। मैं भी उनमें से एक हूं, लेकिन छोटे छोटे जमींदारों के पास हिसाब मौजूद नहीं है जिससे वे लोग अपने सायर की आमदनी आपको दिखला सकें। और सरकार जब उनके लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे रही है, उन्हें प्रतिकर भी कुछ ज्यादा देगी तो फिर इस तरह से उनका क्यों नुकसान कर रहे हैं। इस तरह से वे हिसाब नहीं दे सकेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि उनको प्रतिकर कम मिलेगा। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारे संशोधन को स्वीकार करेगी मैं नहीं समझता कि मौर्य जी जो हमेशा छोटे छोटे जमींदारों का पक्ष लिया करते थे आज बड़े बड़े जमींदारों की बात क्यों कहते हैं।

उपाध्यक्ष——माननीय राजस्व मंत्री को इस पर कुछ कहना है?

श्री चरण सिंह——मैं समझता हूं कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम ३२ के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम ३२ रख दिया जाय——

"३२——जमींदारी विनाश आकार पत्र २१ में एक विवरण पत्र तैयार किया जायगा जिसमें पिछले ६ वर्षों में (यानी अगस्त, १९४६ से) प्रत्येक खाता खेवट के संबंध में उत्पन्न सायर की आय तालिकाबद्ध की जायगी। इस विवरण में धारा ६ के खंड (क) के अन्तर्गत हाटों, बाजारों तथा मेलों की आय भी सम्मिलित की जायगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ३४ के उपनियम (२) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाय——

"प्रतिकर अधिकारी बन विभाग के किसी ऐसे अधिकारी से जिसका पद डिवीजनल बन अधिकारी के पद से निम्न न हो, बन के निरीक्षण करने के लिये और बन की आय के तखमीनों के बारे में अपनी प्रसूचना (रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है।"

यह बन की आय के संबंध में है। और उसकी जांच होना ज्यादा जरूरी समझ कर यह संशोधन पेश किया गया है। मुझे आशा है कि इसमें सदन को कोई ऐतराज नहीं होगा।

उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि नियम ३४ के उपनियम (२) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाय——

"प्रतिकर अधिकारी बन विभाग के किसी ऐसे अधिकारी से जिसका पद डिवीजनल बन अधिकारी के पद से निम्न न हो, बन के निरीक्षण करने के लिये और बन

[उपाध्यक्ष]
की आय के तखमीनों के बारे में अपनी प्रसूचना (रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ३४ के उपनियम (३) में शब्द "सुनवाई (hearing)" के पूर्व शब्द "बन विभाग के अधिकारी की प्रसूचना (रिपोर्ट) पर विचार करने और" जोड़े जायं।

यह तो जो पहले संशोधन हुआ है उसी से सम्बद्ध है। मुझे आशा है कि यह स्वीकार होगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ३४ के उपनियम (३) में शब्द "सुनवाई (hearing)" के पूर्व शब्द "वन विभाग के अधिकारी की प्रसूचना (रिपोर्ट) पर विचार करने और" जोड़े जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से नियम ३६ में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। नियम ३६ की दूसरी पंक्ति के शब्द "करेगा" के बाद शब्द "और इसमें" एक नया स्तम्भ २ (क) बढ़ाया जायगा जिस का शीर्षक "बिला तसफिया लगान पर उठायी गयी भूमि का लगान' होगा और इसमें लगान को वह धनराशि भी सम्मिलित की जायगी जो १३५६ फसली से बिला तसफिया लगान पर उठायी गयी भूमि के काश्तकरों से वसूल की जाती है, किन्तु प्रतिबंध यह है ऐसी दशा में मध्यवर्ती को कबूलियत या रसीदों की काउन्टर फाइल इत्यादि द्वारा यह साबित करना पड़ेगा कि उसे लगान बराबर मिलता रहा है" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमान्, मेरा संशोधन पेश करने का अभिप्राय यह है कि सरकार ने ऐक्ट में भी रखा है पटवारी के कागजात में जो इंदराज लगान है उसी को आपने माना है जो बिला तसफिया लिखा हुआ है। तो आपने नहीं रखा है कि सरकार उसे नहीं मानेगी। मेरे संशोधन से यह होगा कि जो हजारों मुकद्दमे बहुत से लोगों को करने पड़ेंगे जबकि ५६ से५९ फसली तक लोगों का बिला तसफिया इंदराज चला आ रहा है और कोशिश इस बात की गयी कि पटवारियों द्वारा वह इंदराज हो जाय लेकिन जैसा कि सरकार भी जानती है कि पटवारियों द्वारा इन्दराज कराने में क्या क्या करना पड़ता है और किस तरीके से कठिनाइयां उन काश्तकारों और जमींदारों को उठानी पड़ती हैं। वही पटवारी महाशय उसका इंदराज कर रहे हैं वह आप सब को मालूम है। मैं समझता हूं कि अगर हमारा संशोधन सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो बहुत सी मुकद्दमेबाजी और बहुत सी उजुर-दारी हम लोगों को करनी पड़ेगी जबकि हमारे पास रसीद कबूलियत उस काश्तकार की मौजूद है और लगान का इंदराज है तब कोई झगड़े की बात नहीं रहती। हम यह जानते हैं कि कुछ दिनों से पटवारी वगैर कुछ लिये हुए कागजात में इंदराज करते ही नहीं हैं। काश्तकार यह चाहता है कि जब हमारी बेदखली नहीं होती है तो वह इसकी फिक्र में नहीं रहता कि वह इंदराज कराये। आप देखेंगे कि ५६ से ५९ फसली तक बिला तस्फिया इसलिये पड़े हुए हैं कि पटवारियों ने लापरवाही से और शरारतन नहीं लिखा है और उससे नुकसान जमींदारों और सरकार दोनों को है। अगर वह इंदराज नहीं हुआ तो उनका बिला तस्फिया का लगान मुहाल का जो सर्किल रेट होगा उसके हिसाब से जारी रहेगा। उसमें नुकसान जमींदार और सरकार दोनों को है। दस दस बारह बारह साल से लोगों की बिला तस्फिया दर्ज है। लेकिन कबूलियत मौजूद है, पट्टा मौजूद है, रसीदें बराबर जमींदार देता है। लेकिन फिर भी पटवारी के कागज में मौजूद नहीं है। इसलिये मैंने संशोधन पेश किया है। हम चाहते हैं कि अगर प्रतिकर अफसर के सामने रसीद और कबूलियत रखी जाय और उससे वह संतुष्ट हो जाय तो उसके बाद यह भी इंदराज कराया जाय चाहे पटवारी के कागज में मौजूद न हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् पाध्यक्ष महोदय, जो जमींनें काश्तकार को उठी हुई हैं और उस पर बिला तस्फिया लगान द है उसके संबंध में यह संशोधन उपस्थित किया गया है। १३५९ फसली के कागजात जो इस समय बन रहे हैं उनमें जो बिला तस्फिया लगान दर्ज हैं उनका तो लगान रोस्टर रेट के मुताबिक ठीक किया जा रहा है और जब रोस्टर रेट के अनुसार वह लगान ठीक किया जा रहा है तो उस रोस्टर रेट के लगान के अनुसार ही उसमें जमींदारों की ग्रास इनकम (कुल आय) का हिसाब लगाया जायगा। तो इस संशोधन में यह कहा गया है कि १३५६ फसली से बिला तसफिया लगान पर उठायी गई भूमि। लेकिन १३५९ फसली में जो काबिज थे उनकी उस साल की आमदनी तो उस साल के कागज देखने से मालूम होगी कि वास्तव में १३५९ फसली में, जब कि जमींदारी का उन्मूलन हुआ, उनकी कितनी आमदनी थी। अगर कोई बिला तसफिया लगान पर उठायी गयी जमींन का कोई काश्तकार है, तो रोस्टर रेट से उसका लगान जांचा जा रहा है मेरी समझ में नहीं आता है कि श्री वीरेन्द्र शाह १३५६ फसली से बिला तसफिया लगान पर उठायी गयी भूमि किस मंशा से रख रहे हैं। १३५९ फसली के कागजात दुरुस्त हो रहें हैं। जैसा उन्होंने दस वर्ष के बजाय ६ वर्ष का परता लगाने की बात कही है, वैसी ही परता लगाने की बात यहां है नहीं। इसलिये यह सीधी सी बात है कि १३५९ फसली के कागजात से ग्रास असेट्स बन रहे हैं और उसमें बिला तसफिया लगान का ख्याल है ही। मैं नहीं समझता कि इस संशोधन से श्री वीरेन्द्रशाह जी को क्या लाभ है। इसलिये मैं नहीं समझता कि इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

राजा वीरेन्द्र शाह—मौर्य जी का जो विरोध है उसके लिये मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यद्यपि मैं मानता हूं कि आप १३५९ फसली की हमारी ग्रास असेट्स जोड़ेंगे, लेकिन उसमें फर्क इस बात का है कि पटवारी के कागजात में इंदराज नहीं है, बिला तसफिया लिखा हुआ है। वह बिला तसफिया पटवारी ने शरारतन नहीं लिखा है। अगर बिला तसफिया लिखा रहेगा तो उसका रेट आप सर्किल रेट से लगायेंगे। जो दस दस साल से लगान मिल रहा है अगर उसको आप जांच कर लें, और उसको बिला तसफिया लगान न मानें जैसा कि पटवारी के कागजात में है, तो यह ज्यादा अच्छा होगा वर्ना सरकार का भी नुकसान होगा और हमारा तो नुकसान लामोहाला है ही।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के मातहत १३५६ फसली में जो बिला तसफिया लगान के काश्तकार थे, उनको हक मिल रहा है। वे बेदखल नहीं होंगे बल्कि जो और काश्तकारों के अधिकार हैं वे उनको दिये गये हैं। जो लगान जमींदारों को ऐसी बिला तसफिया लगान पर उठायी गयी भूमि से वसूल हो रहा है वह इसमें शामिल किया जाय, इसमें दो रायें नहीं हैं। आपका जो सेक्शन ३९ है उसमें साफ दिया हुआ है कि

"rent determined at ex-proprietary rates in the case of under-proprietors and exproprietary tenants and in all cases except grove-holders"

[लगान जो कि मातहतदारों और साकितुल मिल्कियत काश्तकारों के संबंध में तथा बागदारों को छोड़ कर समस्त अन्य मामलों में साकितुल मिल्कियती दर से अवधारित हुआ हो]

तो जो बिला तसफिया लगान था १३५६ में वह शामिल होना चाहिये ग्रास असेट में, यह कानून में दिया हुआ है और रूल १८ आप उसमें यह है:

"to dentermine rent or fair rent which is payable that has not been determined"

[लगान तथा उचित लगान का जो देय हो और अवधारित न हो चुका हो अवधारण करना]

और इसमें जो रेंट लोगों का इस तरह से होगा उसके लिए रूल ३६ जिसमें आप का संशोधन है उसका जो ज० वि० ३६ बना है उसमें आप सफा १०६ पर देखें कि उसमें लिखा है कि:—

[श्री चरण सिंह]

"rent determined by the Z. A. F. 19."

[लगान जो कि जेड़० ए० एफ० १९ से अवधारित हुआ हो]

जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूं कि १३५६ का बिला तस्फिया लगान इसमें शामिल हो जायगा। जिन्होंने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है उनको हक नहीं मिल रहा है। आप यह चाहते हैं कि वह रकम भी शामिल की जाय जो १३५६ से बिला तस्फिया लगान पर उठायी गई भूमि के काश्तकारों से वसूल हो रही है, इसके लिये मैं समझता हूं कि शायद इस सदन को कोई उज्र नहीं होगा बशर्ते कि इन काश्तकारों को और काश्तकारों की तरह हक दे दिया जाय।

वैसे जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है तो उसके सदस्यों की तरफ से बड़ा दबाव है, बड़ा जोर है कि जो लोग गासिब या बिला तस्फिया लगान १३५९ में लिख दिये गये है वे ही दरअसल काश्तकार थे। तो इधर से इस बात की तहरीक है कि ऐसे काश्तकार जो दरअसल ५६ और उससे पहले काश्तकार चले आ रहे हों और ५७ और ५८ में उनको बिला तसफिया लगान दिखाया गया तो उनको भी माना जाय। और उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने मित्र को मैं यह बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर बहुत सीरियसली विचार कर रही है कि उनको भी अधिकार दे दिया जाय। लेकिन आज कानून में चूंकि नहीं हैं इसलिये १३५९ में जिनका लगान है उनको इसमें शामिल होने का अधिकार दिया गया है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "नियम ३६ की दूसरी पंक्ति के शब्द "करेगा" के बाद शब्द "और इसमें" एक नया स्तम्भ २ (क) बढ़ाया जायगा जिसका शीर्षक "बिला तस्फिया लगान पर उठायी गयी भूमि का लगान" होगा और इसमें लगान की वह धनराशि भी सम्मिलित की जायगी जो १३५६ फसली से बिला तस्फिया लगना पर उठायी गयी भूमि के काश्तकारों से वसूल की जाती है किन्तु प्रतिबंध यह है ऐसी दशा में मध्यवर्ती को कबूलियत या रसीदों की काउण्टर फाइल इत्यादि द्वारा यह साबित करना पड़ेगा कि उसे लगान बराबर मिलता रहा है" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

नियम ३९ की अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द "जायगा" के बाद शब्द "और तैयारी के बाद शीघ्र ही उसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक संबंधित मध्यवर्ती के पास भेज दी जायगी" रख दिये जायं।

श्रीमान्, ऐसे तो जमींदारी अबालिशन फार्म्स बहुत से बनाये जायंगे और बन रहे हैं। सरकार ने यह सुविधा भी दी है कि उनको जांचने के लिये जमींदार तहसील में जा कर जांच कर सकता है। परन्तु नियम ३९ के मातहत जो ग्रास असेट्स में से किये जाने वाले कटौती का विवरण तैयार किया जायगा वह मध्यवर्ती के लिये बहुत ही इम्पाटंट नक्शा होगा और वे मध्यवर्ती जो तहसीलों से दूर रहते हैं या जो बहुत ही कम के मालगुजार हैं, जो कि काश्तकार के बराबर हैं वे वहां न जा सकें या अगर जा भी सकें तो ठीक से देखभाल न कर सकें, इसलिये इस संशोधन द्वारा सरकार से यह निवेदन किया गया है कि कम से कम इस नक्शे की एक प्रतिलिपि मध्यवर्तियों के पास अवश्य भेज दी जाय जिससे उनको यह मालूम हो जाय कि उनके ग्रास असेट्स क्या थे, उनमें से कौन कौन सी कटौती हुई और नेट असेट्स क्या रह गये जिनके ऊपर उनको प्रतिकर मिलेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले हमारे इस भवन के माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र शाह ने इसी प्रकार का एक अनुरोध किया था और भवन ने उसे स्वीकार किया। वह एक जरूरी बात थी और उसे जरूरी समझ कर ही स्वीकार किया गया। यों तो फिर इस प्रकार से जब जब जितने जितने कागजात तैयार किये जायं हर कागजात बराबर भेजे जायं। तो सारा काम अस्तव्यस्त हो जायगा और इसमें काफी समय लगेगा और काफी परेशानी होगी। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई आवश्यकता है। जो ग्रास असेट्स तैयार किये जायंगे और उसके बाद जो कटौती होगी वह जाने बिना नहीं रहेगी। इसका उन्हें हर क्षण मौका मिलेगा कि उसको देखें। ऐसे बात तो नहीं है कि जो भी कागजात तैयार हों और जो कटौती हो तो जमींदार साहबान घर बैठे रहेंगे कभी आयेंगे ही नहीं। वे आयेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सब चीजों के भेजने की बाबत मैं नहीं समझता हूं कि जितनी चीजें तैयार हों वह सब उनके पास भेजी जाया करें। जो बात श्री वीरेन्द्र शाह ने कही थी और मुनासिब थी उसको मान लिया गया। अगर यह बात भी मुनासिब होती तो श्री वीरेन्द्र शाह जरूर इसको भी प्रस्ताव के रूप में उपस्थित करते क्योंकि अगर कोई जमींदारी के हित की बात होती है तो उसके रखने में वह कमी पीछे नहीं रहते। मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूं कि भवन इसको अस्वीकार करेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह---जो संशोधन श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने पेश किया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं मौर्य जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह कहा कि मैं मुख्य मुख्य प्रस्ताव रखता हूं और सरकार भी स्वीकार कर लेती है अगर वह कार्यक्रम को पढ़ेंगे तो मेरे और सुरेश प्रकाश जी के नाम में यह संशोधन चढ़ा हुआ है। इसे आवश्यक समझकर ही हमारी पार्टी के सुरेश प्रकाश जी ने इसे रखा है। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार को दिक्कत हो लेकिन हमारी जो दिक्कतें हैं सरकार उसको भी समझे। २६ फार्म है यह हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। सरकार जैसे और फार्मों को जरूरी समझती है वैसे ही कटौती का फार्म हमारे लिये अत्यन्त जरूरी है। अगर यह नहीं मिलता तो हम अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं कि ठीक है या नहीं। यों तो बहुत से फार्म हैं लेकिन हमने वही फार्म्स रखे हैं जिनको हम अनिवार्य समझते हैं। अगर एक दूसरे का सिलसिला टूट जाता है तो हमको वही दिक्कत होगी जो सरकार दिक्कत समझती है अगर सरकार इसमें दिक्कत समझती है तो यह बिल ही क्यों पेश किया गया। क्यों वह खुद परेशान हो रहे हैं और दूसरों को परेशान कर रहे हैं। उनको हर एक की परेशानी को समझना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मौर्य जी समझें कि सुरेश-प्रकाश जी में और वीरेन्द्र शाह में कोई फर्क नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वीरेन्द्र शाह कह रहे थे वह जमींदारों की वही पुरानी मनोवृत्ति दोहराना चाहते हैं कि सब कुछ उनको पका पकाया मिल जाय। गो उनके पास कारिन्दे हैं, नौकर चाकर हैं, काम करने वाले हैं और वह कचहरी भी जायेंगे फिर वह क्यों कापींग डिपार्टमेंट खुलवाना चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि जमींदारों को खुद दिलचस्पी होगी और वह उस जगह जाकर के बड़ी आसानी के साथ ले सकेंगे। सरकार के ऊपर एक डिपार्टमेंट खोल करके भार डालना हमारी समझ में उचित नहीं होगा और यह संशोधन समीचीन और उपयुक्त नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, इस भवन में आने से पहले मैं ऊपर के भवन में था। जब कि जमींदारी विनाश बिल पेश हुआ था तो उस समय मैंने सरकार से और सरकारी पार्टी के माननीय सदस्यों से भी कहा था कि ईश्वर के लिये ३९० जमींदारों की ओर देखकर २० लाख जमींदारों का गला न घोटिये लेकिन मुझे दुख है कि जब कभी भी जमींदारों का सवाल आता है तो हमारी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य केवल ३९० जमींदारों की ओर ही देखते हैं।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

मैं यह कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाता कि इन ३९० की वजह से लाखों जमींदारों का गला कटा। ३९० जमींदारों की मोटरें चलती हैं, फिजूलखर्ची करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कोई काम नहीं करते और इनकी वजह से २० लाख जमींदारों को मार डाला गया। श्रीमान् मैंने पहले ही कहा था कि बड़े बड़े जमींदारों के पास अहलकार हैं, वह शायद वकील भी रखें कि जितने फार्म्स हैं उनकी वे जांच करें, उनके पास सुविधायें हैं। वे जायेंगे, अवश्य जायेंगे परन्तु मैंने तो यह निवेदन किया था कि छोटे छोटे जमींदार जिनको काश्तकार ही समझा जाता है उनको बड़ी असुविधा होगी। लिहाजा जितने फार्म्स बनेंगे उनकी हर एक की नकल उनके पास भेज दी जाय, यह मेरा कहना नहीं था बल्कि ऐसे फार्म्स जिनमें उनके ग्रास एसेट्स दिखाये जायं और कितना जुज काट कर उनके नेट एसेट्स रह जायेंगे इस सम्बन्ध में जो फार्म्स हों उनकी एक एक प्रतिलिपि उनके पास जरूर भेज दी जाय। इसके अलावा मैं आपके द्वारा श्रीमान् मौर्य जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने जो सरकार की तरफ से मुनासिब और गैरमुनासिब संशोधन की कसौटी दी है, वह इस पर डिपेंड करती है कि राजा वीरेन्द्र शाह जी का जो संशोधन है वह मुनासिब है और सब प्रस्ताव गैर मुनासिब हैं। अगर यही कसौटी है, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं अपना यह संशोधन भवन की आज्ञा से वापस लेता हूं और मैंने राजा वीरेन्द्र शाह से अनुरोध किया है कि वह इसको रखें ताकि यह गैर मुनासिब संशोधन मुनासिब हो जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

राजा वीरेन्द्र शाह---आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं की नियम ३९ की अंतिम पंक्ति के शब्द "जायगा" के बाद ये शब्द बढ़ा दिये जायं---

> किन्तु आकार पत्र के स्तम्भ ६ के वर्तमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक होगा:
> खाता खेवट पर अबवाब या स्थानिक कर (Local rates) पांच पैसा रुपया की दर से।

श्रीमान्, मेरा अभिप्राय इस संशोधन को पेश करने से यह है कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को यह आज्ञा दी कि अपने नियमों में वह जमींदारों पर लोकल रेट्स बढ़ा दें और उन्होंने उस आज्ञा के मुताबिक ६ पैसा फी रुपया लोकल रेट्स में बढ़ा दिया और उसमें यह भी अधिकार था कि १ पैसा जमींदार उन काश्तकारों से वसूल कर लेगा।

श्रीमान्, देखा यह गया है कि जब से यह कर लगाया गया है तब से जमींदारों के ऊपर से तो यह वसूल हो गया लेकिन जमींदारों का जो रुपया बाकी रह गया है वह वसूल नहीं हुआ है। एक पैसा फी रुपया जो काश्तकारों से लिया जाता है वह भी वसूल नहीं हो सका है। ग्रास इन्कम के ऊपर जो आमदनी होगी उस पर जितना कर लगेगा वह सब कट जायगा और यह ६ पैसे के हिसाब से लोकल रेट कट जायगा? तो जो हमको अधिकार था कि एक पैसा फी रुपया काश्तकारों से वसूल करें वह इस गड़बड़ी की वजह से हम वसूल नहीं कर सके हैं और उसका इन्दराज पटवारी के कागज में भी नहीं किया गया। इसके लिये कई दफा सरकार से भी प्रार्थना की कि ऐसा नहीं हो रहा है और यह रुपया वसूल नहीं हो रहा है और यहां से आज्ञा भी गई कि जमींदारों का यह अधिकार है कि वह एक पैसा फी रुपया वसूल कर सकते हैं लेकिन वह हमको वसूल नहीं हो सका है। इसका नतीजा यह होगा कि हम से तो वह ६ पैसा के हिसाब से कट जायगा एक रुपये में और हम जो एक पैसा फी रुपया काश्तकारों से लेते वह हमको मिला नहीं और वह हमारी कच्ची निकासी में जमा नहीं हुआ। तो इससे सरकार का तो फायदा होगा चूंकि वह अपना मैक्जीमम काट रही है लेकिन हमको जो फायदा हो सकता था वह नहीं हुआ वह इस गड़बड़ की वजह से मारा गया और उसका इन्दराज भी नहीं हुआ। पटवारी साहब उसको खा गये। इससे हमको यह नुकसान

हो गया । कहने को तो यह एक पैसा बहुत थोड़ा मालूम होता है लेकिन आप देखेंगे कि मालगुजारी में सरकार करीब १७ करोड़ रुपया वसूल करती है तो उसमें १७ करोड़ पैसे हुए और उसका करीब २६ लाख रुपया होता है और अगर ८ आना कम्पेनसेशन उसमें मिल जाय तो करीब ढाई करोड़ रुपया प्रतिकर में मारा जा रहा है। मैं आपके जरिये से यह निवेदन करूंगा कि यह बड़ा ही अन्याय है। यह सिर्फ आपके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से और आपके अफसरों की गड़बड़ी की वजह से यह नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। यह मुनासिब नहीं है कि इस तरीके से प्रतिकर को कम किया जाय। मैं आपके जरिये से यह निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वह हमारे इस संशोधन को स्वीकार करें और नम्बर २६ पर जो नक्शा है उसमें यह लिखा दिया जाय कि पांच पैसे के हिसाब से लोकल रेट्स काटे जायं। अगर आप ऐसा कर देगें तो हमारी यह शिकायत दूर हो जायगी । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है उसके लिये आप इस हमारे संशोधन को स्वीकार करें या सरकार ही स्वयं कोई ऐसा संशोधन ले आये जिससे हमारी यह कठिनाई दूर हो जाय तो बहुत ही अच्छा है और नहीं तो हमारे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसको देखकर यह पता चलता है कि जमींदार साहबान को जो अधिकार वसूल करने का दिया गया कि वह किसानों से एक पैसा फी रुपया वसूल करें वह चाहे वह वसूल करें या न करें फिर भी उसको उनकी ग्रास इन्कम में शामिल नहीं किया जाय। अगर वह वसूल नहीं किया गया तो भी उसको शामिल किया जायगा और अगर वसूल भी हो जाता तब भी उसमें उसको निकाल दिया जाता। लेकिन हमारे वीरेन्द्र शाह जी तो हमेशा जमींदारों के फायदे के लिये ही जाग्रत रहते हैं। एक बार मैंने पहले भी कहा था और उन्होंने कहा था कि नहीं मैं जमींदारों का बिलकुल नुमाइन्दा नहीं हूं मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूं लेकिन जो तरह तरह के संशोधन पेश हो रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि आज भी वह जमींदारों के पक्ष में ही सारी बातें लाते हैं चाहें उनके मानने में सरकार को कितनी ही कठिनाई क्यों न हो। आप चाहते हैं अवश्य है कि सरकार से जमींदारों को नाजायज फायदा हो। जहां जमींदारों का पक्ष होगा वहां वह चूकने वाले नहीं हैं। पहले भी उन्होंने बहुत सी नामुनासिब बातें पेश कीं लेकिन भवन ने उन को स्वीकार नहीं किया और भवन के अस्वीकार कर देने से और अधिक क्या सबूत उन के नामुनासिब होने का हो सकता है। उन्होंने बताया कि ढाई करोड़ रुपया जमींदारों को मिलता है। सरकार एक पैसे पर ढाई करोड़ जमींदारों को दे रही है। सरकार जहां जमींदारों को इतना मुआवजा दे रही है तो इस तरह से बहुत से जमींदारों ने एक पैसा वसूल भी किया होगा लेकिन चूंकि खतौनी में दर्ज नहीं है इसलिये फायदा दे दिया जाय। आप को अधिकार था उस की वसूली का। लेकिन अगर खतौनी में दर्ज नहीं था तो भी ६ पैसे के बजाय ५ पैसे कर दिये जायं। जब अधिकार था तो बहुत सों ने वसूल जरूर किया होगा अगर वह बुरा न मानें तो वह पैसा जो कानून में कहीं नहीं लिखा था और तरह तरह के बीसों किस्म के नजराने वह वसूल करते थे जिनका कहीं भी इन्द्राज या हिसाब नहीं था। इसलिये जिस को वसूल करने का अधिकार था और जिसको वसूल नहीं किया है इस आधार पर वह चाहते हैं कि ढाई करोड़ का मुआवजा दिया जाय महज इसलिये कि वह किसी ने वसूल नहीं किया है और खतौनी में दर्ज नहीं है। इससे उन के अधिकार का हनन हुआ ऐसी बात नहीं है। इसलिये जो प्रस्ताव राजा साहब ने पेश किया है वह अस्वीकार होना चाहिये ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मुझे पिछले तीन चार संशोधनों पर जो कुछ सुनने का सौभाग्य मिला उसको सुनने के बाद मैं बड़े दुख के साथ निवेदन करूंगा कि जमींदारों के प्रश्न पह हमारे मौर्य जी की बड़ी क्रुक्ड व्यू है। माननीय वीरेन्द्र शाह जी

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

केसंशोधन को वह क्यों नहीं स्वीकार कर सकते उस के कारण बतलाते हुये उन्होंने सरकार की दिक्कतें और असुविधायें बतलाई और बतलाया कि वीरेन्द्र शाह जी तो जमींदारों और सरकार की दिक्कतों को बढ़ाना चाहते हैं। जहां तक दिक्कतों का प्रश्न है जमींदारी विनाश कानून किसी भी भवन से पास करा लेना जब कि इतनी बड़ी मेजारिटी हो जरूर आसान था परन्तु उसका सुचारु रूप से प्रबन्ध करना कोई लड्डू खा लेना नहीं है। उस में बड़ी दिक्कतें हैं और भारी दिक्कतें हैं परन्तु किसी की जिन्दगी या रोजी छीनना चाहें वह किसी सिद्धांत पर हो उसके छीनते हुए आप यह नहीं कह सकते कि जमींदारों के साथ न्याय करने में सरकार को बहुत बड़ी दिक्कतें पड़ रही हैं।

हमको इस बात को देखना चाहिये कि जो बात इधर से कही जाती है, जमींदारों की तरफ से, हालांकि मौर्य जी जमींदार होना लांछन समझते हैं, वह न्यायसंगत है या नहीं। अगर सरकार की दिक्कतें या खर्चा भी कुछ बढ़ता है तो भी न्याय को ही अधिक अहमियत देनी चाहिये।

कहा गया कि ३६ तरह का नाजायज़ नजराना लिया जाता था और जब एक पैसा जमींदार रुपये में वसूल कर सकते थे तो यह नहीं माना जा सकता था कि उन्होंने वसूल न किया हो। श्रीमान्, नजराना जरूर नाजायज चीज थी परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि इस रूल के बनने के बाद नजराना नाजायज नहीं रहा। नजराना एक व्यक्ति ले तब नाजायज है और दूसरा व्यक्ति सरकार के रूप में ले तो नाजायज नहीं रहता है। इसलिये चूंकि मौर्य जी सरकारी बेंचों पर बैठे हैं और यह कहते हैं कि अब नजराने का फायदा सरकार उठाने जायगी तो वह नाजायज नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। कहा यह जाता है कि एक आदमी को नजराना लेने में और गांव पंचायत या सरकार के लेने में फर्क है। यह तो दलील की बात है। कौन नजराना जायज है और कौन नाजायज है, इस पर बहुत दलील हो सकती है और मैं आशा करता हूं कि नजराने के नाजायज होने की बात शायद इस भवन में अब नहीं होगी।

श्रीमान्, मुझे दुख है कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी का संशोधन अब नामुनासिब हो गया। मुझे तो यह आशा थी कि अब मुझे उनके किसी संशोधन पर बोलने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उनके सभी संशोधन मुनासिब होने के कारण सरकार उनको मंजूर कर रही थी। लेकिन मुझे तो यह मालूम होता है कि सरकार मुनासिब और गैरमुनासिब की कसौटी भी बदला करती है। मुझे मालूम नहीं ऐसी हालत में किन संशोधनों पर मैं निवेदन करूं और किन पर न करूं। किन हालतों में सरकार किसी चीज को मुनासिब समझती है और किनमें नामुनासिब समझती है, यह भी समझना मुश्किल हो गया है। जैसा माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने समझाया कि एक पैसे का सवाल तो छोटा मालूम है होता है लेकिन इससे अगर सब जमींदारों के इकट्ठे प्रश्न को देखा जाय तो लगभग २ करोड़ के हो जाता है। माननीय मौर्य जी ने यह कहा कि किसी ने वसूल किया है और किसी ने नहीं किया है तो कैसे सरकार इसे मुनासिब मान सकती है? वह तो आसान है। माननीय प्रस्तावक महोदय ने बताया कि कहीं पटवारी ने इंदराज किया है और कहीं नहीं किया है। तो जहां किया है वहीं ठीक समझा जाय। इसलिये उसमें कोई दिक्कत नहीं है। असली बात तो २ करोड़ के खर्चे के बढ़ने की है। तो वहां सरकार इतना प्रतिकर के रूप में और ४० साल के नान-नीगोशियेबिल बांड्स के रूप में देने जा रही है वहां २ करोड़ बढ़ने से न्याय होता हो तो वह ठीक ही है।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें मौर्य जी ने कहीं हैं मैं उन्हीं की ताईद करता हूं। उनमें सिर्फ एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि सेक्शन ३२ हमें बाध्य करता है। कि सन् १३५९ फसली की खेवट और खतौनी में जो इंदराज होंगे उनके मुताबिक ही हम लोगों का लेखा बनायेंगे। यह कहना कि इंदराज नहीं है इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। उनमें जो लिखा हुआ है हम उसको मानेंगे। जहां तक इस संशोधन का संबंध

है मुझे और कुछ कहना नहीं है। केवल एक ही बात और कहना चाहता हूं कि यहां जिस तरह से अभी तक इम्पर्सनल तरीके से वाद विवाद चल रहा है वही अच्छा है। पिछले वक्त जमींदारी के बिल के समय क्या वहस हुई थी अगर इस पर बहस की गई तो उससे कोई फायदा न होगा। मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि २८ तारीख को ये नियम पेश हुए थे और कमेटी मुकर्रर की गई थी और वह इसलिये की गयी थी ताकि अगर कोई कठिनाई हो तो उसको कमेटी में डिसकस कर लिया जाय। दो रोज तक कमेटी बराबर बैठी। एक एक बात पर बहस हुई मैं यह नहीं कहता कि माननीय सदस्यों को यहां बहस करने का अधिकार नहीं है। यहां बहस करने का उन्हें पूरा अधिकार है, कानूनी अधिकार है मगर मेरा अनुरोध केवल इतना है कि उससे कमेटी की मंशा खत्म हो जाती है। अगर हम हरएक संशोधन को पेश करते हैं और उस पर बहस करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस भावना से प्रतिकूल चलेंगे जिस भावना से कमेटी बनाई गई थी।

राजा वीरेन्द्र शाह---अभी मैंने मंत्री जी का भाषण सुना। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हम लोग उन्हीं बातों के ऊपर अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं जिनके ऊपर कमेटी में बहस हुई और जो कमेटी का उद्देश्य रखा गया था। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे यह देखेंगे कि जितने पहिले संशोधन थे उनको हम कतई पेश नहीं कर रहे हैं केवल वही संशोधन पेश कर रहे हैं जिनके बारे में हमने कमेटी में कहा और मंत्री जी ने उनको नहीं माना और उनको हम अपने उसूलों के कारण अहमियत का समझते हैं। इसलिये जिस उद्देश्य से कमेटी बनाई गई थी हम कतई उन उसूलों से नहीं हटे। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम गौर करेंगे लेकिन उनके ऊपर गौर होता ही रहा कुछ कार्यवाही नहीं हुई। फिर हमारे पास सिर्फ यही चारा रह गया कि हम यहां संशोधन पेश करें। अगर आप उनको नामंजूर करते हैं तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप न्याय नहीं करते।

मंत्री जी और मौर्य जी ने कहा कि मैं जमींदारों की तरफ़ से कहने लगा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां सवाल जमींदार और सरकार का है मैं जमींदार का पक्ष लेता हूं लेकिन जहां जमींदार और जनता का सवाल है मैं जनता का पक्ष लेता हूं। मुझे तो दोनों ने ही वोट दिये हैं। जो २० लाख जमींदार हैं और उनके परिवार हैं जब उनका और सरकार का सवाल आता है तो हमारा फर्ज है कि हम न्याययुक्त पक्ष उनका करें जिनके ही लिये मैं यहां कह रहा हूं। अभी मौर्य जी ने दो करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि जिन जमींदारों ने ग़रीब किसानों से वसूल कर लिया उनको तो फायदा हो गया और उनको प्रतिकर अधिक मिलेगा लेकिन जिन्होंने दया से या इंसानियत से वह रुपया वसूल नहीं किया उनको कम्पेंसेशन भी नहीं मिलेगा। मंत्री जी ने बतलाया कि नियम में यह नहीं आता लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसके लिये नियम बना सकती है या ऐक्जीक्युटिव आर्डर के जरिये से कर सकती है और जो नियम इसमें बाधक होते हैं उनमें भी संशोधन किया जा सकता है। गरज यह है कि ६, ७, ८, महीने का मामला है, कोई संशोधन भी आ सकता है अगर अच्छा है। अगर अच्छा नहीं है तो कभी भी कोई चीज नहीं आ सकती है। श्रीमान्, मेरा संशोधन बिलकुल ठीक और न्यायसंगत है और मैं इसे प्रैस करता हूं। यह बिल्कुल अन्याय होगा उन जमींदारों के ऊपर जिनसे उन्होंने वसूल किया है और आप के अहलकारों की गलती की वजह से, हुकूमत के अफसरों की वजह से, हुक्म तो खुद निकालते हैं और अफसरान उनका अमलदरामद नहीं करते हैं, उनकी बदौलत अगर जमींदारों का नुकसान होता है तो यह अन्याय है। इसलिये मैं इस संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि इसको स्वीकार किया जायगा।

श्री चरण सिंह---मुझे कुछ और नहीं अर्ज करना है सिवा इसके कि मुझे दुख है कि मैं उनका सुझाव नहीं मान सका।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ३९ की अन्तिम पंक्ति के शब्द "जायगा" के बाद ये शब्द बढ़ा दिये जायं–

"किन्तु आकार पत्र के स्तम्भ ६ के वर्तमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक होगा।

खाता खेवट पर अबवाब या स्थानिक कर (Local rates) पांच पैसा रुपया की दर से"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२

विपक्ष में—१३७।)

राजा वीरेन्द्र शाह—इसमें मेरा एक संशोधन है उसके साथ मैं पेश करना चाहता हूं। मैं आप की आज्ञा से नियम ४० के बाद निम्नलिखित नया नियम ४०–क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं—

"४०–क (१) प्रतिकर अधिकारी ज० वि० आकार पत्र २७ में निम्नलिखित दो नये स्तम्भ बढ़ायेगा :—

स्तम्भ (१६)(क) इसका शीर्षक 'पुनर्वासन अनुदान का गुणक' होगा और इस स्तम्भ में वह गुणक लिखा जायगा, जिसका कि संबंधित मध्यवर्ती अधिकारी हो,

स्तम्भ १६ (ख) इसका शीर्षक 'पुनर्वासन अनुदान की मध्यवर्ती को देय धनराशि इस आकार पत्र का स्तम्भ ५×स्तम्भ १६(क)' होगा और इस स्तम्भ में पुनर्वासन अनुदान की वह धनराशि लिखी जायगी जो संबंधित मध्यवर्ती को देय हो,

(२) आकार पत्र २७ में विवरण तैयार हो जाने के बाद प्रतिकर अधिकारी संबंधित मध्यवर्ती को एक प्रमाण पत्र देगा जिसमें पुनर्वासन अनुदान की वह धनराशि लिखी होगी जो मध्यवर्ती को देय हो। पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के समक्ष मध्यवर्ती द्वारा इस प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर पुनर्वासन अनुदान अदा कर दिया जायगा।

(३) मध्यवर्ती को प्रमाण-पत्र दिये जाने के बाद यथाशीघ्र उसकी एक प्रतिलिपि पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के पास भेज दी जायगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम ऐसे मध्यवर्ती की दशा में लागू होगा जिसकी मालगुजारी ढाई सौ तक होगी।"

श्रीमन्, मेरा यह संशोधन पेश करने का मतलब यह है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट के लिये जो प्रार्थनापत्र देने पड़ेंगे उसमें छोटे छोटे जमींदारों को बड़ी दिक्कत होगी। इसी हेतु हमने कमेटी में भी यह प्रस्ताव रखा था कि छोटे छोटे जमींदार जो कि बेचारे अनपढ़ हैं और गरीब हैं उन्हीं को आप पुनर्वासन अनुदान देंगे। उनके लिये यह सब नक्शा बनाना और उसी के साथ साथ अगर आप नियम देखें, मैं भवन का समय नहीं लेना चाहता कि किसी तरीके से एक आदमी को रिहैबिलिटेशन ग्रांट किस प्रकार मिलेगी। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने देखा होगा। उसके देखने के बाद यह सभी समझ सकते हैं कि छोटे जमींदार किस तरीके से अपनी रिहैबिलिटेशन ग्रांट पा सकेंगे। मुझे तो बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। बहुत से जमींदार तो कतई रिहैबिलिटेशन ग्रांट की दरख्वास्त ही नहीं दे पायेंगे। इसलिये

मेरे कहने का मतलब यह है कि ढ़ाई सौ तक के जमींदार जो कि ग़रीब हैं अगर उनको इस तरीके से सहूलियत दे दी जाय तो बहुत अच्छा हो । जो जेड० ए० एफ० फार्म २७ है जिसके अन्दर मैं यह चाहता हूं कि दो खाने और बढ़ा दिये जायं उसमें पुनर्वासन अनुदान उसका लिख लिया जाय । जब यह सवाल कमेटी में पेश किया गया तो मंत्री जी ने यह बतलाया कि बहुत से जमींदारों की कई जिलों में ज़मींदारियां हैं उनका किस तरीक़े से नक्शा बनेगा ? उसमें बड़ी परेशानी होगी लेकिन छोटे ज़मींदारों की ज़मींदारियां और ज़िलों में नहीं हैं। बड़े ज़मींदारों के लिये ऐसा कहा जा सकता है लेकिन जो छोटे ज़मींदार है उनकी ज़मींदारियां ज्यादा से ज्यादा दूसरी तहसील में हैं। दूसरे ज़िलों में छोटे छोटे ज़मींदारों की ज़मींदारियां नहीं हैं। इसलिये मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं ताकि छोटे ज़मींदारों को लाभ हो और उनको दिक्कत न उठानी पड़े । कायदे में तो वैसे ही यह दिया हुआ है कि अगर वे ग़लत प्रार्थना पत्र देंगे तो उनको सज़ा होगी, इसलिये वे बहुत सोच समझ कर प्रार्थना पत्र देंगे । इसलिये मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि मेरा संशोधन स्वीकर कर लिया जाता है, तो इससे छोटे ज़मींदारों को बहुत फायदा होगा और उनकी दिक्कत दूर हो जायंगी और सरकार का जो फज़ूल का खर्च होगा वह भी बच जायगा । इस तरह से अगर इस संशोधन को सरकार स्वीकार कर ले तो बड़ा लाभ होगा।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि एक मोटी सी बात जिसका जिक्र कमेटी में आया था, जैसा कि माननीय वीरेन्द्रशाह साहब को खुद तसलीम है, वह फिर यहां बात उठायी गई । रिहैबिलिटेशन ग्रांट तो जैसा ऐक्ट कहता है तभी निश्चित हो सकेगी जब कि सारे सूबे का कम्पेंसेशन तय हो जाय और कम्पेंसेशन असेसमेंट रोल्स तैयार हो जायं। उसके बाद अधिनियम की धारा ८० के अनुसार हर इंटरमीडियरी को अधिकार होगा कि वह एक दरख्वास्त दे। उस दरख्वास्त में क्या क्या तफसील उसको देनी होगी उसका धारा ८० में बयान किया गया है । उसके साथ ही यह जो हमारे नियम हैं इन नियमों की धारा ५ में बहुत तफसील से वर्णन किया गया है कि किस-किस प्रकार रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिलेगी । जब तक कि ड्रैफ्ट कम्पेंसेशन असेसमेंट रोल नहीं तैयार होगा, उस वक्त तक यह नहीं कहा जा सकता कि किसी आदमी की जमींदारी कहां कहां पर है, या उसकी कितनी मालगुजारी है। जब सारे सूबे के कम्पेंसेशन असेसमेंट रोल्स तैयार हो जायंगे तब वह स्वयं अपनी तरफ से प्रार्थनापत्र देगा और उसको बयान हल्फी देना होगा कि फलां २ जगह मेरी इतनी जमींदारी है, इतनी में मालगुजारी देता हूं और फलां कैटेगरी में मैं आता हूं। उसके बाद यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट निश्चय हो सकेगा। यह ठीक है कि १६ लाख के करीब ऐसे ज़मींदार हैं जो ढाई सौ रुपये से कम मालगुजारी देते हैं लेकिन उनको कहीं जाना नहीं है। उनको अपने जिले में ही इस बात की दरख्वास्त देनी होगी कि इतनी हमारी मालगुजारी है और इतना हमें रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे दिया जाय लेकिन जो ऐक्ट की स्कीम है उसके विपरीत जो ड्रैफ्ट कमपेंसेशन असेसमेंट रोल तैयार हो उसी में यह मल्टीपिल निकाल लिया जाय कि इसके लिये इतना कम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट एक ही फार्म में दे दिया जाय, यह जैसा मैंने अर्ज किया नामुमकिन है, ऐक्ट के खिलाफ भी है और अमल में भी नामुमकिन है। तो मैं समझता हूं कि अगर्चे उनका इरादा सिर्फ फंडामेंटल सवाल उठाने का था और यही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किये कि बुनियादी सवाल उठायेंगे तो यह बुनियादी सवाल है या जाब्ते या प्रोसीजर का सवाल है यह निर्णय में उन्हींके ऊपर छोड़ता हूं

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने जो दिक्कतें बतलायीं उनको मैंने समझा। यह समझता था कि कमेटी में जिस तरह से उसके ऊपर विचार हुआ था उसमें शायद यह था कि कई जगह जमींदारियां होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अब आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं कोई दिक्कत पैदा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि छोटे जमींदारों को अनुदान देने के समय इस बात का ख्याल रखा जाय कि उनको कोई दिक्कतें न हों।

श्री चरण सिंह—जो आप ऐसी सुविधायें बतायेंगे उनके मानने के लिये मैं तैयार रहूंगा।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं इस अश्वासन के बाद अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं —

नियम ४३ के वर्तमान उपनियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपनियम (ग) रख दिया जाय —

(ग) उपर्युक्त नोटिस की एक प्रतिलिपि संबंधित मध्यवर्ती पर प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका (ज० वि० आकार पत्र २७) की एक प्रमाणित प्रतिलिपि (Certified Copy) सहित उस रीत से तामील की जायेगी जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर (Code of Civil Procedure) में निर्दिष्ट है।

श्रीमान्, जो नियम में मैजूद है मेरा संशोधन बिलकुल वैसा ही है। सिर्फ एक चीज का स्पष्टीकरण करने के लिये मैंने इस संशोधन को रखा। सरकार इसे मानती है कि यह फार्म हर एक जमींदार को मिलना चाहिये। लेकिन नियम में यह लिखा हुआ है कि प्रमाणित उद्धरण (Certified Extract) तो मैं इसको यह समझता हूं कि एक्सट्रैक्ट लिखने से यह हो सकता है कि एक ही दो खाने लिख कर भेज दें और पूरा फार्म न भेजें। तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी कि हमारे संशोधन को वह मान ले। इससे हमारा भ्रम दूर हो जायगा और कोई बात नहीं है।

श्री चरण सिंह—जो आशंका मेरे मित्र को है वह आशंका तो निर्मूल है। सर्टिफाइड एक्सट्रेक्ट का मतलब यह है कि जितनी मतलब की बातें होंगी वे सब दे दी जायंगी और जो गैर मतलब की बातें होंगी वे नहीं दी जायंगी।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं सिवाय मतलब की चीज के और कोई चीज नहीं चाहता। मेरे संशोधन में है कि प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रमाणित प्रतिलिपि। तो उसी के संबंध में जो चीज है उसी को चाहते हैं। जो जिलों में आपके कर्मचारी हैं वे नाना प्रकार के हैं। न जाने वे एक्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब निकालें और हमको नुकसान हो। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है वरना कोई बात नहीं है। सरकार तो इसको मानती है।

श्री चरण सिंह—धारा ४६ जो कानून की है उसमें लिखा है कि—

"After the draft compensation assessment in respect of any intermediary has been prepared, the Compensation Officer shall serve or cause to be served on the intermediary concerned a copy of the notice aforesaid along with the copy of the draft compensation assessment roll."

[किसी मध्यवर्ती के विषय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार हो जाने पर प्रतिकर अधिकारी प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका की प्रति के साथ पूर्वोक्त नोटिस की एक प्रति संबंधित मध्यवर्ती पर तामील करेगा या करायेगा।]

तो वह तो ऐक्ट में ही लिखा हुआ है। जहां सर्टिफाइड एक्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि जो मध्यवर्ती से संबंधित है। बाकी से उनका कोई संबंध नहीं है, लिहाजा वह नहीं भेजा जायगा। इस वजह से लफ्ज "एक्स्ट्रेक्ट" लिखा गया है।

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं आश्वासन के बाद इसको वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ४८ के बाद निम्न-लिखित प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि १३५९ फसली या उससे पहले की मालगुजारी या कृषि आय-कर की बकाया अन्तिरम प्रतिकर से काटे जाने के बजाय मध्यवर्ती को देय निर्णित प्रतिकर धनराशि में से काटी जायगी।"

यह संशोधन रखने का मेरा अभिप्राय यह है कि सरकार ने ९ महीने के बाद अन्तरिम प्रतिकर देने के लिये इस नियम में रखा है। और जैसा हम देख रहे हैं सरकार ने कई दफा यह इरादा बतलाया कि ६ महीनों के अन्दर प्रतिकर देने का विचार रखती है। लेकिन हम यह देखते हैं कि वह जो हमें धन दिया जायगा उसमें भी अधिक नहीं मिलेगा जिसकी बिना पर जमींदार नौ महीने तक अपना निर्वाह कर सके। यह मैंने जो संशोधन रखा है इसलिये कि धारा ४८ में यह लिखा है कि कृषि आय-कर और मालगुजारी काटने के बाद अंतरिम प्रतिकर दिया जायगा। पहले तो यह कि आपके कर्मचारी अभी से लगे हुये हैं तो शायद ही कोई ऐसा जमींदार हो जिसकी कृषि आय-कर काट लेने के बाद उसको कुछ रकम अन्तरिम प्रतिकर से मिल सके। मैं आपके जरिये सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे समय में यह कृषि आय-कर आया जबकि जमींदारी अबालिशन का सिद्धांत पास हो गया और उसके पास हो जाने के बाद सन् ४७-४८ से कृषि आय-कर लेना शुरू किया, बड़े जमींदारों की तो खास तौर से ऐसी हालत हो गई कि जमींदारी अबालिशन से भी ज्यादा बदतर वह हो गये। मैं इस संशोधन से यह चाहता हूं कि आपकी १३५९ फसली की जो आय-कर है उसको अन्तरिम प्रतिकर में से न काटें क्योंकि आप बौंड्स ले रहे हैं और मियाद भी नहीं घटा रहे है तो कम से कम इसी रकम को दे दें, जिससे १३५९ फसली की कृषि आय-कर हमारे अन्तरिम प्रतिकर में से न काटी जाय तो जो नकद रुपया मिलेगा उससे हम खायेंगे, निर्वाह करेंगे और इस रकम को आप हमें जो कम्पेंसेशन मिलने वाला है उसमें से काट लें। मुझे आशा है कि मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कृषि आय-कर या मालगुजारी की बकाया यह तो जमींदार देने के जिम्मेदार हैं और सरकार को भी हक है कि उनसे वसूल करे। अब इस सम्बन्ध में कि कृषि आय-कर कब लगा इस दलील में तो जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा लगा या कम लगा, वह तो देना ही है और जमींदार साहबान को इस संबंध में ज्यादा कहने का हक भी नहीं है तो जो बकाया रह गई है यानी वसूल नहीं हुई है वह बकाया अंतरिम प्रतिकर में से काटी जाय या निर्णित प्रतिकर से जैसा कि संशोधन अभी रखा गया है। तो इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तो बकाया रहना ही नहीं चाहिये। अगर सरकार ने सख्ती नहीं की वसूल करने में और उन्हें मौका मिल गया कि समय के अन्दर न देकर के जो बाकीदार हैं उनको जो प्रतिकर मिले उसमें से वह काट लिया जाय, इसमें कोई उज्र नहीं होना चाहिये। वह बकाया है और समय पर मिलना चाहिये था। यह तो एक रिआयत हो गई कि अंतरिम प्रतिकर में से काटने का नियम रखा गया है वर्ना जैसे कि हर बकाया वसूल होती है वैसे

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

ही होना चाहिये था। लेकिन इस बात का लिहाज करके कि जमींदार साहबान न दे सकते हों तो उनको एक मौका मिल गया कि जो अंतरिम प्रतिकर सरकार देने वाली है उसमें से जो बकाया है वह काट लिया जाय। यह तो सरकार की एक मेहरबानी है कि जबर्दस्ती वसूल करने के लिये जो कानून और कवायद हैं उनको इस्तेमाल न करके अंतरिम प्रतिकर में से काट लेने का जो उनको मौका दिया गया तो उस रिआयत से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और इससे भी ज्यादा एक स्टैप आगे बढ़कर इस बात की कोशिश की जा रही है कि निर्णित प्रतिकर में से काटा जाय। मैं तो यह कहूंगा कि यह सुविधा दी गयी है जो आपसे जबर्दस्ती वसूल होना चाहिये समय पर उस चीज को वसूल न करके हम सुविधा दे रहे हैं कि आपके अन्तरिम प्रतिकर से काट लिया जाय। तो मैं नहीं समझता कि आपका यह संशोधन मुनासिब है। यह सुविधा आपको दी गई है, और सुविधा की मांग मुनासिब नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैं माननीय वीरेन्द्र शाह के द्वारा उपस्थित किये हुये इस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं परन्तु इसके पहले कि मैं इस संशोधन पर कुछ निवेदन करूं मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब तक कि यह नियम इस भवन के सामने विचाराधीन हैं हम यह कदापि नहीं भूलेंगे कि हम दोनों सदस्य उस सरकारी कमेटी के भी सदस्य थे जिसने इस पर रिपोर्ट दी है और यही कारण है कि श्रीमान् करीब तीन घंटे के अन्दर ४४ या ४५ संशोधन हम खत्म कर चुके हैं। यह तो माननीय सदस्यगण भी जानते हैं कि कितने संशोधन हमने वापस लिये। इस बात के आश्वासन देने की आवश्यकता न समझते हुये भी मैं राजस्व मंत्री जी को यह और आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी तरह से भी हम पर्सनल चीज पर न जायेंगे। जहां तक मेरा प्रश्न है जब जमींदारी उन्मूलन जैसा विधेयक पेश था तब भी मैंने कोई पर्सनल बात नहीं कही थी। न मालूम क्यों समय और असमय यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है और कौन किस का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब मैं कौंसिल में था मुझे फख्र था कि मैं जमींदारों का प्रतिनिधित्व करता था। इसके क्या मानी कि उस ओर के सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे प्रतिनिधित्व को वह संकुचित दायरे में डाल देते हैं। मैं नहीं शर्माता कि मैं जमींदार था या जमींदारों का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसके क्या मानी कि माननीय सदस्य मौर्य जी जनता के प्रतिनिधि.चुन कर आये हैं और हमारे प्रतिनिधित्व को वह एक संकुचित दायरे में डाल देते हैं? सभी ने हमको वोट दिया है, काश्तकारों ने भी और जमींदारों ने भी। मैं काश्तकारों, जमींदारों सभी का प्रतिनिधित्व करता हूं और अफसोस है कि यहां तक कि ब्लैक मार्केटियर्स का भी प्रतिनिधित्व करता हूं क्योंकि सबों ने हमें वोट दिया है।

जहां तक इस संशोधन का अर्थ है यदि कोई जमींदार मालगुजारी या एग्रिकल्चरल इन्कमटैक्स न दे सके तो उसके अन्तरिम प्रतिकर में से न कट करके प्रतिकर में से काटा जाय क्योंकि अन्तरिम प्रतिकर का सिद्धांत यह माना गया है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद इस कानून को लागू होने के बाद जब जमींदार लगान वसूल न कर सकेगा तो उसकी आमदनी रुक जायगी और उसे कष्ट होगा। यदि प्रतिकर के निर्धारित होने में ९ महीने से अधिक समय लग जाय तो उसको सहूलियत मिल जाय, उसको कष्ट न हो इसके लिये उसको अन्तरिम प्रतिकर दिया जा रहा है। हमारे माननीय मौर्य जी ने यह कहा कि यह तो जमींदारों को सुविधा दी जा रही है। यदि उनकी मालगुजारी वसूल नहीं हुई है और उनको कष्ट हो रहा है इसी लिये सरकार उनको सुविधा दे रही है। मैं आपके द्वारा माननीय मौर्य जी से यह निवेदन करूंगा कि उनको यह मेहरबानी नहीं है बल्कि वह यह जानते हैं कि मालगुजारी वसूल होगी ही नहीं, वह जानते हैं कि वसूल हो नहीं रही है, वह जानते हैं कि कुर्की भी की जायगी तो किस चीज की की जायगी।

सरकार की यह मजबूरी है क्योंकि जमींदारों के पास रुपया नहीं है। सरकार यह समझती है कि यह रुपया वसूल नहीं होगा। इसलिये वह अन्तरिम प्रतिकर में से काट रही है। जमींदारों के पास रुपया नहीं है। वह मालगुजारी देने के लिये कहते हैं कि जो हमारा रुपया बाकी है वह प्रतिकर में से काट लिया जाय तो इसमें कौन सी ऐसी बात है और यह कौन सी अन्याय की बात हो सकती है? जहां तक कानून का सवाल है यह जानते हैं कि सरकार कुर्की ला सकती है, जमींदारों को जेल भेज सकती है। वह जानती है कि जमींदारों से वह वसूल नहीं कर पायेगी इसलिये वह अन्तरिम प्रतिकर में से काटने जा रही है। एक तरफ से देना दूसरी तरफ से लेना यह कौन सी इंसाफ की बात है। मुझे सौभाग्यवश कोर्ट आफ वार्ड्स में काम करने का मौका मिला है। मैं जानता हूं कि वहां पर लगान वसूली के कुछ ऐसे साधन हैं जो जमींदारों के पास नहीं हैं। कोर्ट आफ वार्डस में दफा ३६ का उनको मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ता है। जहां पर काश्तकार पीड़ित हैं वहां वह नहीं पा रहे हैं। कहीं कहीं पर जमींदारी उन्मूलन हो जाने की वजह से नहीं वसूल हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जमींदार बेचारे क्या करें और कहां जायं। आप यह कहेंगे कि जमींदार को अधिकार है कि वह दावा करके वसूल करें। तो तब तक के लिये क्या सरकार रुकेगी जब तक कि उन मुकदमों का फैसला होगा और लगान वसूल हो? क्या सरकार अपने एग्रीकल्चरल टैक्स और मालगुजारी को तब तक के लिये रोकने को तैयार है? मैं जानता हूं कि तब तक के लिये सरकार नहीं रुक सकती है और उधर वह प्रतिकर से काटने के लिये तैयार नहीं है। तो फिर जमींदार कहां जायं और किस तरह से अपना काम चलायें। मैं जानना चाहता हूं कि कहां तक यह न्यायसंगत है। प्रश्न तो केवल इतना है कि सरकार जो अन्तरिम प्रतिकर दे रही है उसको जमींदारों को पूरा दे दिया जाय और इससे जमींदारों के कष्ट काफी दूर हो सकते हैं। सरकारी रेवेन्यू उसमें से काटना कहां तक न्यायसंगत है यह सरकार को गौर करने की बात है और मैं इसका निर्णय सरकार के ऊपर ही छोड़ता हूं।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, क्या न्यायसंगत है और क्या न्यायसंगत नहीं है यह प्रश्न संसार के आदि से चला आया है और इस पर बहस होती रही है लेकिन इसके ऊपर सब एक मत हो जायं यह बहुत मुश्किल है। इसलिये मैं वह शब्द तो इस्तेमाल नहीं करता लेकिन दो बातें कहना चाहता हूं। जब आपको नक़द अन्तरिम प्रतिकर दिया जा रहा है तो दुनिया भर का कायदा यही है कि जब नक़द भुगतान होता है तो जो आउट स्टैंडिंग होता है वह नक़द में से काट लिया जाता है। आपको जो नक़द दिया जा रहा है और जो आप के ऊपर बक़ाया है अगर उसमें से उसको न काटा जाय तो यह जो आमतौर पर हिसाब का कायदा है उसके खिलाफ पड़ता है। लिहाजा यह न्यायसंगत है कि जो बकाया है उसको उस नक़द रुपये में से काट लिया जाय।

दूसरी बात यह कही गयी है कि मालगुजारी वसूल नहीं हो रही है। यह बिलकुल गलत है। मालगुजारी जैसी पिछले साल वसूल हुई थी वैसी ही वसूल हो रही है। अब तक ७५ फीसदी मालगुजारी वसूल हो चुकी है। अगर किसी आदमी का यह ख्याल है कि मालगुजारी वसूल नहीं हो रही है तो यह बिलकुल ग़लत ख्याल है और निराधार है। मालगुजारी वसूल हो रही है और वह इस कारण से कि हमारे काश्तकार लगान दे रहे हैं और हमारे देश का जो किसान है वह बहुत शान्तिप्रिय है, अमनपसन्द है और ला-एबाईडिंग है। वह जानता है कि १३५६ फ़सली की रबी तक का लगान देना है। हो सकता है कि किसी खास इलाके में किसी ने न दिया हो लेकिन आम तौर से इस तरह की कोई खास शिकायत नहीं आयी है कि आम तौर पर कहीं कोई इस क़िस्म की तहरीक है या कोई रग़बत है कि लगान न दिया जाय, हो सकता है कि कहीं कोर्ट आफ़ वार्ड्स में खुशदिहन्द काश्तकार न हों लेकिन वह भी कोई आम बात नहीं है। बल्कि इसके खिलाफ़ मैं अलीगढ़ की मिसाल दे सकता हूं, आगरे के इलाक़े में सब से बड़ी एसटेट भीखमपुर की है वहां के कोर्ड आफ़ वार्ड के मैनेजर ने २६ जून को ही हमारे पास तार से इत्तिला दे दी कि पूरी बेबाक़ी हो गयी। एक किसान के खिलाफ़ भी ऐसी

[श्री चरण सिंह]

शिकायत नहीं आयी । लगान भी वसूल हो रहा है और मालगुजारी भी नार्मल ईयर्स की तरह वसूल हो रही है और जब तक इनटैरिम कम्पेनसेशन की बात आवेगी उस वक्त तक शायद कहीं भी कोई बक़ाया न रहेगी और नार्मल तरीक़े पर पूरी वसूली हो चुकेगी । इसलिये मैं इन शब्दों के साथ अपने लायक़ दोस्त से कहूंगा कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

राजा वीरेन्द्र शाह--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी का भाषण सुना । अभी मंत्री जी ने कहा कि न्याय क्या है इस बारे में बहस की जाय तो उसका अन्त नहीं हो सकता । मैं यहां यह कहूंगा कि मतलब का न्याय होता है । सरकार अपने मतलब का न्याय करती है । मैंने अपना यह संशोधन इस कारण रखा है कि बड़े ज़मींदारों की हालत बहुत ही ख़राब है और इस तरीक़े से सरकार ने उनकी जायदाद की क़ीमत को घटा कर इतना कम मुआवजा देना तय किया है कि वह करीब करीब न के बराबर ही है । आप एक साल पिछले से कर रहे हैं जबसे जमींदारी विनाश का प्रस्ताव आया और कृषि आय कर भी एक साल पीछे से आप लेने लगे । अगर यह उनके अन्तिरिम प्रतिकर में से काटा गया तो मैं समझता हूं कि उनको बड़ी भारी कठिनाई होगी।

इस समय मंत्री जी नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उपमंत्री जी विराजमान हैं वही सरकार तक हमारी बात पहुंचाने की कृपा करेंगे कि उन बड़े जमींदारों को जिनको आप एक हजार की आमदनी पर कुल दो सौ रुपया मुआवजा दे रहे हैं जो कि न के ही बराबर है इससे बड़ी दिक्कत होगी । जब आप ने तय कर लिया कि आप जायदाद लेंगे तो न्याय यही है कि आप कोई कर न बढ़ावें । सरकार स्वयं विचार करे कि इनटेरिम प्रतिकर में से काटना कहां तक न्याय है ? इसके मानी तो यह होंगे कि एक हाथ देना और दूसरे हाथ लेना । इस तरह से बड़े जमींदारों के पास एक टका इंटेरिम कम्पैनसेशन (प्रतिकर) नहीं पहुंचता और दूसरी तरफ आप कृषि कर में ले लें, तो इस तरह से उनको परेशान नहीं करना चाहिये । आखिर वह भी तो आपके ही प्रदेश के निवासी हैं, आखिर जब वह बेकार होंगे तब भी आपको उन को शरणार्थियों की तरह सबसीडी (राज सहायता) वग़ैरह कुछ देना ही पड़ेगी । सरकार को यह बात शोभा नहीं देती । वह कोई अंग्रेज नहीं हैं जो यहां से चले जायं और उनसे पिंड छूट जाय । अगर आप इस तरह से परेशान करेंगे तो वह भूखे मरने लगेंगे । इसमें केवल एक दो करोड़ का सवाल है कोई बड़ा सवाल नहीं है कि जिससे सरकार बैंकरप्ट हो जायगी आप सात आठ करोड़ का बजट पास करते हैं। १ या २ करोड़ तो सरकार का ज़रा सी ग़लतफ़हमी या ढिलाई में बरबाद हो जाता है और यदि ज़रा सी होशियारी से काम करें तो इतना फ़ायदा हो सकता है । मौर्य जी को इस बात से बड़ी नाराज़गी होती है यदि ज़मींदारों को ज़रा सा भी फ़ायदा होता हो। वह उसका फ़ौरन् विरोध करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अब सरकार में चले गये हैं इसलिये उन्हें अब शोषित संघ के नेता की हैसियत से न बातें करके सरकार की तरह से बातें करना चाहिये और संकुचित दृष्टिकोण छोड़ देना चाहिये । हमारा कोई उनके लिये उपदेश नहीं है, यह तो भ्राता के नाते प्रार्थना है कि वह मान लें।

जैसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कोई मालगुजारी बाक़ी नहीं रही, इस तरह से हमें डर है कि आप कृषि आय कर भी सब वसूल कर लेंगे चाहे जमींदारों की कुछ भी बरबादी हो या उन्हें जेल जाना पड़े । मेरी प्रार्थना यह है कि आप स्टे आर्डर कर दीजिये कि १३५९ फ़सली के बाद की कृषि आयकर वसूल न की जाय जब तक कि सरकार इस निर्णय पर न पहुंचे कि यह इंटेरिम में से काटी जायगी या किसमें से ली जायगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे मानेगी और अगर नहीं मानेगी तो वह अपने भाग्य से बरबाद होगी।

श्री चरण सिंह--मुझे और कुछ नहीं कहना है। यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम ४८ के बाद निम्नलिखित प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि १३५९ फ़सली या उससे पहले की मालगुजारी या कृषि-आय-कर की बक़ाया अन्तरिम प्रतिकर से काटे जाने के बजाय मध्यवर्ती को देय निर्णित प्रतिकर धनराशि में से काटी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीज़ीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

उपाध्यक्ष--अब कार्यसूची की मद ७, ८ और ९ ली जावेंगी।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मैं उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीज़ीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२८ पर)

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मैं उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १२९ पर)

उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मैं उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १३१ पर)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१८ अगस्त, १९५२।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए १८ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२ पर)

कानपुर रीजन का रोड़वेज स्ट्राइक जिसमें कि बहुत से कर्मचारी सम्मिलित थे, दिसम्बर, सन् १९५० से २० जनवरी, सन् १९५१ तक चला। हड़ताल किसी विशेष मांगों को ले कर नहीं हुई थी वरन जाहिरा तौर पर इसका मुख्य कारण महोबा से सीनियर फोरमैन का तबादला था और रीजनल वर्कशाप से मनीलाल नामक बढ़ई का हटाया जाना। केवल एक विशेष मांग थी कि चोहर सिंह, जूनियर फोरमैन को तनज्जुल कर दिया जाय। यह मांग पूरी नहीं की गयी।

स्ट्राइक के दौरान में उसके नेता हड़ताल को वापस लेने के लिये तैयार थे यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जातीं :

क–कर्मचारियों का पिछला वेतन दे दिया जाय।

ख–मुअत्तल कर्मचारियों के मामले जल्दी तय किये जायं।

ग–दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी बनाया जाय।

घ–हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को सजा न दी जाय।

ङ–हड़ताल के दौरान के समय का वेतन कर्मचारी को दिया जाय।

ये मांगें हड़ताल करने की मांगें नहीं कही जा सकतीं। फिर भी इनके विषय में निम्न–लिखित कार्यवाही की गयी :—

१–बकाया वेतन जो कि दिये ही जा रहे थे उनका शीघ्र से शीघ्र भुगतान कर दिया गया।

२–मुअत्तल कर्मचारियों के मामलों को जल्दी तय करने के लिये सदैव कार्यवाही की ही जाती है, लेकिन इसके सम्बन्धित नियमों को पूरा करने में देर हो ही जाती है। उक्त कारण से इस मांग की पूरी पूरी पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

३–दैनिक वेतन पाने वाले तमाम कर्मचारियों को मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी बना देना सम्भव नहीं था लेकिन जब कभी भी कोई नया स्थान होता था तो इस प्रकार के कर्मचारी को उसमें खपाने का प्रयत्न किया जाता था।

४–हड़ताल में भाग लेने वालों को निकालने का कोई प्रश्न नहीं था लेकिन जो लोग दुर्व्यवहार के दोषी पाये गये उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी।

५–हड़तालियों को उनकी अनुपस्थिति के समय के लिये कुछ आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रस्ताव था, लेकिन इसकी पूर्ति कर्मचारियों के वापस आने पर ही निर्भर थी। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया, यह सहायता उनको न दी गयी।

गोरखपुर रीजन में एक बार १० से १२ जनवरी तक मऊ में हड़ताल की गयी। कारण यह था कि पुलिस ने दो रोड़वेज के कर्मचारियों को मारा पीटा था। जांच के बाद पुलिस कांस्टेबिलों का तबादला करा दिया गया और इन्चार्ज थाना से समझौता करा दिया गया।

नत्थी 'ख'

(देखिये १८ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३ पर)

तहसील मड़ियाहूं

१ गंधावन
२ जहरवा
३ पपरामन
४ मनौरा
५ कारी
६ घाटमपुर
७ पुरेसवा
८ देवकली
९ गोपालपुर
१० मनरकापुर
११ पिलकठुवा
१२ बसहरा
१३ बंकट
१४ कासीपुर
१५ कांधपुर
१६ सरसरा माफी
१७ बरारपुर
१८ अकरा
१९ भिउरा
२० कथार
२१ सेहना
२२ पुछरुधी कालका प्रसाद
२३ सराय विक्रम
२४ गनेशपुर
२५ मनौरी
२६ गहलाई
२७ रायपुर
२८ सिंगारपुर
२९ जगदीशपुर
३० औरा
३१ बनपुरवा
३२ सैदीपुर
३३ रासनदिया
३४ जमालपुर
३५ मानापुर
३६ छंगापुर
३७ रखवा
३८ गोरा
३९ गगीरा
४० नूरपुर
४१ पितम्बरपुर
४२ असलेमपुर
४३ भन्नौर
४४ नेवादा
४५ मुहम्मदपुर
४६ मझगवां
४७ पल्टूपुर
४८ गद्दीपुर
४९ धरौंदापुर
५० चक नरायनपुर
५१ नरहरपुर
५२ उमरान
५३ चतुर्भुजपुर
५४ खुन्दनपुर
५५ हरदनारी
५६ सेखनपुर
५७ भटकय्या
५८ बेलउना कलां
५९ तखतैया
६० लोटीपुर
६१ दतांव
६२ रायपुर
६३ करमाही
६४ बराई कलाँ
६५ तरती
६६ सराया

६७ गोसमपुर
६८ घेखा
६९ लच्छनपुर
७० छतीसा कलां
७१ चितवार
७२ हरिहरपुर
७३ जिठूपुर
७४ मिसीरपुर
७५ उसरांव
७६ देरारपुर
७७ सराय सित्तम
७८ कटघरा

तहसील मछली शहर

१ बामी
२ राजापुर
३ माहापुर
४ मूसौला
५ भिदेवना
६ करौरा
७ खराया मउ
८ अलापुर कृषनापुर
९ अमारा
१० करौदी
११ बरहता खास
१२ कुमेरपूर
१३ सेमराही
१४ जगदीसपुर
१५ सोनहेरा
१६ राम गढ़
१७ कल्याणपुर
१८ जमुहेरा
१९ विशुनपुर
२० कोटवा
२१ कादनपुर
२२ ताजउद्दीनपुर
२३ मीरपुर
२४ नोनेरा कलां
२५ नोनेरा खुर्द
२६ तुलापुर
२७ खरूवाअन
२८ वरेठी
२९ नरसिंहपुर
३० किशुनदासपुर
३१ टेकरडीह
३२ बेलासाई
३३ डिहिया
३४ बसहटा
३५ बसहरउवा
३६ शेखजैनपुर
३७ बनकट
३८ चौउथार
३९ चौंकी खुर्द
४० किशुनदासपुर
४१ अगहुआ
४२ माथेर
४३ गोपपुर
४४ जगरनाथपुर

४५ गोधना
४६ करीयावन
४७ मीरपुर
४८ उमराही
४९ चौंकी कला
५० हवेली
५१ सराउ देवा
५२ धेमापुर
५३ सवैया
५४ मुबारकपुर
५५ अदरी
५६ लासा
५७ बरावन
५८ दहिहया
५९ तिलोरा
६० भाटाडीह
६१ भिखारीपुर
६२ देवरिया
६३ मुनजर
६४ गोसालापुर
६५ बिलोई
६६ रामगढ़
६७ मल्लूपुर
६८ धरमपुर
६९ दीनपूर
७० मीरपुर
७१ करनौली

—:०:—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए १८ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५ पर)

To

THE HON'BLE ADMINISTRATIVE MEMBER,
BOARD OF REVENUE, UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

(Through the proper channel)

Appeal against the order of the Commissioner, Meerut-Agra Division dated 30-6-1950 *on the enclosed representation of the applicant dated June* 2, 1950, *regarding the fixation of seniority in the combined gradation list of the Commissioner's offices, Meerut and Agra Divisions.*

Most respected Sir,

IN compliance with B. O. No. 24502/Rev-326A/48, dated January 28, 1949, I most respectfully beg to submit the above appeal with the following few lines for your honour's consideration.

At the outset, I respectfully seek the privilege of the learned commissioner for favour of giving me protection as provided in B. O. No. 4282/Rev-23-A-1940, dated September 4, 1940, in accordance with which appeals to appellate authorities are forwarded without comments.

The main grounds of appeal are as follows:—

1. The seniority in the combined gradation list of the Commissioner's office, Meerut-Agra Division has been fixed in accordance with pre-1931 scales. My humble submission is that it should be fixed according to the substantive pay of the officials in the revised scales of pay 1947, which the appellant as well as the officials in question against whom appeal has been preferred, accepted with effect from 1-4-1947 after exercising the option, which became final. The revised scales of 1947 are equally self-sufficient to determine the substantive pay as well as substantive post of each official. In this connection attention is invited to B.O. No.11353/Rev-210-A-45,dated June 22, 1950, regarding preparation of gradation list which applies to incumbents belonging to revised scales 1947 apparently with a view to avoid confusion between the pre-1931 scales which merged in the revised scales of 1947 with effect from 1-4-1947.

2. In view of the above, my humble case stands thus. The actual amalgamation of the two Divisional offices of the Meerut and Agra Division took place on 15-3-1948 i.e. after a year when we had already accepted the revised scales of 1947 with effect from 1-4-1947 in our old respective offices. If it took some time in getting our pay fixed according to the 1947 scales, there was nothing to prejudice our claims in any way and the claims of all of us were perfectly safeguarded.

3. There appears to be some confusion about the Provisional substantive appointment which I held at the time of amalgamation and which needs clarification. My designation was 4th Assistant (Provisional substantive) Commissioner's office, Agra at the time of amalgamation. To take the worst side, I was at least 5th Assistant substantive. Prior to introduction of 1947 scales' I had put in actual duty of more than a year (24-9-1945 to 31-3-1947) in the stage of Rs. 110, my substantive pay was initially fixed at Rs. 116 in the common time scale of Rs.80-6-110-EB-6-140. Taking

for granted that m >provisional substantive appointment of 4th Assistant terminated on 1-4-1947 and I was only 5th Assistant substantive, my substantive pay would have been fixed as stated above at Rs. 116 under the rules, in view of the fact that I had completed actual duty of a year in the *stage* of Rs. 110 of the revised scale, quoted above. With this assumption, on 1-4-1947, I was 5th Assistant substantive on a substantive pay of Rs. 116. If I was provisional substantive 4th Assistant at the time of amalgamation, I got lift merely in the designation (i.e.from 5th Assistant substantive to 4th Assistant Provisionally substantive) whereas the substantive pay of Rs. 116 fixed initially on 1-4-1947 remained the same and there was no monetary increment. It has been observed in the order of June 30, 1950 under appeal that on reversion of Sri Satgur Prasad, Court of Wards Assistant, I had to revert to my substantive grade of Rs. 90. As I was governed by the revised scales of 1947, my substantive pay having been fixed already at Rs. 116 there is no provision under the rules applicable to time scales, under which I could possibly revert to Rs. 90 in the revised scales. If there exists any such order, I most respectfully beg to submit that it may very kindly be superseded in the light of the revised scales of pay 1947 which were in force from 1-4-1947, as by the termination of Provisional substantive appointment of 4th Assistant, I reverted only in designation and not in my substantive pay of Rs. 116.

4. While comparing my humble case stated in para 3 above with that of Sri Kanti Prakash and Sri Jai Chand of the Commissioner's office, Meerut their case stands thus. Sri Jai Chand Gupta was 7th Assistant substantive, Commissioner's office, Meerut on Rs. 90 at the time of the change over of the scales. On 1-4-1947 his initial pay was fixed at Rs. 92 in the revised scale of 1947 but as he had put in actual duty of3 1/2months only in the stage of Rs. 110 prior to the introduction of the revised scale, his pay was raised to Rs. 110 on 1-4-1947 and when he completed the balance of 8 1/2 months of the full one year in that stage of Rs. 110 he earned his next increment on 16-12-1947 and then his pay became Rs. 116 whereas my substantive pay had already been fixed at Rs. 116 on 1-4-1947. As such I claim seniority over him in the common time scale of 80-6-110-EB-6-140 by 8 1/2 months due to prior actual duty of more than a year in the stage of Rs. 110 and having crossed the efficiency bar earlier at Rs. 110 by the same period of 8 1/2 months.

As regards Sri Kanti Prakash Rastogi 6th Assistant substantive his seniority over Sri Jai Chand Gupta had already been fixed in the very beginning of their services in the Meerut office. On 1-4-1947, he was on deputation to Court of Wards. As such his pay was fixed on Rs. 92. He represented his case to Government that if he had not been on deputation, he would have ordinarily officiated on Rs. 110 in which his junior Shri Jai Chand Gupta officiated for $3^1/_2$ months and got the benefit of his pay being fixed on Rs. 110 from 1-4-1947. The Government considered it a just ground and accepted it with the result. that his pay was also raised equal to that of Shri Jai Chand Gupta, his junior. I claim seniority over him on the same grounds as in case of Sri Jai Chand Gupta.

The fact that Shri Kanti Prakash and Shri Jai Chand Gupta are in the same common time scale of 80-6-110-EB-6-140 like myself and that their increment falls a few months hence (i.e.8 1/2 months later) has also been acknowledged by the learned Commissioner in his order dated 30-6-1950. This constitutes one of the main points for claiming my senoirity over them which I respectfully press for the consideration of the Hon'ble Board.

5. It would thus appear that I am senior to them both in designation and in substantive pay, being in the same common time scale. One thing more also needs clarification, viz. that time scales also have substantive posts and substantive pay like graded posts. If it were not so, fixation of seniority would have been impossible in cases which have time scales. Reference to old grades would have, however, become essential if the claims in the revised scales of 1947 were 16 annas equal in all respects and that there was no other alternative left. But this is not so in my humble case as my increment in the same common time scale falls 8 1/2 months ahead.

6. The election of the revised scales 1947 was optional and not compulsory but once the option was exercised, it became final. One, therefore, could not possibly take advantage both ways, i.e. one has to accept the advantages and disadvantages as well. Perhaps it would not be in the fitness of things to take advantage of the increase in pay of revised scales 1947 on the one hand and getting the seniority fixed by the pre-1931 scale. The pay of Shri Jai Chand Gupta was fixed @Rs. 92 as stated above but he got advantage of his pay being raised to Rs. 110 owing to the fact that he had put in an actual duty of 3 1/2 months in that stage prior to the introduction of revised scales. He thus got an immediate increment of Rs. 18 equivalent to 3 years' increment whreas I got an increment of Rs. 6 only and that too when I had put in an actual duty of not only a year but much more than a year in the stage of Rs. 110 after full justification, prior to the introduction of the new scale. Furthermore, as I have been declared junior to them by the learned Commissioner *vide* his order dated 30/6/50 they claimed another advantage with arrears, for further increase in their pay equal to that of mine, which is at present Rs. 134 since 1-4-1950, whereas their pay is only Rs. 128. The case is already before the Hon'ble Board for orders. It is thus for the authorities to judge whether the advantages have been equalised.

7. To be more explanatory, position as it stood on 1-4-1947 before amalgamation, and 15-3-1948 (on amalgamation) and 1-4-1950(latest) are given in a chart for facility of reference with the dates of increment, when due.

8. To summarize, we all belong to the same common time scaleRs.80-6-10 E.B.-6-140, my initial pay having been fixed one stage higher than the respondents due to actual duty, I having crossed the first E.B. @ Rs. 110 earlier, my date of increment falling 8 1/2 months ahead every year in the same time scale, I having a susbstantive post of 5th Assistant with a substantive pay of Rs. 116 on 1-4-1947 which was not subject to reduction under any circumstances, my present pay being Rs. 134 against their pay of Rs. 128 P.M. each, I will be reaching maximum earlier, I being a graduate possessing an excellent roll, beg to claim seniority over them on all points with the request that it may be got determined from the actual position on which we were placed at the time of amalgamation, and not what we were before or would have been otherwise.

In the end, I most respectfully beg to apologize for the encroachment on your Honour's valuable time for the lengthy appeal which could not be more brief at the cost of clarity. In the circumstances mentioned above, I pray that your honour would be graciously pleased to declare me senior

over them. It goes without saying that my whole future career depends on your Honour's kind decision. Jai Hind

Your most obedient servant,
(Anand Sarup, B. A.),
Assistant, Commissioner's office,
Meerut.

Dated July 13, 1950.

हिन्दी साहित्य

Name of incumbent with designation	Date of entry in the revised scale	Scale of pay	Initial pay fixed substantively on 1-4-i47 duly verified by the Audit party	Date of next increment	Remarks
1	2	3	4	5	6
Position on 1-4-1947 *before amalgamation*					
			Rs.	Rs.	
1. Sri Anand Sarup, 5th Assistant, substantive, Commissioner's Office, Agra.	1—4—1947	80—6—110—E.B.—6—140	116	1—4—1948	Provisionally substantive 4th Assistant.
2. Sri Kanti Prakash, 6th Assistant, Commissioner's Office, Meerut.	1—4—1947	Ditto	110	16—12—1948	His pay has been fixed at Rs. 110 as he officiated in the higher grade of Rs. 110 for 3 1/2 months prior to introduction of new scales.
3. Sri Jai Chand Gupta, 7th Assistant, Commissioner's, Office Meerut.	1—4—1947	Ditto	'A' 110	'A'	
Position on amalgamation on 15—3—1948					
1. Sri Anand Sarup, 5th Assistant, (Substantive) Commissioner's Office, Agra.	1—4—1947	80—6—110—E.B.—6—140	116	1—4—1948	Provisionally substantive 4th Assistant.

2.	Sri Kanti Prakash, 6th Assistant, Commissioner's Office, Meerut.	1—4—1947	Ditto	..	116	16—12—1948	..
3.	Sri Jai Chand Gupta, 7th Assistant.	1—4—1947	Ditto	..	116	16—12—1948	
			Position on 1—4—1950 (*latest*)				
1.	Sri Anand Sarup ..	1—4—1947	Ditto	..	134	1—4—1950	..
2.	Sri Kanti Prakash ..	1—4—1947	Ditto	..	128	16—12—1949	..
3.	Sri Jai Chand Gupta ..	1—4—1947	Ditto	..	128	16—12 1949	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Copy of G. O. No. 17613/Rev-B-326-A-48, dated August 14, 1950, to the Commissioner, Meerut-Agra Division, Meerut.

With reference to your endorsements nos. 8941/IX-167(49-50) and 9011 (1)/IX-167(49-50) dated July 15 and 18, 1950 respectively forwarding the appeal of Sri Anand Sarup an official of your office regarding the fixation of his seniority in the combined gradation list I am directed to refer you to G. O. no. 6810/1B-357B-49, dated October 7, 1949 in which Government decided that the maintenance of one divisional list for division placed in charge of one Commissioner was not desirable. On this anology recently, in a case of the Banaras Division, they have held that the gradation lists of the Divisional offices put in charge of a single Commissioner should also remain separate. I am, therefore, to request you to give effect to this order immediately. When this is done, the appellant may be restored to his original place in the gradation list of the Division in which he has been serving.

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ट ७६ पर)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कान्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोररी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करने के निमित्त — १९४७ का यू० पी० ऐक्ट ६।

विधेयक।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करना आवश्यक है, — १९४७ का यू० पी० ऐक्ट ६।

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रवलित होगा।

२—यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५२" के स्थान में संख्या "१९५४" रखी जाय। — १९४७ के यू० पी० ऐक्ट ६ की धारा १(४) का संशोधन।

उद्देश्य और कारण

यू० पी एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में बिजली के उत्पादन, संग्रह तथा वितरण (प्रोडक्शन, सप्लाई ऐन्ड डिस्ट्रिब्यूशन) एवं बिजली के सम्बन्ध में व्यवसाय और वाणिज्य को सीमित अवधि में नियंत्रित रखने की व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम की आवश्यकता इसलिए होती है कि बिजली की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है। अतएव यह आवश्यक समझा गया कि सरकार बिजली के उत्पादन, संग्रह तथा वितरण आदि के सम्बन्ध में नियंत्रण के अधिकार को जारी रखे।

उक्त अधिनियम ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाला है। बड़े नगरों में उत्पादन की स्थिति से निस्सन्देह उन्नति हुई है किन्तु "हाइडेल ग्रिड" क्षेत्रों में और उक्त क्षेत्रों से बाहर छोटे क़स्बों में शक्ति (एनरजी) की मांग उत्पादन से कहीं अधिक है। अतएव यह आवश्यक है कि इस अधिनियम की अवधि अगले २ वर्ष के लिए बड़ा दी जाय।

यह विधेयक इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम,
विद्युत मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे ७६ पृष्ट पर)

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

१८६१ का ऐक्ट ५।

उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के लिये ऐक्ट, १८६१ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

१८६१ का ऐक्ट ५।

उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के लिये पुलिस ऐक्ट, १८६१ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

२—(१) पुलिस ऐक्ट, १८६१ की वर्तमान धारा ३४, ३४ (१) के रूप में पुनः परिगणित होगी।

१८६१ के ऐक्ट ५ की धारा ३४ में संशोधन ।

(२) पुनः परिगणित धारा ३४ की उपधारा (१) में शब्द 'residents' और शब्द "or passengers" के बीच में शब्द 'visitors' रख दिया जायगा और शब्द "section" के स्थान पर शब्द 'sub-section' रख दिया जायगा ।

(३) पुन० परिगणित धारा ३४ की उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (२) और (३) के रूप में रख दी जायगी:

"(2) The State Government may, by notification in the official Gazette, extend to any rural area, specified in the notification, the provisions of sub-section (1) and thereupon its provisions shall apply to such area as if it were a town to which the said sub-section had been specially extended.

(3) The extension under sub-section (2) may be either for a specified or an unspecified period and in respect of all or any of the offences as may be specified.

उद्देश्य और कारण

पुलिस ऐक्ट, १८६१ की धारा ३४ अभी केवल कस्बों में प्रसारित की जा सकती है किन्तु अनुभव से यह प्रतीत हुआ कि ऐसे मेलों में भी जो प्रायः कस्बों की सीमा से बाहर लगा करते हैं उसे प्रसारित करना आवश्यक है। कस्बों से बाहर तथा ग्रामों में लगने वाले मेलों में उक्त धारा को प्रसारित करने की व्यवस्था के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

सम्पूर्णानन्द,
पुलिस मंत्री ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७६ पर)

उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेण्ट मिडवाइव्ज, ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज असिस्टेण्ट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त और अधिक संशोधन करने का

१९३४ का यू०पी ऐक्ट १५

विधेयक

कुछ ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे "यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेण्ट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४" में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, तथा असिस्टेण्ट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा ।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

२—यू०पी० नर्सेज, मिडवाइज, असिस्टेण्ट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे—

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट १५ की धारा ४ में संशोधन ।

(१) उपधारा (१) में

(क) संख्या और शब्द ("24 members") के स्थान पर शब्द ("the following members") रख दिये जायेंगे; और

(ख) वर्तमान खंड (A) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा ।

"(*a*) *as ex-officio members*—

(i) the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;

(ii) the Additional Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;

(iii) the Deputy Director of Medical and Health Services (Women), Uttar Pradesh;

(iv) the Assistant Director of Medical and Health Services (Maternity and Child Welfare Section), Uttar Pradesh;

(v) the Superintendent of Nursing Services, Uttar Pradesh, Lucknow;

(vi) the Superintendent, Silver Jubilee Health School, Lucknow; and

(vii) the Superintendent, Kamla Nehru Hospital, Allahabad."

(२) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा।

"(2) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh and the Additional Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh shall be the *ex-officio* President and Vice-President respectively of the Council. "

१९३४ के यू० पी० ऐक्ट १५ की धारा ८ में संशोधन।

३—अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) में

(क) खंड (d) में "फुलिस्टाप" के स्थान पर "सेमिकोलन" रख दिया जायगा और उसके बाद शब्द ("or") जोड़ दिया जायगा ;

(ख) खंड (d) के बाद खंड (e) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा—

(*e*) if, being a nominated member he ceases to belong to the appropriate categories referred to in sub-section (1) of section 4.

१९३४ के यू०पी० ऐक्ट १५ की धारा ९ में संशोधन।

४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९ के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जायगा :

"9. If, any member of the Council, whether elected or nominated, under sub-section (1) of section 4 dies or resigns membership or ceases to be a member under the provisions of sub-section (1) of section 8, the vacancy shall be filled within three months by a fresh election or nomination, as the case may be, in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 4 and in default of election, by nomination in accordance with the provisions of section 5."

१९३४ के यू०पी० ऐक्ट १५ की धारा २३ में संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा २३ में शब्द "(a) persons who have undergone. . . ." से लेकर खंड (b) में शब्द "as may be prescribed" तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा —

"(*a*) persons who hold qualifications in nursing or midwifery or health visiting recognised under the Indian Nursing Council Act, 1947;

(*b*) persons who hold assistant midwifery or certified midwifery certificates of the U. P. State Medical Faculty; and

(*c*) persons who may be registered as nurses, midwives or health visitors under a scheme of reciprocity under the provisions of section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 by the Indian Council of Nursing constituted under the said Act."

१९३४ के यू० पी० ऐक्ट १५ की धारा २४ का निकाला जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा २४ को निकाल दिया जायगा।

७—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (३) के खंड (a) में से शब्द और संख्या "and section 24" निकाल दिये जायंगे।

उद्देश्य और कारण

पब्लिक हेल्थ और मेडिकल विभाग के पुनर्संगठन के परिणाम स्वरूप कुछ पदों के नामों में हाल में परिवर्तन किया गया है जैसे, "इन्सपेक्टर जनरल आफ सिविल हास्पिटल तथा डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ" के पदों को मिलाकर "डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐण्ड हेल्थ सर्विसेज" का एक पद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इंडियन नर्सेज कौंसिल ऐक्ट की धारा १० में कुछ ऐसी योग्यताओं की व्यवस्था की गयी है जो भारत के सभी राज्यों में मान्य होगी। अतएव यह आवश्यक है कि यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ के संगत उपबन्धों में पारिणामिक परिवर्तन किये जाय जिससे वे इंडियन नर्सेज कौंसिल ऐक्ट के उपबंधों के अनुसार हो जायं। इस प्रकार यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेण्ट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ में संशोधन आवश्यक हो गया है। इस अवसर का उपयोग उक्त अधिनियम में कुछ परिणामिक परिवर्तनों के लिये भी किया गया है।

चन्द्रभानु गुप्त,
स्वास्थ्य मंत्री।

विधान परिषद

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १११ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाला है और उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५४ तक जारी रखना आवश्यक है ;

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

यू० पी० ऐक्ट २५ १९४७, की धारा १ का संशोधन।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

२—समय समय पर संशोधित यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (५) में संख्या "१९५२" के स्थान पर संख्या "१९५४" रख दी जाय ।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाला है। राज्य भर में अब भी निवासस्थान की बहुत कमी है। सार्वजनिक हित के लिये आवश्यक है कि जिले के मैजिस्ट्रेट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये निवासस्थान को अधिकृत करने के विशेष अधिकार का प्रयोग करते रहें। अतएव उक्त अधिनियम की अवधि और दो वर्ष के लिये बढ़ाना आवश्यक है। उक्त उद्देश्य से उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
खाद्य व स्वास्थ्य मंत्री।

नत्थी 'ज'

(देखिये पिछले पृष्ठ.....१११ .पर)

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक, १९५२

उत्तर प्रदेश में सिनेमा घरों में धूम्रपान निषेध का विधेयक

उत्तर प्रदेश में सिनेमा घरों में धूम्रपान का निषेध करना आवश्यक है;

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार प्रारम्भ तथा निवर्तन ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, १९५२ होगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तथा स्थानों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

(४) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, यह अधिनियम ऐसे क्षेत्र और स्थान में जहां पर उपधारा (३) के अधीन यह प्रचलित हुआ था, प्रभाव शून्य हो जायगा, और तब उत्तर प्रदेश जेनरल क्लाजेज ऐक्ट १९०४ (यू० पी० ऐक्ट १, १९०४) की धारा ६ के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावशाली होंगे मानों कि उक्त अधिनियम उक्त क्षेत्र या स्थान में किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निरस्त (रिपील) किया गया था ।

(५) उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार को प्राप्त अधिकार, उसी अथवा विभिन्न क्षेत्रों या स्थानों में अवसर के अनुसार जितनी बार आवश्यक हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।

परिभाषा ।

२—इस अधिनियम में विशेष या प्रसंग के विपरीत न होने पर—

(क) "सिनेमा घर" का तात्पर्य किसी ऐसी इमारत या छतदार और घिरे हुये निर्माण (रूफड ऐण्ड इन्क्लोज्ड स्ट्रक्चर) से है जो सामान्यता या समय समय पर जनता के सम्मुख, किसी शुल्क को देकर या अन्यथा, अभिनय अथवा गीत वाद्य अथवा सिनेमा के फिल्मों के निरुपण या प्रदर्शन (डिमांस्ट्रेशन आर एक्जीबीशन) के काम में आता हो; और

(ख) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

सिनेमा घरों में धूम्रपान का निषेध ।

३—अभिनय अथवा गीत वाद्य अथवा सिनेमा के फिल्मों के निरूपण या प्रदर्शन के समय कोई भी व्यक्ति सिनेमा घर के किसी ऐसे भाग में जो श्रोताओं या दर्शकों (आडिएंस आर स्पेक्टेटर्स) के लिये सुरक्षित हो, धूम्रपान नहीं करेगा ।

सिनेमा घरों में धूम्रपान के लिये दंड ।

४—(१) कोई पुलिस अधिकारी जो सब-इंस्पेक्टर के पद से कम का न हो या कोई अन्य व्यक्ति जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृति किया गया हो, धारा ३ में अभिदिष्ट निरुपण

या प्रदर्शन के समय धूम्रपान करते पाये गये किसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह धूम्रपान न करे और यदि उक्त व्यक्ति धूम्रपान बन्द नहीं करता है तो उसको ऐसा अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा जो ५० रुपये तक का हो सकता है।

(२) कोई पुलिस अधिकारी जो सब-इंस्पेक्टर के पद से कम का न हो या कोई अधिकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जो उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार धूम्रपान बन्द नहीं करता है, यह आदेश दे सकता है कि उक्त व्यक्ति उसे अपना नाम और पता तरन्त बतलावे और यदि उक्त व्यक्ति अपना नाम और पता बतलाने से प्रतिषेध करे या न बतलावे अथवा पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति को समुचित रीति से यह सन्देह हो कि उक्त व्यक्ति ने झूठा नाम और पता बताया है, तो पुलिस अधिकारी या उक्त अधिकृत व्यक्ति उक्त व्यक्ति को बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है।

अधिनियम को प्रवृत्ति से बाहर करने का अधिकार।

५—राज्य सरकार लेख बद्ध साधारण या विशेष आज्ञा से यह आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध किसी सिनेमा घर या उस के भीतर किसी निरूपण या प्रदर्शन के संबंध में प्रवृत्त नहीं होंगे।

नियम।

६—यह अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

उद्देश्य और कारण

सिनेमा घरों में धूम्रपान से शारीरिक कष्ट तो होता ही है किन्तु इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य को भी क्षति निश्चित रूप से पहुंचती है। अतएव सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकार का यह विचार है कि उक्त स्थानों में धूम्रपान का निषेध कर दिया जाय। उत्तर प्रदेश धुम्रपान निषेध (सिनेमा घर) विधेयक, १९५२ का लक्ष्य, उक्त स्थानों से इस बुराई को दूर करना है।

गोविन्द बल्लभ पन्त,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १११ पर)

उत्तर प्रदेश इन्टरटेंमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५२

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० इन्टरटेन्मेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ में और अधिक संशोधन करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी० इंटरटेन्मेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है, — यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७।

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश इन्टरटेन्मेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० इन्टरटेन्मेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ में — यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा १ का संशोधन।

(क) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा,

"(2) It shall extend to every area which is or which may hereafter be declared a Municipality, a Cantonment, a Notified Area or a Town Area and to any other area to which the State Government may, by notification in the Official Gazette, so extend it either for a specified period or otherwise."

(ख) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारायें (४) और (५) बढ़ा दी जायेंगी :

"(4) Where this Act has been extended to any area by notification under sub-section (2) the State Government may at any time by a similar notification withdraw it from that area and whenever the Act has been so withdrawn from any area and, in any case where it has been extended to an area under sub-section (2) for a specified period only, upon the expiry of the period, the provisions of section 6 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act I of 1904) shall have effect as if the Act had then been repealed in that area by an Uttar Pradesh Act.

(5) The powers conferred on the State Government under sub-section (2) may be exercised in respect of the same or different areas as often as occasion requires."

३—मूल अधिनियम की धारा २ में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे: — यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा २ का संशोधन।

(क) खंड ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा :

"(11) 'bookmaker' means any person who, whether on his own account or as servant or agent to any other person who carries on, whether occasionally or regularly, the business of receiving or negotiating bets or who in any manner holds himself out, or permits himself

to be held out in any manner, as a person, who receives or negotiates bets, or conducts such operations, and includes a 'turf commission agent', and 'bookmaking' shall be construed accordingly, so, however, that a person shall not be deemed to be a bookmaker by reason only of the fact that he operates, or is employed in operating a totalisator and the operating of a totalisator shall be deemed not to be bookmaking; and 'licensed bookmaker' means a bookmaker who is granted a licence or permit with the prior approval of the District Magistrate by any racing club or by Stewards thereof."

(ख) खंड (३) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जायगा :

"*Explanation*—The exhibition of News Reels, documentaries, advertisement slides and cartoons, whether before or during the exhibition of a feature film is entertainment".

(ग) खंड (७) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जायगा :

"*Explanation*—A person charged with the work of admission to an entertainment is for purposes of sections 4 and 5 a person responsible for the management."

यू० पी० ऐक्ट ८, की धारा ३ का संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द ("exceeds two annas") के स्थान पर शब्द (Is two annas) रख दिये जायेंगे ।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ के बाद निम्नलिखित धारा ५-ए बढ़ा दी जायगी :

"5-A. Any reference in this Chapter to admission to an entertainment or to a person admitted to an entertainment shall be deemed to include a reference to admission to another part of place of entertainment for admission to which part a payment involving entertainment tax or more entertainment tax is required of a person who has been admitted to one part of that place of entertainment, and to such a person admitted to such another part of a place of entertainment, and the provisions of this Chapter shall have effect accordingly".

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की अनुसूची का निकाला जाना ।

६—मूल अधिनियम की धारा १६-बी में शब्द और अंक ("section 16-A") के स्थान पर शब्द और अंक ("section 16-C") रख दिये जायेंगे ।

७—मूल अधिनियम की धारा १६-बी के बाद निम्नलिखित नयी धारा १६-सी बढ़ा दी जायगी :

"16 C. Restriction on offer and receiving of bets—(1) No person, other than a licensed bookmaker, shall offer or receive bets on the result of any race held or conducted by a racing club and no such bet shall be offered or received except in an enclosure set apart for the purpose of that club.

(2) Any person who offers or receives bets in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine not exceeding Rs. 1,000."

८—मूल अधिनियम की धारा १७ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १७-A बढ़ा दी जाय :

"17-A. Any officer authorised in this behalf by rule (hereinafter called in this Act as the prescribed authority) may ask a person, who is suspected of the contravention of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder to declare immediately his name and address and if the person refuses or fails to give his name and address or the prescribed authority reasonably suspects him of giving a false name or address, the prescribed authority may arrest him without a warrant and detain or get him detained in the nearest Police Station :

Provided that the prescribed authority shall release him on bail if he is perpared to give it. The prescribed authority may also, if it thinks fit, discharge him on his executing a bond with or without sureties for his appearance."

९—मूल अधिनियम की अनुसूची (schedule) निकाल दी जायगी। यू० पी० ऐक्ट ९, १९३७ की अनुसूची का निकाला जाना।

उद्देश्य और कारण

इन्टरटेन्मेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट का संशोधन पिछली बार १९४८ में ऐक्ट ३१, १९४८ द्वारा किया गया था। तब से उक्त अधिनियम के प्रयोग में लाने पर उसमें कुछ त्रुटियों का पता चला, जिन्हें इस विधेयक द्वारा दूर करना आवश्यक है। यह सन्देह प्रकट किया गया है कि उक्त ऐक्ट की धारा १ की उपधारा (२) के अधीन, जैसा कि वह इस समय वर्तमान है, किसी क्षेत्र में सीमित अवधि के लिये उक्त अधिनियम को प्रसारित करने का अथवा उक्त प्रकार के प्रसारण की व्यवस्था के लिये प्रचारित विज्ञप्ति को वापस लेने का सरकार को अधिकार है या नहीं। उक्त अधिनियम के निपुण तथा समुचित प्रशासन के लिये यह स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि इस संबंध में राज्य सरकार के अधिकार निश्चित कर दिये जायं जिससे कि किसी प्रकार के संदेह का अवसर न रहे। इसके अतिरिक्त हाल में ही, राज्य सरकार बनाम ए० एम० दास (क्रिमिनल रेफरेंस २९०,१९५०) तथा राज्य सरकार बनाम जी० बी० माथुर (क्रिमिनल रिवीजन संख्या १०७१,१९५०) में, जो निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है उससे यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अधिनियम की कुछ धाराओं में ऐसा संशोधन कर दिया जाय जिससे इसके प्रशासन में किसी प्रकार की कठिनाई न रह जाय और सिनेमा के मालिकों तथा दर्शकों में अभिचारी लोगों को यह अवसर न मिल सके कि वे मनोरंजन शुल्क (इन्टरटेन्मट टैक्स) से बच जायं।

गोविन्द वल्लभ पन्त,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ६९ एल० ए०—१९५२—८५०